खण्ड–6, अंक–5
मंगलवार, 21 ज्येष्ठ, शक संवत् 1924
(11 जून, 2002 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2002)

(खण्ड 6 में 8 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

मूल्य :

खण्ड-6, अंक-5
मंगलवार, 21 ज्येष्ठ, शक संवत् 1924
(11 जून, 2002 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2002)

(खण्ड 6 में 8 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
प्रश्नोत्तर	1–46
निधन के निदेश	47
ग्राम सभा नकरौन्दा के लोअर नकरौन्दा क्षेत्र के विद्युत पोल बदलवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	47
राजस्व संग्रह अमीन, संग्रह सहायक तथा वासिल बाकी नवीसों के पद पर नियुक्त कार्मिकों के नियमितीकरण एवं समायोजन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	48
विधान सभा क्षेत्र पुरौला में वर्षा के कारण काश्तकारों को हुए भारी नुकसान के एवज में मुआवजा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	48
देहरादून के जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49
सौनी देवलीखेत, स्योंडाखाल–सिलोर महादेव सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	49
जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विधान सभा के विकास खण्ड गैरसैण के अन्तर्गत आदि बद्री नौटी मार्ग में स्थित गाथर ग्राम के लोगों को जमीन का मुआवजा न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50
नैनीताल शहर का सारा मैला / कचरा झील में बहाने तथा रानीबाग शवदाह स्थल का पानी हल्द्वानी पेयजल टंकी में जुड़ा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	50
उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग, विधेयक, 2002 (पुरःस्थापित) ...	50
कार्य–मंत्रणा समिति का कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)...	51–53
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	53–59
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर चर्चा एवं मतदान	59
अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग, अनुदान संख्या–16, श्रम एवं रोजगार विभाग एवं अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग, अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	59–98

विषय	पृष्ठ संख्या
संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कार्य सूची की मद संख्या 11 के अनुदान संख्या–8, 26 एवं 17 को बाद में लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)... ...	98–99
अनुदान संख्या–6, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग, अनुदान संख्या–27, वन विभाग, अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग, अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग एवं अनुदान संख्या–28, पशुपालन विभाग, अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग (स्वीकृत)...	99–135
प्रदेश में पॉलिथीन के प्रयोग में नियम बनाकर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में श्री मातबर सिंह कण्डारी द्वारा दी गई नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	135
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	135
उत्तरांचल के सभी क्षतिग्रस्त नहरों, नलकूपों तथा सिंचाई लिफ्ट योजनाओं की मरम्मत कर धान की रोपाई हेतु सिंचाई सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में श्री मातबर सिंह कण्डारी द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	135–136
अस्थाई राजधानी निर्माण में धाँधली और अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री दिनेश अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	136

"क"

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. " अनिल नौटियाल
3. "डा0" अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डे
6. श्रीमती आशा देवी
7. "डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश
8. श्री काशी सिंह ऐरी
9. " किशोर उपाध्याय
10. " कैलाश शर्मा
11. " कौल दास
12. " गगन सिंह
13. " गणेश प्रसाद गोदियाल
14. " गोपाल सिंह
15. " गोबिन्द लाल
16. " गोबिन्द सिंह कुंजवाल
17. " चन्द्रशेखर
18. " जोत सिंह
19. " तसलीम अहमद
20. " तिलक राज बेहड़
21. " तेजपाल सिंह रावत
22. " दिनेश अग्रवाल
23. " नरेन्द्र सिंह भण्डारी
24. " नव प्रभात
25. " नारायण पाल
26. " नारायण राम आर्य
27. "डा0" नारायण सिंह जंतवाल
28. काजी निजामुद्दीन
29. श्री प्रकाश पन्त
30. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
31. "डा0" प्रताप बिष्ट
32. श्री प्रदीप टम्टा
33. " प्रीतम सिंह
34. " प्रीतम सिंह पंवार
35. श्री प्रेमानन्द महाजन
36. " फूल सिंह बिष्ट
37. " बलबीर सिंह नेगी
38. " बिशन सिंह चुफाल
39. " भगत सिंह कोश्यारी
40. " मदन कौशिक
41. " मंत्री प्रसाद नैथानी
42. " महेन्द्र भट्ट
43. " महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)
44. " मातबर सिंह कण्डारी
45. " मालचन्द
46. चौ0 यशवीर सिंह
47. श्री योगम्बर सिंह रावत
48. " रणजीत सिंह
49. " राम प्रसाद टम्टा
50. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
51. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
52. " शूरवीर सिंह सजवाण
53. "डा0" शैलेन्द्र मोहन सिंघल
54. श्री शहजाद
55. " सुबोध उनियाल
56. " सुन्दरलाल मन्द्रवाल
57. " सुरेन्द्र सिंह नेगी
58. " सुरेश चन्द जैन
59. "डा0" हरक सिंह रावत
60. श्री हरबंस कपूर
61. " हरभजन सिंह चीमा
62. " हरिदास
63. " हरीश चन्द्र दुर्गापाल
64. " हीरा सिंह बिष्ट
65. " हेमेश खर्कवाल
66. " त्रिवेन्द्र सिंह रावत
67. " रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर

मंगलवार, दिनांक 11 जून, 2002 ई०

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद हरिद्वार में गन्ने की फसल में पायरिला कीट का प्रकोप

**काजी निजामुद्दीन–

क्या गन्ना मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में गन्ने की फसल पर पायरिला कीट का जबरदस्त प्रकोप हो रहा है, जिससे गन्ने की फसल बहुत तेजी से खराब हो रही है और किसानों को करोड़ों रुपयों की हानि हो रही है ?

यदि हाँ, तो सरकार पायरिला कीट को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी –

जी नहीं, विभागीय सूचना के अनुसार जनपद हरिद्वार में गन्ने की फसल पर पायरिला कीट का प्रकोप नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं इस प्रश्न के संदर्भ में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मान्यवर, मार्च के महीने में इस क्षेत्र के गन्ना फसल में कीट का प्रकोप देखा गया था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, पहले अनुपूरक प्रश्न आ जाने दीजिए।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि गन्ने की फसल में पायरिला कीट का प्रकोप है, तो उत्तर आया कि प्रकोप नहीं है। मान्यवर, मैं खुद किसान हूँ इसलिए मैं जानता हूँ और हरिद्वार जनपद में सभी लोगों को इसकी हानि हो रही है। मान्यवर, वाकई में वहाँ पर गन्ने की फसल में पायरिला कीट का प्रकोप है। मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। मान्यवर, मैंने इस सम्बन्ध में हुई मीटिंग में यह बात रखी थी कि पायरिला कीट आ रहा है। 21 मई, 2002 को कृषि अधिकारी की चिट्ठी आई और उसमें रिटर्न में मुझे भेजा कि उपरोक्त विषय में मुझे पुनः अवगत कराना है कि मैं दिनांक 14–5–2002 को विकास खण्ड, रुड़की के ग्राम इकबालपुर, नन्हेड़ा अनन्तपुर तथा फुहाना में भ्रमण पर गया और मैंने यह पाया कि गन्ने की पत्तियों के निचले भाग में पायरिला कीट के असंख्य अण्डे चिपके हुए हैं। इससे पायरिला कीट का प्रकोप फसल पर स्पष्टतः परिलक्षित हो रहा है। अतः मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया

जनपद में इसका व्यापक सर्वेक्षण करने के उपरान्त वस्तु स्थिति से मा0 विधायक जी, जिला प्रशासन एवं मुझे अवगत कराने का कष्ट करें। आपके कार्यालय से माह अप्रैल, 2002 में कीटनाशक रसायनों की जो सूची प्राप्त हुई है उसमें पायरिला कीट नियंत्रण हेतु डाइक्लोरोवॉस डूम 76 प्रतिशत रसायन की उपलब्धता मात्र 174.60 लीटर ही उल्लिखित है जो अत्यन्त कम है और मात्र 350 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए ही पर्याप्त होगी। अतः मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया पायरिला कीट के नियंत्रण हेतु कृषि रक्षा रसायनों की अपने स्तर से पर्याप्त उपलब्धि भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष जी, यह जिला कृषि अधिकारी की विभागीय चिट्ठी मेरे पास है। तो मैं इस चिट्ठी को सही मानूँ या आपको सही मानूँ।

श्री अध्यक्ष–

इसको भिजवा देंगे।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, जिला विकास योजना की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मैंने यह मामला रखा था। मीटिंग में हमारे सभी विधायकगण मौजूद थे। माननीय अधिकारी जी कह रहे थे कीट है, और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं नहीं है। मान्यवर एक शेर याद आ रहा है :–

ये तस्वीरें किसने बनायी हैं,
सर पर ताज पाँवों पर जंजीरें हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैंने इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त में पहले देने की कोशिश की थी। यह बहुत गम्भीर मामला है। मान्यवर, जिस कीट की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं वह बूली रगफिड कीट है, क्योंकि मान्यवर, पायरिला कीट पत्ती के बीच में लगता है। इन दोनों के अण्डे की पहचान कृषक ही कर सकता है। रगफिड कीट के अण्डे के ऊपर आप फूँक मारेंगे तो वह उड़ जाता है। मान्यवर, इसकी गम्भीरता को देखते हुए पंतनगर विश्वविद्यालय से जिलाधिकारी के माध्यम से निवेदन किया है, इस कीट के प्रभाव का परीक्षण करा लें।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह कैसी विडम्बना है। कृषक तो कीट की पहचान कर सकता है, लेकिन हमारे कृषि अधिकारी नहीं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। माननीय मंत्री जी, इसमें हम बचाव के उपाय कर रहे हैं। पूरे जनपद के लिए 184 लीटर दवा भी उपलब्ध करा दी है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं जो कृषि अधिकारी हैं उनके ज्ञान के ऊपर तो कोई आक्षेप नहीं लगाऊँगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि

बूली रगपिड का जो प्रकोप है, उसको बचाने के लिए जहाँ पर पापुलर पेड़ लगे हैं उसके 7 मीटर के अन्दर गन्ने की खेती न करें, इसके लिए मृदा परीक्षण करना जरूरी है। मान्यवर, इसके लिए उपचार की विधि है, इस उपचार के लिए साढ़े 12 प्रतिशत राज्य सरकार से और साढे 25 प्रतिशत की सब्सिडी चीनी मिल द्वारा दी जाती है। मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में दवा उपलब्ध करायी गयी है।

मान्यवर, जिसका दाम 58 रुपया प्रति किलो है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, शुगर इन्डस्ट्री सबसे बड़ी इन्डस्ट्री है, यह बहुत गम्भीर विषय है। मैं भी एक किसान हूँ, लोगों ने भी पायरिला ही बताया। अब हम धान की खेती करेंगे वह गन्ने से उड़कर धान पर आयेगा, वह सिर्फ गन्ने को ही नुकसान नहीं पहुँचायेगा। यह विरोधाभास की स्थिति मेरे समझ में नहीं आ रही है। इस बारे में मेरा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनता है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं जी नहीं, और तकनीकी अधिकारी कह रहे हैं जी हाँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, एक बार स्पष्ट कर दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कोई विशेषज्ञ कह रहा है कि वह पायरिला है और जो गन्ना शोध केन्द्र काशीपुर है, वह पायरिला का प्रकोप नहीं बल्कि किसी अन्य कीट का प्रकोप बता रहा है, इसलिए इसकी गम्भीरता को देखते हुए जहाँ तक इसका प्रकोप है उस एरिया के किसानों को प्रिन्टेड रूप में इसकी जानकारी दी गई है। इस पर हमने पंतनगर के विशेषज्ञों का सहयोग माँगा है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य की जिज्ञासा पूरी नहीं हुई। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कृषि अधिकारी की जानकारी सही है, अगर आपको लगता है कि कृषि अधिकारी की जानकारी सही नही है। आपने पंत नगर और गन्ना शोध से विशेषज्ञ बुला लिये, इसमें 1, 2, 3, 4 दिन का समय दे दें, जिससे कि उसका समाधान हो सके।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसमें हमने यह आवश्यक समझा कि इसको पंतनगर के विशेषज्ञों को दिखा लिया जाये। हमें ऐसी स्थिति में जो विशेषज्ञ राय देंगे उनकी राय पर निश्चित रूप से विश्वास करना पड़ेगा।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, कृषि अधिकारी महत्वपूर्ण तो हैं। जैसे इलाज होना है हार्ट का और दवा दी जा रही है किडनी की, तो ऐसे में कैसे हो पायेगा।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री [डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जनहित का प्रश्न उठाया और माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी, सही है कि पायरिला कीट का प्रकोप नहीं है।

मान्यवर, यह स्थिति ठीक नहीं है। मैं सदन की ओर से, सरकार की ओर से आश्वस्त करती हूँ कि सम्बन्धित कृषि अधिकारी ने पायरिला कीट से गन्ने की फसल को प्रभावित बताया और शोध वालों ने दूसरी बीमारी से ग्रस्त बताया तो अब ऐसे स्थिति में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को बुलाना पड़ रहा है। यह स्थिति किसानों के हित में नहीं है। किसानों को उपज चाहिए। हमारे माननीय सदस्य ने यह जो प्रश्न उठाया है वह क्षेत्र के किसानों की पीड़ा को देखते हुए उठाया है। सम्बन्धित कृषि अधिकारी को बुलाकर सरकार उनसे जानकारी प्राप्त करेगी कि जो दवा आपने बाँटी है उस दवा का कोई भी प्रभाव फसल पर नहीं पड़ रहा है तो इस दवा का फायदा ही क्या रहा ? मैं माननीय सदस्य की चिंता के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए विश्वास दिलाती हूँ कि इसके बारे में जो भी कार्यवाही होगी इसे सदन की समाप्ति से पूर्व सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह किसानों की जीविका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। देखा यह गया है कि जो दवाइयाँ किसानों को सरकारी विभाग की तरफ से दी जाती हैं वह सामान्यतः डुप्लीकेट होती हैं। दवाइयाँ सही नहीं होती। वह मानकों के आधार पर नहीं होती। किसान दवाइयाँ डालते हैं लेकिन उनका कोई भी असर फसलों पर नहीं होता। जब किसान इस सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों के पास जाता है और कहता है कि दवाई का असर नहीं हो रहा है तो विभाग के अधिकारी/कर्मचारी बहाने ढूँढने लगते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके प्रति सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है और विभाग की तरफ से जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उनका सर्वेक्षण अवश्य करवा लिया जाए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए 16 अप्रैल को गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष को पत्र लिखा गया और 03 जून, 2002 को पंतनगर विश्वविद्यालय को पत्र लिखा गया है।

प्रदेश के वन में अवैध कटान, खनन तथा भूमि अतिक्रमण रोकने हेतु वन सेना के गठन सम्बन्धी

**2–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के वन क्षेत्र के पेड़ों के अवैध-पातन, अवैध-खनन, वन भूमि में अतिक्रमण तथा वन जन्तुओं के अवैध शिकार पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु सरकार वन सेना का गठन तत्काल करने जा रही है ?

यदि हाँ, तो इसका स्वरूप क्या होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वन सेना के नाम अलग व्यवस्था बनाने का औचित्य इसलिए नहीं है कि वन विभाग के अन्तर्गत जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसका आधुनिकीकरण करना अधिक मितव्ययी होगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, वन हमारी राष्ट्रीय सम्पदा है और वन क्षेत्र में पेड़ों के अवैध–पातन, अवैध खनन, वन भूमि में अतिक्रमण तथा वन जन्तुओं के अवैध शिकार से हमारी वन सम्पदा को बहुत हानि होती है। मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि क्या इस पर नियंत्रण लगाने हेतु सरकार वन सेना का गठन करेगी ? माननीय मंत्री जी ने कहा "जी नहीं"। मैं कहना चाहता हूँ कि यह जवाब माननीय मंत्री जी का नहीं है बल्कि किसी अधिकारी का है मा० मंत्री जी ने आगे कहा कि वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण हम करने जा रहे हैं। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वन सुरक्षा व्यवस्था का वह आधुनिकीकरण क्या है ताकि हम भी यह जान सकें कि आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो हमारा वन सुरक्षा का स्टाफ है, उसको वॉकी–टाकी और आग्नेय शस्त्र देकर गश्ती दलों को अन्य सुविधाएं देकर हम उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से जानना चाहता हूँ कि किसी भी नियंत्रण व्यवस्था में अगर दो समानान्तर इकाइयाँ स्थापित हो जाएं, तो एक गंभीर स्थिति पैदा हो जायेगी, ऐसी स्थिति में क्या वनों की वास्तव में रक्षा की जा सकेगी। वन दरोगाओं के समानान्तर यदि कोई टीम खड़ी कर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि दो अलग–अलग इकाइयाँ होने के कारण उनकी कार्य क्षमता भी कम हो सकती है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ मेरा उद्‌देश्य ग्राम स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर एक वन सेना का गठन करने का है, जो राष्ट्र की निःशुल्क सेवा करे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मितव्ययी बनाना चाहते हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये लोग राष्ट्र की सेना के लिए कुछ भी लेने को तैयार नहीं हैं, निःशुल्क वनों की रक्षा करने को तत्पर हैं। मान्यवर, बीट गार्ड के पास बहुत बड़ा भू–भाग होता है, हमारी रेंज बहुत बड़ी–बड़ी होती हैं, वह अकेला कहाँ तक रक्षा कर सकेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्व सरकार ने एक प्रारूप तैयार किया था कि ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर एक वन सेना का गठन किया जाए, जो निःशुल्क सेवा राष्ट्र की करे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वह उस प्रारूप पर विचार करेंगे ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जन जागरण और समाज के जागरण के साथ जनता का सहयोग प्राप्त कर यदि कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, तो सरकार इसके लिए निश्चित रूप से सहमत है। आपने वन मंत्री के रूप में जो सुझाव दिये थे, मैंने उसका अध्ययन किया है। यदि इस किस्म की कोई व्यवस्था हो सके, जिसके कारण हमारे खजाने पर कोई वित्तीय भार न पड़े।

मान्यवर, वास्तव में वनों की रक्षा के लिए जो प्रतिबद्ध हैं, कृत–संकल्प हैं, यदि वे उसमें सहयोग देने के लिए आएं तो हम उन्हें वन सेना के रूप में या किसी न किसी रूप में जोड़ने का कार्य करेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, वैसे तो इसमें काफी कुछ आ गया है। माननीय कण्डारी जी वन मंत्री भी रहे हैं परन्तु उनसे एक बात छूट गयी है, वही मैं पूछना चाह रहा था, हालांकि इन्हें वनों से अत्यन्त लगाव रहा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यदि आप एक जो वनों को नुकसान पहुँचाने वाली घटना है "वनों की आग"। जो वाल्यून्ट्री ऑरगेनाइजेशन का एक आप प्रयोग करना चाहते हैं। वन सुरक्षा के अन्य कई उपाय हैं आप उन्हें बाद में शुरू करिये।

(मोबाइल की ध्वनि सुनाई पड़ने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं बार–बार आपसे अनुरोध कर चुका हूँ कि कृपया सेल फोन न लाया करें। क्या आप चाहेंगे कि मैं कोई कठोर कदम उठाऊँ। मैं इसे कई बार आपके सामने दोहरा चुका हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, तो यदि आप वहाँ से शुरू करें तो वनों का जो अवैध कटान है, उसमें जो कानूनी प्रक्रिया है वह भी इन्वाल्व होगी। यदि आप वनों की अग्नि से सुरक्षा करें और ग्रामीण स्तर पर कमेटियाँ बनाएँ। मैं निःशुल्क की बात भी नहीं करता। ग्राम पंचायतें हैं, उनको आप एक अधिकार दे दीजिए और उनको प्रोत्साहन राशि भी दीजिए, बिना किसी इन्सेन्टिव के भी यह मामला बनेगा नहीं। वनों को यदि आप आग से बचाने के लिए कोई संगठन बनायें तो यह उचित होगा।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इसी रूप में ज्वाइन्ट फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट से जोड़ते हुए अग्नि सुरक्षा का प्रस्ताव हमारे पास विचाराधीन है और हमारा यह भी प्रयास है कि हम इसके लिए केन्द्र से सहयोग प्राप्त करें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि हम वन सेना या इसके साथ–साथ कोई और विकल्प निकालें तो हम विचार करेंगे। मैं तो अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसके लिए हमें व्यवस्था करनी है और अगर नहीं करेंगे तो हम लाभ में नहीं रहेंगे। क्या आप शीघ्र कोई कार्यवाही करेंगे ताकि हम वनों की रक्षा कर सकें और श्री ऐरी जी की बात हमारे संज्ञान से रह गयी थी। जब तक हम जन–सहभागिता को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक हम इस पर नियंत्रण नहीं पा सकेंगे। मान्यवर, 11 माह तक मैं भी मंत्री रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वन सेना का गठन होना बहुत आवश्यक है। मैं तो बड़ा आभारी रहूँगा यदि वन मंत्री शीघ्र उत्तरांचल के हित में, राष्ट्र के हित में गठन कर देंगे तो व्यय भार ज्यादा नहीं बढ़ेगा।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो चर्चा सदन में हुई है, उसका पूरा संज्ञान लेते हुए जो कार्यवाही हम पहले से कर रहे हैं उसमें हम माननीय सदस्यों के सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेंगे।

तारांकित प्रश्न

वन निगम के छँटनीशुदा कर्मचारियों की माँगें

*1–श्री प्रकाश पंत,

" मातबर सिंह कण्डारी,

" बिशन सिंह चुफाल,

" योगम्बर सिंह रावत

एवं

" हरबंस कपूर–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वन निगम गढ़वाल क्षेत्र के छँटनीशुदा कर्मचारियों की माँगों के सम्बन्ध में विधान सभा की संसदीय जाँच समिति ने अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट दिनांक 21–11–2001 को प्रस्तुत की थी ?

यदि हाँ, तो उसके आधार पर सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

प्रकरण में कार्मिक तथा न्याय विभाग से अभिमत प्राप्त कर लिया गया है, प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, 21–11–2001 को पीठ के माध्यम से सदन की जो समिति गठित की गई थी उस समित ने अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर दिया। लगभग 8 माह व्यतीत हो गये और वह प्रकरण अभी भी विचाराधीन है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि विभाग से

कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो अभिमत प्राप्त हुआ है वह सदन के पटल पर रखा जाये। कितने कर्मचारियों को समायोजित किया जा रहा है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो अभिमत प्राप्त किया गया है वह अभी विचाराधीन है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, 8 महीने हो गये हैं। यह बहुत गम्भीर विषय है इस पर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि कार्मिक और न्याय विभाग से अभिमत प्राप्त कर लिया गया है, शासन स्तर पर वह विचाराधीन है। मान्यवर, वह अभिमत क्या है, क्या इसकी जानकारी सदन को देंगे ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि ऐसे अभिमत सिर्फ इस वजह से लिये जाते हैं कि जब समायोजन की कार्यवाही की जाये तो उसके अन्दर कोई लिटिगेशन, कोई न्यायालय का विवाद पैदा न हो। जो सदन की समिति थी, उस समिति ने जो अपना प्रतिवेदन किया है उसमें बहुत स्पष्ट रिकमेंडेशन दी गई है, उससे मैं भी सहमत हूं। उसके अनुपालन में कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि छँटनीशुदा कर्मचारियों को वन निगम में रिक्त हुए पदों या भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्त करना समीचीन होगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सदन के माध्यम से निर्देश जारी हुए थे। जाँच कमेटी ने जो प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया, उस पर 8 महीने में कोई कार्यवाही नहीं की गई। मान्यवर, यह सदन की अवमानना है। अब उत्तर आ रहा है कि न्याय विभाग और कार्मिक विभाग का अभिमत जान लिया गया है, लेकिन इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी सदन को नहीं दी गई।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जब से हमारी सरकार आई है, वास्तव में तभी से इस प्रकरण पर कार्यवाही प्रारम्भ हुई है। अन्तरिम सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की थी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, चूँकि मंत्री जी ने कहा कि न्याय विभाग और कार्मिक विभाग से अभिमत ले लिया गया है। आप पिछली सरकार को हिट कर सकते हैं। 22–11–2001 को समिति ने अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया और इसके एक महीने बाद आचार संहिता लागू हो गई इसलिए इसमें कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। मान्यवर, क्या इस प्रत्यावेदन को सदन के पटल पर रखेंगे ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सही है कि 11 तारीख को यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गयी थी जब बार–बार यह दबाव दिया जाता है कि आप आठ माह से क्या कर रहे हैं तब इधर

से हमें इस प्रकार का उत्तर देना पड़ता है जब से यह सरकार आयी है इन तीन महीनों में हमने कार्यवाही की है। जो कार्यवाही की है उसे माननीय मंत्री जी ने बता दिया है इसलिए मेरा नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि वह अपने पार्टी के माननीय सदस्यों को भी निर्देशित करें कि इस प्रकार की इम्बरेसमेण्ट की बात न की जाए। मैं चेयर की अनुज्ञा से बोल रही हूँ और यह मुझे अधिकार भी है। जब माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं तो इधर के लोग बैठ जाते हैं हम नियमों के अनुसार ही बोलेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह एक गम्भीर प्रश्न है। मैंने प्रश्न पूछा कि कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनका समायोजन किया जा रहा है ? इसका उत्तर नहीं आया। कार्मिक और न्याय विभाग का क्या अभिमत है इसका उत्तर नहीं आया। सरकार कब तक समायोजन करेगी इसका उत्तर नहीं आया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का भाषण सुनने के लिए हम यहाँ पर थोड़े ही बैठे हैं।

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस तरह झल्लाकर आक्षेप लगाना अच्छा नहीं है इसलिए कार्यवाही से निकाल दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं स्पष्ट उत्तर देना चाहता हूँ कि अभी तक किसी का समायोजन नहीं किया गया है। यह रिपोर्ट 105 कर्मचारियों की बात करती है। कुल छँटनीशुदा कर्मचारी 708 थे। इसमें से कई ऐसे कर्मचारी हैं जो एक बड़ा भू–भाग उत्तर प्रदेश का हिस्सा इस समय है और इन 708 कर्मचारियों में वे भी शामिल हैं। इसलिए उत्तरांचल के कार्मिकों का ध्यान रखते हुए हमने कार्मिक और न्याय विभाग से इसका परीक्षण कराना उचित समझा और इसे हमने करवाया, क्योंकि उत्तरांचल के लोगों की रक्षा करने का दायित्व हमारा है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो संसदीय जाँच समिति की रिपोर्ट है उसे सदन के पटल पर रखने पर सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष–

वह रिपोर्ट तो पहले ही सदन के पटल पर रखी जा चुकी है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कोई आपत्ति नहीं है मैंने तो इतना कहा कि उत्तरांचल के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसमें कार्मिक और न्याय विभाग का परीक्षण करना आवश्यक था। जिसे हमने करवाया।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी कार्मिक और न्याय विभाग के अभिमत को सदन के पटल पर रखेंगे ? दूसरा ऐसे कर्मचारी जिनकी छँटनी नहीं होनी चाहिए थी उनकी भी छँटनी कर दी गयी क्या उन्हें सरकार बहाल करेगी ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जहाँ तक विभाग के अभिमत का प्रश्न है, तो जब शासन उस पर एक निर्णय ले लेगा तो हम निश्चित रूप से अपने निर्णय से आप को सूचित करायेंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, कब तक सूचित करायेंगे ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, शीघ्र ही करायेंगे। मान्यवर, दूसरे प्रश्न के जवाब में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसे लोग हैं जो छँटनीशुदा की श्रेणी में नहीं आते थे और किसी गलती की वजह से निकाल दिये गये तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि उनको हम जरूर वापस ले लेंगे।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, 21 नवम्बर, 2001 को जो रिपोर्ट दी वह सदन के पटल पर आ गई। मान्यवर, 8 महीने हो गये। मान्यवर, यह गम्भीर विषय है इसे हल्के से नहीं लेना चाहिए। मान्यवर, कई कर्मचारियों की जिन्दगी का सवाल है। तो क्या माननीय मंत्री जी ये बताना चाहेंगे कि जो शासन स्तर पर निर्णय लिया जाना है उसमें वह निर्णय कब तक आ जायेगा, कोई निश्चित अवधि बता दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कोई न कोई बहुत गम्भीर कारण रहे होंगे।

मान्यवर, माननीय सदस्यों की चिन्ता के साथ मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूँ, क्योंकि लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। हम हर सावधानी को बताना चाहते हैं, जिससे यह प्रकरण न्यायालय में न जाये। इसमें मैं आपको यह आश्वस्त कराना चाहता हूँ जो सेवा से जुड़े हुए प्रकरण हैं इसमें जो पक्ष प्रभावित होता है वह कोर्ट में चला जाता है। ऐसे प्रकरणों को मैं बहुत गम्भीरता से ले रहा हूँ मान्यवर, हो सकता है किसी प्रकरण से मैं संतुष्ट हूँ और उसको स्वीकार कर लूँ।

*2–श्री मदन कौशिक–

अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।

केदारनाथ धाम को मोटर मार्ग से जोड़ने की योजना

*3—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम को मोटर मार्ग से जोडने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त धाम को मोटर मार्ग से जोड दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं।

पूर्व में इस मार्ग के निर्माण का प्रकरण शासन के विचाराधीन था किन्तु वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्रस्तावित मार्ग वन क्षेत्र कस्तूरी मृग बिहार के अन्तर्गत आता है जिस पर मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निर्माण प्रतिबन्धित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्रीमती आशा नौटियाल—

मान्यवर, पूरे उत्तरांचल का अधिकतम भू–भाग वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यदि ऐसे प्रतिबन्ध लगे रहते हैं तो हमारे गाँव की जो महिलाएं हैं जो जंगल में जानवरों के लिए घास, खाना बनाने के लिए लकड़ी आदि के लिए जाती हैं, आज उनमें रोष व्याप्त है। क्या प्रदेश सरकार इस सम्बन्ध में क्षेत्र के विकास को मद्देनजर रखते हुए कुछ करने जा रही है ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, प्रश्न ठीक है। 30 अक्टूबर, 2001 को वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से इस मार्ग के निर्माण के लिए क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में जो तथ्य सामने आये है : प्रस्तावित 21 किमी0 मार्ग गौरीकुण्ड वन पंचायत क्षेत्र तथा 3 किमी0 आरक्षित क्षेत्र पड़ता है। सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र 24 कि0मी0 मार्ग वन क्षेत्र कस्तूरी मृग विहार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। 13 नवम्बर, 2002 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इसमें कोई निर्माण कार्य न हो। मान्यवर, राज्य सरकार ऐसे सभी वन क्षेत्र के प्रकरण, जो सुप्रीम कोर्ट में लम्बित हैं, उस पर पैरवी कर रही है, जिसमें हम सफल होंगे उस पर निर्माण कार्य कराया जायेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीया सदस्या ने जो जिज्ञासा जाहिर की है उस पर भी ध्यान देने की बात है। ये प्रकरण बहुत गम्भीर है। जिसको मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। 1997 में कोई संस्था सुप्रिम कोर्ट में गयी उसने यह शिकायत की कि राज्य सरकारें वन संरक्षण अधिनियम का खुला उल्लंघन कर रही हैं, उनको रोका जाय। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पक्ष बनाकर सुना। सभी राज्यों को सुन लिया दुर्भाग्य से उस समय हमारा अलग राज्य नहीं था। हिमाचल, अरुणाचल, मेघालय, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों को सुनने के बाद जो हक हकूक हो सकते, उन राज्यों को बहुत सारी सुविधाएं दी लेकिन दुर्भाग्य से हम उत्तर प्रदेश में थे और दार्जिलिंग का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में था हमें वे सुविधाएं नहीं मिली जो अन्य पहाड़ी राज्यों को मिली। यदि उस वक्त हमारा अलग राज्य होता तो हमें भी ये सुविधाएं प्राप्त होती। हमने उस समय सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना की कि हमको भी पक्ष बनाकर सुन लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप पहले उ0प्र0 के वन विभाग के माध्यम से आइये, हमने वन विभाग के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र दिया परन्तु इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, अब हमारा एक अलग राज्य है मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तथा माननीय वन मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि आप हिमाचल प्रदेश सरकार से पूछें कि आपने क्या–क्या बिन्दु रखे थे, जिन पर उनको वे सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। हिमाचल प्रदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट की छाया प्रति मँगा लीजिए उसके बाद आप भी उच्चतम न्यायालय में जाइये, और उत्तरांचल को ये सारी सुविधाएं दिलाने का प्रयास करें, जो अन्य पहाड़ी राज्यों को प्राप्त हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हमें स्वीकार्य है, जैसा उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा वह करेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, काशी सिंह ऐरी जी ने प्रश्न उठाया, यह सरकार की जानकारी में न हो। आपको यह जानकारी है कि पहली सरकार में इस विषय पर काम आगे हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में तैयार की गई है। हिमाचल और अन्य प्रदेशों के डाक्यूमेन्ट मँगा लिये हैं।

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ठीक है आपको यह भी पता है, कि यहाँ वन विभाग के अन्दर जो कुमाऊँ और गढ़वाल के प्रश्न हैं वह आपके समय में हुए हैं। वह सभी पत्रावलियाँ हिमाचल प्रदेश से मँगायी जायेंगी, इस उच्च स्तरीय बैठक में भारत सरकार के सचिव भी आ रहे हैं। जहाँ तक वन विभाग की स्वीकृति का विषय है तो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है, इसमें एक कठिनाई कुमाऊँ और गढ़वाल की सड़कों को जोड़ने में जहाँ पर आपत्तियाँ खड़ी हैं, यह हमारी आवश्यकता है, हमें उसमें जाना होगा, जिससे हम सड़कों और मार्गों का निर्माण भी कर सकें।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, लोक निर्माण मंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तरांचल की लगभग सभी सड़कें वन क्षेत्रों से होकर बनायी जाती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कई बार लोक निर्माण के द्वारा सर्वे कर दी जाती हैं, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग

का संयुक्त सर्वे हो जाता है और उसे लम्बित छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उसमें वर्षों लग जाते हैं। जब विभाग को दोबारा स्टीमेट भेजते हैं तो 10 वर्ष सड़क को बनने में लग जाते हैं। क्या वन विभाग और लोक निर्माण विभाग का संयुक्त कार्यक्रम किया जा सकता है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, अभी सूचना नहीं दे सकते, क्योंकि यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं था। हमें बहुत अधिक मामलों में केन्द्र सरकार से निर्माण कार्य की स्वीकृति मिल गई है और जो मामले लम्बित हैं, उनको देख रहे हैं। इस प्रश्न में एक विशेष चीज है, जब कोई मार्ग सेन्चुरी से गुजर रहा है उसमें केन्द्र सरकार की स्वीकृति नहीं मिलती है तो उसमें हमें कठिनाई होती है। रिजर्व फारेस्ट के केसेस में काफी स्वीकृति मिली है जो निश्चित रूप से सराहनीय है।

जनपद हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र के गाँवों में पानी की किल्लत

*4–श्री तसलीम अहमद–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि लालढांग, विधान सभा क्षेत्र जनपद हरिद्वार के लालढांग, डाल्लुपुरी आदि ग्रामों में पीने के पानी की भारी किल्लत है ?

यदि हाँ, तो क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान हेतु विभाग के पास कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो वह योजना क्या है ?

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

लालढांग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लालढांग ग्राम समूह पेयजल योजना से क्षेत्र के 4 राजस्व ग्राम एवं उनके 10 पुरवों को पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है। चमरिया डालुपूरी पुरवा भी इनमें सम्मिलित है। इस क्षेत्र की कुछ बस्तियों में विस्तार हो गया है इन विस्तारित बस्तियों में जलपूर्ति की कुछ कमी है जिसके लिए पाइप लाइन विस्तार की योजना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त इन बस्तियों में 35 नग इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प भी अधिष्ठापित हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री तसलीम अहमद–

मान्यवर, लालढांग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लालढांग ग्राम समूह पेयजल योजना से क्षेत्र के 4 राजस्व ग्रामों एवं उनके 10 पुरवों को पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है यह माननीय मंत्री जी ने अभी यहाँ पर बताया। मान्यवर, लालढांग क्षेत्र कम से कम 15 कि०मी० तक फैला हुआ क्षेत्र है जिसमें कई गाँवों के अन्दर पानी का समुचित इंतजाम नहीं है, वहाँ कि निवासियों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। जिसकी

दूरी कम से कम दो कि0मी0 तक होगी। एक टंकी है, जो वर्तमान में बंद पड़ी है, उस टंकी से पानी नहीं मिल पा रहा है, उसका कारण यह है कि उस पर जो बिजली की लाइन जुड़ी हुई है, वह कोटद्वार से जुड़ी है, जब भी आँधी तूफान आता, वहाँ के पेड़ों के टूट जाने के कारण बिजली की लाइनें टूट जाती हैं, और 10–10 दिन तक लाइन नहीं जुड़ती है, जिससे कई दिन तक पानी नहीं मिलता है। तो मेरा यह कहना है कि पेयजल का इंतजाम किया जाये।

चौधरी यशवीर सिंह–

मान्यवर, यह जो पेयजल की समस्या है वह केवल लालढांग विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं है, यह पूरे हरिद्वार की समस्या है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इसका निदान करने के लिए कुछ हैण्ड पम्पों की व्यवस्था होनी चाहिए, हैण्ड पम्पों की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी, जिससे पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यह 15 कि0मी0 की परिधि का क्षेत्र है मैं इस सम्बन्ध में जानकारी देना चाहता हूँ कि जिला योजना में लगभग 14 कि0मी0 पाइप लाइन के विस्तारीकरण की योजना प्रस्तावित है इसके बन जाने पर सम्बन्धित क्षेत्र में जलापूर्ति हो जायेगी। माननीय सदस्यों ने एक जानकारी और चाही है। पानी की कमी को देखते हुए हैण्ड पम्पों के निर्माण के बारे में है। उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की यह सर्वोच्च प्राथमिकता है सभी को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। मैं आपके माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी पानी की किल्लत होगी वहाँ हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति दे दी जायेगी।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में यह एक गम्भीर प्रश्न है, पूरे हरिद्वार जनपद में आज पीने के पानी की भारी किल्लत है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि लालढांग क्षेत्र में 35 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प और 2 नलकूप हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन 35 में से यदि 2 या 3 भी हैण्ड पम्प मुश्किल से चल रहे हों, तो बहुत बड़ी बात है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न की गम्भीरता पर 2 दिन पहले भी चर्चा हुई थी, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर सरकार की तरफ से नहीं आया। पूरे हरिद्वार में पीने के पानी की स्थिति यह है कि 30 रुपये में एक बिसलरी की बोतल खरीदने के लिए लोग मजबूर हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न पूछें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जो हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं, क्या उनको ठीक कराने की कोई योजना सरकार ने बनायी है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, लगता है माननीय सदस्य को गलत सूचना प्राप्त हुई है। मेरी स्पष्ट जानकारी में है कि 36 के 35 हैण्ड पम्प में पानी आ रहा है। पूरे जनपद में अस्थाई रूप से निवास करने वाले लोगों के लिए 69.03 एम0एल0डी0 की आवश्यकता है, और वह करीब–करीब पूरी हो रही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जितने भी हैण्ड पम्प खराब हों, आप उनकी सूची दे दें, हम उनको ठीक करा देंगे।

सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट योजना बहाल करने पर विचार

5–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ग्राम्य विकास एवं पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्व की भाँति सार्वजनिक पोस्ट योजना को सरकार बहाल करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

पेयजल योजनाओं में सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट (जल स्तम्भ) लगाये जाने पर कोई रोक नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पेयजल योजनाओं में सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट लगाए जाने पर कोई रोक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उत्तरकाशी में सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट लगाए जाने पर रोक लगा दी गयी है। वर्तमान में 5 परिवारों के लिए एक कनेक्शन की व्यवस्था चल रही है और 2000 रुपया कनेक्शन फीस ली जा रही है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, पहली बात तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट पर रोक लगाने का कोई भी आदेश विभाग द्वारा अथवा शासन द्वारा न पूर्व सरकार ने दिया और न ही वर्तमान सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है दूसरा जैसा आपने कहा 5 परिवारों के बीच एक स्टैण्ड पोस्ट लगाया जा रहा है, इसको स्टैण्ड पोस्ट का दर्जा दिया गया है, यह इस आशय से लगाए गए कि इनके रख–रखाव की जिम्मेदारी 5 परिवारों की होगी। सार्वजनिक रूप से ग्राम सभाओं की माँग पर इनको लगाया गया है। स्टैण्ड पोस्ट के रख–रखाव की जिम्मेदारी जल संस्थान की होती है और कम से कम 250 परिवारों के बीच इसके लगाने की व्यवस्था पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी स्टैण्ड पोस्ट को बन्द करने के लिए कोई आदेश नहीं दिए गए, लेकिन हकीकत यह है कि जनपद उत्तरकाशी में अधिकांश गाँवों में पूर्व की व्यवस्था को बन्द करवा दिया गया और नए कनेक्शन के लिए कहा गया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस सम्बन्ध में जाँच के आदेश दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया कि उनकी जानकारी में कोई स्पेसिफिक स्टैण्ड पोस्ट हो जो बन्द करा दिया गया हो तो आप मुझे बतायें, उसे पुनः स्थापित कर दिया जाएगा।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मेरी जल संस्थान के महा–प्रबन्धक से स्वयं बात हुई है, उन्होंने कहा कि स्टैण्ड पोस्ट नहीं देंगे, यह हमारी कमेटी ने निर्णय ले लिया है और हमने एक नयी योजना चलाई है जिसके अन्तर्गत 2000 रुपए जमा करके कनेक्शन दिया जायेगा और माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसा कोई शासनादेश नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में अधिकारियों को आदेशित करें। 2000 रुपए गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। हमारी सरकार एक कल्याणकारी सरकार है। जो गरीब हैं, जो निराश्रित हैं उसकी चिन्ता करना सरकार का अहम् दायित्व है, आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि यदि ऐसा हुआ है, मेरी जानकारी में है, जल संस्थान के महा–प्रबन्धक से बात हुई है, उन्होंने बताया है तो आप इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करते हुए सही स्थिति से अवगत कराने की कृपा करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आपको महा–प्रबन्धक ने बताया और मुझे महा–प्रबन्धक और सचिव ने भी बताया। कल भी बताया और आज भी बताया। बहरहाल जो जानकारी मुझे दी गयी। यदि इस प्रकार का कोई भी प्रकरण कहीं भी हो तो मुझे बता दें, उसका निस्तारण कर लिया जाएगा। और यह भी घोषणा करता हूँ कि इसको बन्द नहीं किया जाएगा, भविष्य में भी स्टैण्ड पोस्ट लगते रहेंगे। कम्युनिटी कनेक्शन की जो दूसरी बात है, मैंने पहले भी कहा कि एक व्यवस्था पानी को कैसे बेहतर रखा जाए इस आधार पर नई योजना को बनाया गया था, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि यह पहली वाली योजना बन्द हो गयी और इसे हमने प्रारम्भ कर दिया।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, अभी पहले प्रश्न में भी यही था कि अधिकारी विधायकों से कुछ कहते हैं और माननीय मंत्री जी से कुछ और कहते हैं और माननीय मंत्री जी को भी लगता है कि अधिकारी ने उत्तर दे दिया तो बाकी कुछ जरूरत ही नहीं। मैं समझता हूँ कि आपकी पीठ से 2 प्रश्न इस तरह के आ गये हैं और यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इसका सीधा अर्थ यह है कि कहीं भी सामंजस्य नहीं है, तालमेल नहीं है और माननीय नेगी जी के

उत्तर से तो मुझे लगता है कि उन्होनें कोई निर्देश दिए ही नहीं। मान्यवर, सचिव क्या कह रहा है महा-प्रबन्धक क्या कर रहा है यह प्रश्न नहीं है। होना यह चाहिए कि सरकार क्या चाहती है। तो इसके मायने तो "रूल ऑफ लॉ" है ही नहीं। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्रीगणों को यह निर्देश दे दें कि अधिकारियों से वे यह अपेक्षा करें कि सरकार जो चाहती है वे उसे कर रहे हैं या नहीं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

मान्यवर, एक बात यह स्पष्ट कर दूँ कि हमारी सरकार की यह नीति है कि जो स्टैण्ड पोस्ट हैं वे यथावत बने रहेंगे और आगे भी लगते रहेंगे। थोड़ी भ्रान्ति हो गयी थी आपने महा-प्रबन्धक का जिक्र किया था, मैं भी इसी का जिक्र कर रहा हूँ। और यह सवाल आज से नहीं पिछले 03 माह से चला आ रहा है और मैं आज जहाँ भी जाता हूँ स्टैण्ड पोस्ट को अपने हाथ से खोलकर देखता हूँ।

श्री नारायण पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, कभी पायरिला कीट की बात होती है, कभी स्टैण्ड पोस्ट की बात होती है, कभी उत्तरांखण्ड आन्दोलन के घायलों और मृतकों की बात होती है। मैंने देखा है समय-समय पर जो सरकार की ओर से सूचना आती है तो ऐसा लगता है कि उसमें अविश्वसनीयता बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया प्रश्न करें।

श्री नारायण पाल-

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जो उत्तर आये वह तार्किक हो।

प्रदेश में पेयजल के संकट को देखते हुए कार्य योजना बनाने पर विचार

*6-श्री बिशन सिंह चुफाल-

क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में पेयजल के स्रोतों में पानी कम होता जा रहा है ?

क्या सरकार पेयजल के संकट को देखते हुए कोई कार्ययोजना बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो वह योजना क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

जी हाँ।

जी हाँ।

पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु दशम् पंचवर्षीय योजना में रु0 1800.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है। इस योजना के स्वरूप एवं प्रक्रिया के निर्धारण हेतु शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि योजना के स्वरूप एवं प्रक्रिया के निर्धारण हेतु शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जिस समिति का गठन किया गया है, उसमें कुल कितने सदस्य होंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जल स्रोतों के जल स्राव में निरंतर कमी आ रही है, यह चिन्ता का विषय है और पिछले कुछ समय में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें पाया गया 33 प्रतिशत जल स्राव में कमी आई है इसकी गम्भीरता को देखते हुए प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। इस समिति में कुल 11 सदस्य होंगे।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, समिति कब तक अपनी रिपोर्ट देगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, इस समिति को गठित करने का उद्‌देश्य था कि हमारे पूर्व पर्वतीय क्षेत्र में कभी भू–स्खलन होता है, कभी भूकम्प आ जाता है, कभी प्लांटेशन कम होने की वजह से जलस्राव कम होता है। इसलिए इस कमेटी का गठन किया गया है कि यह उनके मुख्य कारणों को जानने का प्रयास करेगी, यह भी जानकारी करने का प्रयास करेगी कि किन–किन कारणों से जलस्राव में कमी आ रही है। और इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है।

फॉरेस्ट रेन हार्वेस्टिंग के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जायेगा। नये खोल बनाए जायेंगे जहाँ पर ग्रेविटी के स्रोत हैं वहाँ पर प्लांटेशन और वैजीटेशन के माध्यम से जल संवर्धन के लिए कोशिश करेंगे।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, उत्तरांचल के कई स्थान ऐसे हैं, जहाँ पानी नीचे से आता है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति है तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे स्थानों पर जहाँ पानी नीचे से आता है। इस बिन्दु को भी इस जाँच समिति के अन्तर्गत रखेंगे या इसके लिए कोई योजना सरकार ने बनाई है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है इनके सुझाव को भी हम इस समिति के पास भेज देंगे। हमारी कोशिश है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पानी के स्रोत हैं, उनके संवर्धन का हम काम करेंगे, यही उद्‌देश्य इस समिति का है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हमारे उत्तरांचल में गंगा, यमुना और शारदा नदी बहती हैं फिर भी हम प्यासे हैं। जहाँ पर प्राकृतिक स्रोत बिल्कुल सूख गए हैं क्या ऐसे स्थानों पर जलापूर्ति के लिए आप लिफ्ट योजना बना रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे गाँव हैं जहाँ अभी भी लोग चार या पाँच किमी0 दूर से पानी लाते हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना के माध्यम से पानी उपलब्ध करायेंगे। 2004 तक प्रत्येक गाँव को पानी पहुँचाने का हमारा लक्ष्य है। हम पम्पिंग योजना के माध्यम से भी पानी उपलब्ध करायेंगे।

देहरादून में स्थायी पेयजल योजना बनाने का प्रस्ताव

*7–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजधानी देहरादून में बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए कोई स्थायी पेयजल योजना बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ। देहरादून में बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए बीजापुर कैनाल से 12 एम0एल0डी0 पेयजल आपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार की सहायता से रू0 500.00 लाख की योजना स्वीकृत की जा चुकी है। योजना के कार्य चालू वित्तीय वर्ष में ही शुरू होने की सम्भावना है। चालू वित्तीय वर्ष में देहरादून के नगरीय क्षेत्रों के लिए 04 नये नलकूप भी स्वीकृत किये गये हैं इसके अतिरिक्त पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु सौंग नदी पर बाँध बनाकर पेयजल आपूर्ति की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, देहरादून राजधानी बनने के बाद आबादी में निरंतर वृद्धि हो रही है तो क्या माननीय मंत्री जी जलापूर्ति के लिए तात्कालिक कोई व्यवस्था कर रहे हैं ? यदि हाँ तो वह क्या है ? जिन चार ट्यूबवेल के बारे में आपने बताया है वह कहाँ–कहाँ पर हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, रिस्पना पुल के पास, शास्त्री नगर में ट्यूबवेल बन गया है, सरस्वती बिहार में प्रस्तावित है, जनरल महादेव सिंह रोड पर प्रस्तावित है, सहस्त्रधारा में प्रस्तावित है। ये स्वीकृत हो चुके हैं और इन पर पूरी धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है। देहरादून की निरंतर आबादी को बढ़ते देखते हुए हम बीजापुर कैनाल से 12 एम0एल0डी0 पानी उपलब्ध करा रहे हैं। यह योजना 1995 में स्वीकृत हो चुकी थी और

1995 से लेकर आज तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ परन्तु हमने तीन माह में इसे किया है इसके लिए कमाण्ड ऐरिया की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है. सेन्ट्रल कमाण्ड से भी इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सौंग नदी पर हमने ओ0एन0जी0सी0 से सर्वे करवाया था इसके माध्यम से भी हम पानी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। विजय कालोनी में जो ट्यूबवेल ड्राईअप हो गया था उसे रिबोरिंग हम कर रहे हैं इसी तरह कनक सिनेमा हाल के पास ट्यूबवेल ड्राईअप हो गया था उसकी भी रिबोरिंग की व्यवस्था है। साढे तीन साल पहले सिचाई विभाग के ट्यूबवेल तथा जल संस्थान द्वारा जो ट्यूबवेल तैयार किया था उसे हमने तीन महीने में ही पूरा कर दिया है. बस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बाकी है हम इससे जल्द ही पानी देना शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त।

नाप खेतों के पेड़ों के कटान सम्बन्धी नियमों में सरलीकरण किये जाने पर विचार

*8–श्री अजय भट्ट, श्री शहजाद एवं श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि अपने नाप खेतों से उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों के लोग स्वीकृति के बाद अपने प्रयोग हेतु पेड़ काट सकते हैं ?

क्या यह सही है कि सरकार नाप खेतों के पेड़ों के भी वन निगम के माध्यम से कटवाने की योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों के हित को देखते हुए नाप खेत के पेड़ों को कटवाये जाने सम्बन्धी नियमों में सरलीकरण किये जाने पर विचार करेगी। ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

एतद्सम्बन्धी नियमों को सरलीकृत करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

जनपद हरिद्वार में पूर्व विधायकों की विधायक निधि से स्वीकृत अधूरे कार्यों को पूरा कराना

*9–काजी निजामुद्दीन–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में पूर्व विधायकों की विधायक निधि से स्वीकृत कितने विकास कार्यों का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ?

नोट :– तारांकित प्रश्न संख्या–7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

क्या सरकार इन अधूरे कार्यों को पूरा करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

कुल ग्यारह कार्य।

जी हाँ।

कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार स्थित ग्राम बादशाह उर्फ पासपुर के नाले पर पुल निर्माण की योजना

*10–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या लोक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ब्लाक खानपुर जनपद हरिद्वार स्थित ग्राम बादशाह उर्फ पासपुर के नाले पर पुल निर्माण हेतु शासन की कोई योजना है?

क्या सरकार को जानकारी है कि इस स्थान पर हमेशा दुर्घटनायें होती रहती हैं तथा निकटवर्ती 21 गाँवों के निवासियों को जन–धन की क्षति उठानी पड़ती है ?

क्या सरकार जनहित में उक्त पुल का निर्माण करायेगी ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हाँ।

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।

कुमाऊँ तथा गढ़वाल मण्डल में लीसा बिक्री नीति बनाये जाने की जानकारी

*11–श्री मातबर सिंह कण्डारी एवं श्री गणेश प्रसाद गोदियाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमाऊँ तथा गढ़वाल मण्डल के वन विभाग के डिपो में कितना कुन्तल लीसा जमा है तथा वर्ष 2001–2002 में कितने कुन्तल लीसा की बिक्री हुई ?

क्या यह सत्य है कि वन विभाग के डिपो में बड़ी मात्रा में लीसा पड़ा है तथा प्रदेश में लीसा फैक्ट्री मालिक लीसा न मिलने के कारण परेशान हैं?

यदि हाँ, तो क्या लीसा बिक्री नीति बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

दिनांक 31 मई, 2002 की स्थिति के अनुसार कुमाऊँ तथा गढ़वाल मण्डल के विभिन्न लीसा डिपो में कुल 99,893 कुन्तल लीसा जमा है। वर्ष 2001–2002 में कुल 1,05,394 कुन्तल लीसे की बिक्री/निस्तारण हुआ है।

जी नहीं। लीसा फैक्ट्री मालिकों को लीसा न मिलने के कारण परेशानी विषयक कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य में लीसा आबंटन एवं वितरण नीति दिनांक 5 फरवरी, 2001 लागू है।

*12–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।

नगर निगम, नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में सफाई कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में

*13–श्री हरबंस कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में क्षेत्र के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

नगर निगम, नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचारियों की तैनाती हेतु मानक निर्धारण कने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मानक निर्धारित कर दिए जाएंगे।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सीवर डिस्पोजल बेस प्रोजेक्ट रुड़की में लगाने का प्रस्ताव

*14–श्री सुरेश चन्द जैन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सीवर डिस्पोजल बेस प्रोजेक्ट

रुड़की शहर जनपद हरिद्वार में लगाने की व्यवस्था सरकार कर रही है जिससे गैस का उत्पादन होगा गैस से टूबाइन के द्वारा बिजली का निर्माण किया जा सकता है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

*15–श्री दिनेश अग्रवाल–

द्वितीय गुरुवार के तारांकित 9 में स्थानान्तरित।

प्रदेश में पेयजल समस्या के निदान हेतु कार्य योजना

*16–श्री योगम्बर सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पेयजल समस्या के निदान हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

प्रदेश में दिनांक 1–4–2002 को 1015 बस्तियों को जलापूर्ति से आच्छादित किया जाना अवशेष है जिनमें से वित्तीय वर्ष 2002–03 में 77 असेवित व 502 आंशिक सेवित एवं वित्तीय वर्ष 2003–04 में 30 असेवित व 406 आंशिक सेवित बस्तियों का जलापूर्ति से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

मार्च, 2004 तक कार्यान्वित करने का लक्ष्य है।

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत दैनिक मजदूरों को नियमित किए जाने की कार्यवाही

*17–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या लोक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में कार्यरत दैनिक/अस्थायी मजदूरों की संख्या उत्तरांचल में कितनी है ?

क्या इन दैनिक श्रमिकों को नियमित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हाँ, तो कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

उत्तरांचल राज्य में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अनियमित कार्य प्रभारित

अधिष्ठान में 3570 तथा दैनिक वेतन में 398 अर्थात् कुल 3968 कर्मचारी कार्यरत हैं।

नियमितीकरण की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश से घुमन्तू गड़रियों के टिहरी गढ़वाल में आने से होने वाले नुकसान को रोकने हेतु उपाय

*18–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश से घुमन्तू गड़रियों के टिहरी गढ़वाल में आने से इस जनपद के बुग्यालों को भारी क्षति हो रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन घुमन्तू गड़रियों से होने वाले नुकसान को रोकने हेतु कोई उपाय कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

हिमाचल प्रदेश के घुमन्तू गड़रियों को टिहरी गढ़वाल के वन क्षेत्रों में चरान चुगान की अनुमति नहीं दी जाती है, अतः उनके द्वारा बुग्यालों को क्षति पहुँचाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न

आगामी वर्ष 2004 में होने वाले अर्द्ध कुंभ हेतु बजट की व्यवस्था

1–श्री मदन कौशिक–

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 में सम्पन्न हुए कुम्भ मेले का बजट कितना था और आगामी 2004 में होने वाले अर्द्ध–कुम्भ में सरकार कितने बजट की व्यवस्था करने जा रही है ?

उस कुल बजट का कितना भाग स्थायी और कितना अस्थायी कार्यों के लिए होगा ?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ, वर्ष 1998 में सम्पन्न हुए कुम्भ मेले के लिए रु0 10,351.96 लाख का बजट आवंटित किया गया था। आगामी अर्द्ध–कुम्भ हेतु वित्तीय वर्ष 2001–2002 में रु0 10.00 करोड़ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त हुआ है तथा रु0 5.00 करोड़ लेखानुदान के माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु प्राप्त हुआ है। योजनायें विकासाधीन हैं। तद्नुसार बजट

की व्यवस्था की जायेगी। नितान्त अपरिहार्य कार्यों को छोड़कर अवशेष समस्त कार्य स्थायी कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। स्थायी निर्माण का लक्ष्य कुम्भ के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए अवस्थापना सुविधायें बनाया जाना है।

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत लक्सर सोलानी नदी पर निर्मित पुल का कर वसूली का ठेका दिये जाने के सम्बन्ध में

2-कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार तहसील लक्सर के अन्तर्गत सोलानी नदी पर विभाग द्वारा निर्मित पुल पर कर वसूली के लिये ठेका दिये जाने का विषय शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि इस पुल के निर्माण की लागत वसूल हो चुकी है ?

यदि हाँ, तो इस पुल के कर की वसूली के लिये पुनः ठेका दिये जाने का औचित्य क्या है ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अल्मोड़ा जिले के रानीखेत तहसील के गंगास नदी पर मोटर पुल के उपयोग हेतु ड्योडाखाल सिलोर महादेव मोटर मार्ग का निर्माण

3-श्री अजय भट्ट-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि अल्मोड़ा जिले की रानीखेत तहसील के तिपोला नामक स्थान पर लगभग 20 वर्ष पूर्व गंगास नदी पर मोटर पुल बनाया गया था ?

यदि हाँ, तो इस पुल के उपयोग हेतु ड्योडाखाल सिलोर महादेव मोटर मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश-

जी हाँ।

10 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण पूर्ण है। अवशेष मार्ग का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

जनपद पिथौरागढ़ में नामिक के पास राम गंगा नदी में झूला पुल का निर्माण

4—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में नामिक के पास रामगंगा नदी में झूला पुल बह जाने से पर्यटक तार के सहारे नदी पार कर रहे हैं ?

क्या सरकार यथाशीघ्र जनहित में झूला पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

"डॉ0" (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश—

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग पुरानाथल, तड़ीगाँव मोटर मार्ग में पुल निर्माण

5—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग पुरानाथल, तड़ीगाँव मोटर मार्ग में रामगंगा नदी में मोटर पुल का निर्माण न होने से पचास किलोमीटर अतिरिक्त चलना पड़ता है ?

क्या सरकार जनहित में इस मोटर पुल का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

"डॉ0" (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश—

जी हाँ,

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरांचल में वन संरक्षण नियमों के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़कों की स्वीकृति

6–श्री अजय भट्ट–

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल में वन संरक्षण नियमों के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की कितनी सड़कें स्वीकृति हेतु लम्बित हैं ?

इन्हें कब तक स्वीकृत करा दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

उत्तरांचल राज्य में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अपेक्षित स्वीकृति हेतु कुल 104 सड़कों के प्रस्ताव वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर लम्बित हैं।

वन भूमि पर सड़कों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलों में पत्रकार कल्याण निधि स्थापित करने की योजना

7–श्री प्रकाश पंत–

क्या सरकार उत्तरांचल के प्रत्येक जिले में पत्रकार कल्याण निधि स्थापित करने की योजना बनाने जा रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

"डॉ0" (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

राज्य स्तर पर यथाशीघ्र एक पत्रकार कल्याण निधि की स्थापना प्रस्तावित है, जिसके लिये विभागीय आय–व्ययक में प्राविधान भी कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में जल निगम द्वारा निर्मित होकरा पेयजल योजना

8–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पेयजल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में जल निगम द्वारा निर्मित होकरा पेयजल योजना से कुल कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं ? क्या बचे हुए परिवारों को इसका लाभ मिलेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनपद पिथौरागढ़ की होकरा पेयजल योजना द्वारा 100 तथा स्वजल द्वारा 20, कुल 120 परिवारों को लाभान्वित किया गया है तथा वर्तमान में कोई परिवार पेयजल से लाभान्वित करने हेतु शेष नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी में ज्ञानसू–सारन्ड ऊपरी कोट मोटर मार्ग को पूर्ण कराने हेतु धन का प्राविधान

9–श्री विजय पाल सिंह सजवाण–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी में ज्ञानसू–सारन्ड ऊपरी कोट मोटर मार्ग धनाभाव के कारण अपूर्ण है ?

क्या यह भी सत्य है कि उक्त मोटर मार्ग के पुनरीक्षित आगणन शासन द्वारा अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मोटर मार्ग को पूर्ण कराने हेतु यथाशीघ्र धन उपलब्ध करायेगी ?

"डॉ0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

जनपद उत्तरकाशी में स्यानाचट्टी–कुपड़ा मोटर मार्ग पर निर्माणाधीन सेतु धनाभाव के कारण रुका होने के सम्बन्ध में

10–श्री विजय पाल सिंह सजवाण–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद उत्तरकाशी में स्यानाचट्टी–कुपड़ा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में निर्माणाधीन सेतु का सुरक्षात्मक कार्य धनाभाव के कारण रुका हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त के निर्माण हेतु धन उपलब्ध करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

"डॉ0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

सुरक्षात्मक कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि अन्य कार्यों में व्यय कर दी गई है जाँच के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में आदेचौरा लेकघार हल्का मोटर मार्ग का रख-रखाव

11—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में आदेचौरा लेकघार हल्का वाहन मोटर मार्ग का निर्माण वर्ष 1997—98 में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा बनाया गया था ?

यदि हाँ, तो उक्त मार्ग का रख—रखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नहीं है।

जनपद रुद्रप्रयाग की पट्टी बछणस्यूँ के अन्तर्गत विभिन्न गाँवों में पेयजल की गम्भीर स्थिति

12—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या पेयजल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग की पट्टी बछणस्यूँ के अन्तर्गत ग्राम आरस्यूँ पौडीखाल निसँगी धारकोट बणसों में गम्भीर पेयजल संकट है ?

क्या सरकार उक्त ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्य योजना शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

गम्भीर पेयजल संकट नहीं है, परन्तु जलापूर्ति में कमी है।

जी हाँ।

इन ग्रामों की पेयजल योजनाओं में जीर्णोद्धार के कार्य प्रगति पर हैं, जिसके पूर्ण होने पर जलापूर्ति सुचारू हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग की पट्टी तल्ला नागपुर के अन्तर्गत खड़पत्या आदि गाँवों में पेयजल संकट

13—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या पेयजल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग की पट्टी तल्ला नागपुर के अन्तर्गत खड़पत्या, डोन्डिक, मैंसगाँव, चापड़ गढ़मिल एवं गंधारी में गम्भीर पेयजल संकट हो गया है ?

उक्त ग्रामों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कोई कार्य योजना शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

वर्तमान में मैंसगाँव, चापड़ गढ़मिल, खड़पत्या एवं गन्धारी में गम्भीर पेयजल संकट नहीं है। किन्तु पानी की कुछ कमी है।

जी हाँ।

पूर्व निर्मित तल्ला नागपुर पेयजल योजना को सौरगढ़ गंधरा गुरुत्व श्रोत से जोड़कर जलापूर्ति में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

14—श्री मातबर सिंह कण्डारी एवं श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

द्वितीय बुद्धवार के अता0 13 में स्था0।

कारगिल शहीदों की स्मृति में नामित सड़कों के डामरीकरण

15—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि कारगिल शहीदों की स्मृति में जिन सड़कों का शहीदों की स्मृति में नामकरण किया गया था ? उनका डामरीकरण कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

''डा0'' (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश—

जी हाँ।

उत्तरांचल में कुल 32 मार्गों का नामकरण कारगिल शहीदों की स्मृति में किया गया था, जिसमें 8 मार्गों को डामरीकृत कर दिया है तथा 18 मार्गों पर डामरीकरण की स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष छः मार्गों के डामरीकरण की स्वीकृति विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के पोखरी विकास खण्ड के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत कुजासू मोटर मार्ग का निर्माण

16–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के पोखरी विकास खण्ड के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत 3 कि0मी0 कुजासू, पैंजी, सरणा, ऐरास मोटर मार्ग पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

प्रश्नगत मार्ग शासनादेश दिनांक 15–11–99 द्वारा हल्का वाहन मार्ग के रुप में स्वीकृत हुआ था। उत्तरांचल शासन के शासनादेश दिनांक 29–10–2001 द्वारा हल्का वाहन मार्गों का निर्माण बन्द कर दिया गया है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर मोटर मार्ग के निर्माण पर विचार किया जायेगा।

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 कि0मी0 नई सड़कों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र में एक झूला पुल के निर्माण के सम्बन्ध में शासनादेश

17–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि उत्तरांचल सरकार द्वारा दिसम्बर, 2001 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र मे 10 कि0मी0 नई सड़कों का निर्माण तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में एक झूला पुल के निर्माण सम्बन्धी शासनादेश जारी किया गया था ?

यदि हाँ, तो इन सड़कों एवं पुलों का निर्माण कब तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

दिसम्बर, 2001 में कुल 147 नई सड़कों तथा 18 नये झूला पुलों/पुलों की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रतीक धनराशि का प्राविधान किया गया था जिसमें से 07 पुलों के निर्माण हेतु स्वीकृति निर्गत की गई थी।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

चमोली जनपद के विकास खण्ड घाट के चुफूँला गधेरे पर झूला पुल निर्माण

18–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि चमोली जनपद के विकास खण्ड घाट में ग्राम सेती बगड़ के चुफूँला गधेरे पर बाढ़ से बने पुल के बह जाने से ग्राम सेती, माली लौखी, सरपानी एवं उस्तोली के आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया है ?

क्या सरकार पुनः चुर्फूला गधेरे पर झूला पुल निर्माण कराये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

19–श्री प्रकाश पन्त–

10–6–2002 को अता0 35 द्वारा उत्तरित।

जनपद पिथौरागढ के नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने से हुई क्षतिग्रस्त सड़कों व नालियों का पुनर्निर्माण

20–श्री प्रकाश पंत–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ के नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था ?

क्या यह सही है कि इस अभियान के कारण शहर के अन्दर की समस्त हाटमिक्स सड़कें तथा नालियाँ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं।

यदि हाँ, तो क्या सड़कें व नालियों का पुनर्निर्माण कराया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

जी नहीं।

अतिक्रमण से सड़कों की चौड़ाई बढ़ी है, जिसमें वर्तमान नालियों को हटाकर सड़क के अन्तिम किनारे पर बनाया जाना है, जहाँ पर अतिरिक्त स्थल से अतिक्रमण हटाया गया है, उस स्थल पर हाटमिक्स (डामरीकरण) किया जाना है।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है।

शीघ्र ही।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में जाटगंगा पर पुल निर्माण के कार्य की प्रगति

21–प्रकाश पंत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी में जाटगंगा में पुल निर्माण की स्वीकृति बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत हुई है ?

यदि हाँ तो स्वीकृति कब हुई ?

तथा वर्तमान में कार्य की प्रगति क्या है ?

''डा0'' (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

दिनांक 26–6–2000 को कि0मी0 7 पर 24 मीटर स्पान के पैदल लौह सेतु निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी किन्तु उक्त कि0मी0 पर सीमा सड़क संगठन द्वारा अपने विभागीय बजट से 100 फिट स्पान का हैवी मोटर सेतु का निर्माण कराये जाने के कारण उक्त पूर्व स्वीकृति सेतु की धनराशि जिलाधिकारी द्वारा निक्षेप में डाल दी गयी थी। पुनः जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा उक्त धनराशि से सीमान्त पथ छाँगला–जादुंग के कि0मी0 2 में 24 मीटर स्पान पैदल लौह पुल के निर्माण की स्वीकृति दिनांक 7–3–2002 को प्रदान की गयी ।

कि0मी0 7 पर सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 100 फीट मोटर सेतु के जुड़ान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तथा डेकिंग का कार्य प्रगति पर है।

देहरादून नगर निगम का सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित क्षेत्र

22–श्री हरबंस कपूर–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून नगर निगम का कुल कितना क्षेत्र सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित है ?

क्या शेष क्षेत्र को भी सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित करने हेतु शासन स्तर पर कोई योजना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

वर्तमान में देहरादून नगर निगम का लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र सीवर सुविधा से आच्छादित है।

जी हाँ।

देहरादून नगर निगम क्षेत्र को सीवरेज के नियोजन की दृष्टि से 13 जोन में विभाजित किया गया है। पूर्ण क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली कोट बधाणीखोड़ मोटर मार्ग का शीघ्र निर्माण

23–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में कोट बधाणीखोड़ मोटर मार्ग शासन के द्वारा स्वीकृत है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र करवायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हाँ।

2.75 कि0मी0 तक निर्माण कार्य पूर्ण है। अवशेष 8.25 कि0मी0 में वन भूमि में वृक्ष पातन के बाद निर्माण कार्य किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार अन्तर्राज्य बाईपास मार्ग पर ग्राम इमलीखेड़ा के पास नदी के ऊपर पुल निर्माण

24–श्री सुरेश चन्द जैन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि सहारनपुर से भगवानपुर ग्राम इमलीखेड़ा, चनौरी होते हुए हरिद्वार अन्तर्राज्य बाई पास मार्ग पर पड़ने वाली ग्राम इमलीखेड़ा के पास वाली नदी के ऊपर पुल न होने के कारण यातायात बाधित हो रहा है ?

क्या यह सत्य है कि यह बाई पास मार्ग पंजाब, हिमाचल तथा हरियाणा को हरिद्वार से सीधा जोड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्थान पर पुल निर्माण करायेगी ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।

उत्तरांचल के सुदूर वनों में कार्यरत मजदूरों के लिए पानी, आवास एवं बच्चों की शिक्षा व्यवस्था

25–श्री हरबंस कपूर–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के सुदूर स्थित वनों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए पीने का पानी, आवास एवं मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा के प्रबन्ध से सम्बन्धित कोई कार्य योजना सरकार द्वारा चलायी जा रही है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

वन क्षेत्र आबादी क्षेत्र से लगे होने के कारण वानिकी कार्यों हेतु मजदूर समीपस्थ गाँवों से उपलब्ध हो जाते हैं, अतः इनके लिए आवास एवं बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था पृथक से करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है, आवश्यकता होने पर पानी की व्यवस्था/सुविधा कार्य के दौरान वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

सुलभ इण्टरनेशनल पर बकाया धनराशि की वसूली

26–श्री हरबंस कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुलभ इण्टरनेशनल पर सरकार की कितनी धनराशि बकाया है ?

क्या मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि बकाया राशि कब और किस प्रकार वसूल की जायेगी।

श्री नव प्रभात–

उत्तरांचल राज्य गठन के बाद से अब तक सुलभ इण्टरनेशनल को जि0न0वि0अभि0 देहरादून द्वारा 3.70 लाख 27–4–2002 को दिया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जल निगम द्वारा निर्मित भवनों का जल संस्थान को हस्तान्तरण

27–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल निगम द्वारा किसी योजना के मद से निर्मित भवनों को योजना के स्थानान्तरण के समय इन भवनों को भी जल संस्थान को हस्तान्तरण किया जाता है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

पेयजल योजनाओं के मद से निर्मित भवनों का भी हस्तान्तरण योजना के साथ किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून स्थित इन्नामुल्लाह बिल्डिंग में चल रहे अवैध बूचड़खाने को हटाने पर विचार

28—श्री हरबंस कपूर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून के बीचों बीच स्थित इन्नामुल्लाह बिल्डिंग में चल रहे अवैध बूचड़खाने को हटाने हेतु कोई कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

जी हाँ।

नगर निगम नगर सीमा के बाहर बूचड़खाना स्थापित करने हेतु उपर्युक्त स्थान की तलाश की जा रही है। स्थान उपलब्ध होते ही बूचड़खाना नगर सीमा से बाहर स्थापित कर दिया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में अम्बेडकर गाँवों को जोड़ने के लिए सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य की जानकारी

29—श्री प्रकाश पंत—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ में 37 अम्बेडकर गाँवों को जोड़ने के लिए 31 सम्पर्क मार्गों तथा हल्का वाहन मार्गों की स्वीकृति वर्ष 1997 में दी गई थी ?

यदि हाँ, तो क्या निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

"डा०" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

जी हाँ।

एक कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा दस कार्य निर्माणाधीन हैं, बीस कार्यों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

14 कार्य वन भूमि की स्वीकृति न मिलने एवं छः कार्य संरक्षण विवाद के कारण प्रारम्भ नहीं किये जा सके हैं।

देहरादून स्थित रेसकोर्स राजकीय कालोनी का भवन संख्या 4/8 का अनाधिकृत अध्यासन

30—श्री नारायण राम आर्य—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री को जानकारी है कि रेसकोर्स स्थित राजकीय कालोनी देहरादून का भवन संख्या 4/8 अनाधिकृत अध्यासन है ?

यदि हाँ, तो इसको आदेश संख्या 172/एक–6/2002 दिनांक 1 अप्रैल, 2002 द्वारा आवंटित किये जाने का क्या औचित्य है ?

क्या सरकार उक्त अनाधिकृत अध्यासी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अधिकृत आवंटी को उक्त भवन का अध्यासन दिलायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्या कठिनाई है ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

अनाधिकृत रूप से अध्यासित अध्यासी का आवंटन निरस्त करते हुए उक्त आवास का आवंटन किया गया था।

आवास पूर्व अध्यासी द्वारा खाली कर दिया गया है।

स्वर्ण जयन्ती रोजगार तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत काम करने वाले व्यक्तियों की मजदूरी बढ़ाने पर विचार

31—श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत काम करने वाले व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी मजदूरी दी जाती है ?

क्या शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी कम है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजनान्तर्गत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना एक स्वरोजगार योजना है अतः इसमें मजदूरी भुगतान का प्रश्न नहीं। सुनिश्चित रोजगार योजना में प्रतिदिन मजदूरी रुपये 58.00 (रुपये अट्ठावन) मात्र दी जाती है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निर्बल आवास तथा इन्दिरा आवास योजना की पात्रता के मानक

32–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में निर्बल आवास तथा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सुविधा हेतु पात्रता के मानक क्या हैं ?

तो पात्र व्यक्तियों का चयन किस प्रकार किया जाता है ?

क्या सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि उक्त योजना का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिले ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

वर्तमान में प्रदेश में निर्बल आवास योजना लागू नहीं है। इन्दिरा आवास योजना में मुक्त बन्धुवा मजदूर, अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार, कार्यवाही के दौरान मारे गये रक्षा/अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की विधवाएं/परिवार, गैर अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार के वे आवास विहीन परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों, शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, सुरक्षा सेवाओं/अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारी, विकासात्मक परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए व्यक्ति, खानाबदोश, अर्द्ध–खानाबदोश तथा निर्दिष्ट आदिवासी, विकलांग सदस्यों वाले परिवार, बशर्ते ये परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हों पात्रता के मानक हैं।

ग्राम सभाओं द्वारा।

व्यवस्था पूर्व से ही लागू है।

प्रदेश में पेयजल संकट से ग्रसित ग्रामों को जल आपूर्ति की योजना

33–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने ग्राम पेयजल संकट से ग्रसित हैं ?

इन ग्रामों को जल आपूर्ति हेतु सरकार क्या कोई योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

प्रदेश में दिनांक 1–4–2002 को 107 असेवित व 908 आंशिक सेवित कुल 1015 बस्तियों में पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराया जाना शेष है।

जी हाँ।

इन बस्तियों को भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मार्च, 2004 तक पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में वन विभाग द्वारा रतूड़ा बौठा जीप मार्ग को वाहन चलाने योग्य बनाने हेतु

34—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में वन विभाग द्वारा रतूड़ा बौठा जीप मार्ग का निर्माण कराया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या यह मार्ग वाहन चलाने योग्य है ?

यदि नहीं, तो क्या उक्त जीप मार्ग को वाहन चलाने योग्य बनायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

वन विभाग में मार्ग को वाहन चलाने योग्य बनाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रथम विधान सभा गठन के पश्चात् मुख्यमंत्री, मंत्री तथा सचिव आवासों में सज्जा इत्यादि पर व्यय धनराशि

35—श्री प्रकाश पंत—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रथम विधान सभा के गठन के पश्चात् मंत्री आवासों, मुख्यमंत्री आवास तथा सचिव आवासों में विभिन्न मदों में कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सुसज्जित आवासों में वर्तमान में भी पुनर्रक्षण तथा सज्जा का कार्य चल रहा है ?

यदि हाँ, तो इन कार्यों का अनुमानित व्यय कितना है ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में नगर पंचायतों तथा नगरपालिका परिषदों के वित्तीय संकट को दूर करने के प्रयास

36—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नगर पंचायतों तथा नगरपालिका परिषदों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार इन स्वायत्त शासित संस्थाओं के वित्तीय संकट को दूर करने का प्रयास करेगी ?

श्री नव प्रभात—

जी हाँ।

जी हाँ।

शासन द्वारा निकायों को राज्य वित्त आयोग तथा 11वां वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

देहरादून में कालोनियों एवं बस्तियों में स्थित पार्कों के रख–रखाव की योजना

37—श्री हरबंस कपूर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून विधान सभा क्षेत्र में कालोनियों एवं बस्तियों में स्थित पार्कों को सुधारने एवं उनके रख–रखाव हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई जा रही है ?

यदि हाँ,, तो वह योजना क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभाव—

जी हाँ।

योजना प्रस्तावित है।

स्वयं सेवी संस्थाओं, स्थानीय संस्थाओं एवं पर्यटन, उद्यान तथा वन विभाग के साथ योजना पर विचार चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में कूटा पंद्रह पाला, राया, बजेला पेयजल योजना का पुनर्गठन निर्माण

38—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कूटा पंद्रह पाला, राया, बजेला पेयजल योजना पुनर्गठन निर्माण हेतु प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो इस योजना से कब तक पेयजल आपूर्ति की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। पूर्ण रूप से दो वर्ष में जलापूर्ति की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी रियासत के समायोजन के समय मूल निवासियों के हक–हकूक

39–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी रियासत समायोजन के समय मूल निवासियों के क्या–क्या हक–हकूक उत्तर प्रदेश सरकार के साथ तय थे ?

क्या मेजर शर्तों का अनुपालन उत्तरांचल सरकार भी करेगी ?

यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कब शासनादेश जारी किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

टिहरी रियासत के विलय के समय यहाँ के मूल निवासियों को हक–हकूक के रूप में फ्री ग्रान्ट, लघु माँग, खानों के पत्थर, पठाल मिट्टी, रेत, बजरी इत्यादि अपने निजी उपयोग हेतु निकालने के अधिकार तय किये गये थे।

अनुपालन पूर्व से ही किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

घुमन्तू वन गूजरों के जानवरों का भौतिक सत्यापन कर चरान टैक्स का लिया जाना

40–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि घुमन्तू वन गूजरों को शासन की अनुशंसा पर हिमालय के बुग्यालों पर चरान–चुगान परमिट प्रदत्त किये जाते हैं ?

यदि हाँ, तो क्या जानवरों का भौतिक सत्यापन करवाकर ही टैक्स लगता है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जो बुग्याल पूर्ण अथवा अंशतः वन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं उनमें चरान–चुगान

हेतु परमिट दिये जाते हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता है।

"ए" श्रेणी के ठेकेदारों की रोजगार समस्या के निदान हेतु वर्टिकल प्रक्रिया को समाप्त करना

41—श्री शहजाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि "ए" श्रेणी के ठेकेदारों को वर्टिकल प्रक्रिया के अनुसार कार्य देकर छोटे कार्य कराये जा रहे हैं जिससे छोटे ठेकेदारों के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है ?

यदि हाँ, तो क्या इस समस्या के निदान हेतु वर्टिकल प्रक्रिया को समाप्त किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ तहसील धारचूला के बलुवाकोट पप्पा पौड़ी मोटर मार्ग पर व्यय धनराशि एवं वर्तमान स्थिति

42—श्री गगन सिंह रजवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि तहसील धारचूला जनपद पिथौरागढ़ के बलुवाकोट पप्पा पौड़ी मोटर मार्ग के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय हुई ?

तथा

वह मोटर मार्ग वर्तमान में किस स्थिति में है ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

इस मार्ग के निर्माण पर कुल रु0 27.19 लाख की धनराशि व्यय हुई है।

मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी के बौना मोटर मार्ग पर व्यय धनराशि एवं वर्तमान स्थिति

43—श्री गगन सिंह रजवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील

मुनस्यारी के बौना मोटर मार्ग हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत थी तथा मोटर मार्ग पर कितना व्यय हुआ है ?

उस मोटर मार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मुनस्यारी (जनपद पिथौरागढ़) के मदकोट–बौना हल्का वाहन मार्ग निर्माण हेतु कुल रु0 163.60 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष अब तक कुल रु0 158.23 लाख का व्यय हुआ है।

उक्त मार्ग 30 कि0मी0 लम्बाई में स्वीकृत था। अब तक 25.50 कि0मी0 में कार्य पूर्ण है तथा शेष लम्बाई में कार्य प्रगति पर है।

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला की सर्प रोड़ा पेयजल योजना की वर्तमान स्थिति

44–श्री गगन सिंह रजवार–

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला की सर्प रोड़ा पेयजल योजना कब शुरू की गयी थी तथा इसमें कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसमें कितने ग्राम लाभान्वित होंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

तहसील धारचूला की सर्प रोड़ा पेयजल योजना दिसम्बर, 1995 में शुरू की गयी थी तथा इसमें रुपये 60.58 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

उक्त योजना की अनुमानित लागत रु0 70.90 लाख है तथा आरक्षित वन भूमि के उपयोग की भारत सरकार से अभी तक अनुमति न मिलने के कारण योजना के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सके हैं तथा वर्तमान में 4 ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं।

गोविन्द पशु विहार उत्तरकाशी क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण में विलम्ब का कारण

45–श्री माल चन्द–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोविन्द पशु विहार क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृतियाँ जारी होने के पश्चात् भी वृक्षों का कटान न होने के कारण अथवा वन भूमि के कारण जनपद पुरोला क्षेत्र में कितनी सड़कों का निर्माण कार्य लम्बित पड़ा है ?

इन सड़कों को शीघ्र बनाये जाने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

क्या यह भी सत्य है कि इन सड़कों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग को आवश्यक धनराशि दी जा चुकी है ?

यदि हाँ, तो इन सड़कों के निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री नव प्रभात–

गोविन्द पशु विहार जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण से सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग के निम्न वार भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सम्प्रति भारत सरकार के स्तर पर लम्बित हैं :

1. नैटवाड़ सेवा मोटर मार्ग (13.7) है।
2. नैटवाड़ भीतरी मोटर मार्ग (2.40) है।
3. जखोल से लिवाड़ी मोटर मार्ग (1.656) है।
4. दनगंत–पासा–पोखरी–नानई–मद्रासू मोटर मार्ग (1.20) है।

प्रस्तावित सड़कों के निर्माण–कार्य से वन विभाग सम्बन्धित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

वन निगम में कार्यरत स्केलरों को पंचम् वेतन आयोग का लाभ न मिलने के सम्बन्ध में

46–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन निगम में कार्यरत स्केलरों को अभी तक पंचम् वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पाया है ?

यदि हाँ, तो क्या इन्हें भी समकक्ष के समान वेतन दिये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है तथा कब तक उक्त कर्मियों को वेतनमान दे दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

स्केलरों को पंचम् वेतन आयोग का लाभ मिल गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जौलजीवी झूलाघाट टनकपुर मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण न होने के कारण

47–श्री गगन सिंह रजवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जौलजीवी झूलाघाट टनकपुर मोटर मार्ग निर्माण कब शुरू हुआ था ?

अब तक कितना कार्य हो चुका है एवं शेष कार्य अभी तक पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य फरवरी, 1995 में शुरू हुआ था।

अब तक जौलजीवी की ओर से 18 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान एवं दीवालों का कार्य पूर्ण करते हुए कि0मी0 2 में 15 मीटर, कि0मी0 3 में 18 मीटर, कि0मी0 9 में 60 मीटर एव कि0मी0 13 में 16 मीटर स्पान पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। टनकपुर की ओर से कि0मी0 9,11 एव 13 में 3 पक्के काजवे का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

शेष कार्य वन भूमि हस्तान्तरण न होने एवं पंचेश्वर बाँध का निर्माण प्रस्तावित होने के कारण अवरुद्ध है।

जनपद रुद्रप्रयाग में गेठोंणी बधाणी खोड़ मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति

48–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग में बधाणी खोड़ मोटर मार्ग से सम्बन्धित आगणन शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जनपद रुद्रप्रयाग में कोट बधाणी खोड़ मोटर मार्ग पूर्व से स्वीकृत है जिसके 2.75 कि0मी0 तक निर्माण कार्य पूर्ण है, अवशेष 8.25 कि0मी0 में वन भूमि में वृक्ष पातन के बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

49–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

तृतीय मंगलवार के लिए स्थगित।

उत्तरांचल के विभिन्न जनपदों में 165.20 कि0मी0 मार्गों के निर्माण की स्वीकृति

50–श्री हरबंस कपूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि शासन ने शासनादेश दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 द्वारा उत्तरांचल के विभिन्न जनपदों में 165.20 कि0मी0 मार्ग निर्माण स्वीकृत किये थे और उसके लिए वर्ष 2001–2002 के लिए रु0 49.56 भी आवंटित किये थे ?

यदि हाँ, तो उक्त स्वीकृतियों के आधार पर कितना कार्य हो चुका है और कितना शेष है ?

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

सड़कों की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रतीक धनराशि का प्राविधान किया गया था।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर अन्तिम स्वीकृति के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

निम्बूवाला, कौलागढ़ में उ0प्र0 जल निगम द्वारा निर्मित घटिया पाइप लाइन के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

51—श्री हरबंस कपूर—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निम्बूवाला, कौलागढ़ में उ0प्र0 जल निगम द्वारा निर्मित जलाशय की जल वितरण पाइप लाइन निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने के कारण वितरण हेतु उपलब्ध पेयजल का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी वर्तमान में डाली गई पाइप लाइन के स्थान पर दूसरी पाइप लाइन डालेंगे और पूर्व में डाली गई घटिया पाइप लाइन के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

देहरादून नगर में पथ प्रकाश के लिए लगाये गये सोडियम लैम्प/ट्यूब लाइट दिन में बन्द न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही

52—श्री हरबंस कपूर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून नगर के अनेक क्षेत्रों में पथ प्रकाश के लिए लगाये गये सोडियम लैम्प/ट्यूब लाइट को दिन में बन्द करने के लिए सरकार सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करेगी तथा अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

जी हाँ।

सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

निधन के निदेश

श्री अध्यक्ष–

हमारे देश के पूर्व उप राष्ट्रपति श्री बी०डी० जत्ती जी का देहान्त 7 जून, 2002 को हो गया। मैं उनके जीवन परिचय से सदन को अवगत करा रहा हूँ।

श्री बी०डी० जत्ती जिनका पूरा नाम बासप्पा दानप्पा जत्ती था, का जन्म 10 सितम्बर, 1912 को कर्नाटक के बीजापुर जिले के जामखण्डी तालुका में हुआ था। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सन् 1940 में जामखण्डी नगरपालिका के पार्षद के रूप में की थी। वे महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 1958 से 1962 के दौरान तत्कालीन मैसूर राज्य के वे मुख्यमंत्री भी रहे। 1968 में पाण्डीचैरी के उप राज्यपाल और 1973 में उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किये गये। 1974 से 1980 तक उपराष्ट्रपति रहते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के निधन पर कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे।

7 जून, 2002 को बैंगलोर के एक निजी अस्पताल में दोपहर 12 बजकर 40 मिनट पर उनका नब्बे वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री बी०डी० जत्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े तथा साधनहीन तबके की बेहतरी के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। वे बहुत मृदुभाषी थे। उनके परिवार में तीन बेटे व एक बेटी है।

अब हम दो मिनट के लिए मौन खड़े होते हैं।

(दो मिनट का मौन)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री माल चन्द, श्री हरबंस कपूर, श्री अजय भट्ट, श्री अनिल नौटियाल तथा श्री नारायण पाल की सूचना स्वीकृत हुई तथा शेष 7 सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

ग्राम सभा नकरौन्दा के लोअर नकरौन्दा क्षेत्र के विद्युत पोल बदलवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, ग्राम सभा नकरौन्दा के लोअर नकरौन्दा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गम्भीर समस्या है, वहाँ पर विद्युत पोल भी लकड़ी के हैं जो सड़ गये हैं व कुछ कभी रेल इंजन की चिनगारियों के कारण आग लग जाने से जल गये हैं जो कभी भी गिर सकते है तथा जन–धन को कभी भी गम्भीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। मान्यवर, यहाँ पर एक विद्युत पोल इतना झुक गया है जो 45 डिग्री का कोण बनाता है तथा गाँव वालों ने एक मोटे टैंक के सहारे उसे रोका है। अतः आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ व शीघ्र विद्युत आपूर्ति तीन फेज कराने व पोल बदलवाने की माँग करता हूँ।

राजस्व संग्रह अमीन, संग्रह सहायक तथा वासिल बाकी नवीसों के पद पर नियुक्त कार्मिकों के नियमितीकरण एवं समायोजन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, वर्ष 1988–89 में पर्वतीय क्षेत्र में राजस्व वसूली जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का पटवारियों द्वारा बहिष्कार करने पर विधिवत् चयन समिति द्वारा राजस्व संग्रह अमीन, संग्रह सहायक, तथा वासिल बाकी नवीसों की नियुक्ति की गई, तब से लेकर लगातार यह लोग कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करते आ रहे हैं। समय–समय पर जिलाधिकारियों/आयुक्तों द्वारा अपनी प्रबल संस्तुतियों के द्वारा शासन को पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं तथा इनके संघ द्वारा भी बार–बार प्रार्थना–पत्रों के माध्यम से शासन प्रशासन को पद सृजन हेतु सूचित किया गया। परन्तु संग्रह अमीनों की माँग पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संग्रह कर्मियों को वर्ष 1998 तक के नियमित किये जा चुके हैं, राज्य अलग होने से यह कार्मिक वंचित रह गये। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि इन्हें नियमित एवं समायोजन के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।

विधान सभा क्षेत्र पुरौला में वर्षा के कारण काश्तकारों को हुए भारी नुकसान के एवज में मुआवजा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माल चन्द–

मान्यवर, विधान सभा पुरौला के अन्तर्गत दि0 9–6–2002 के सायं ठीक 5 बजे अधिक वर्षा होने के कारण क्षेत्र की नगदी फसल एवं खेतों के बह जाने के कारण भारी नुकसान हुआ है। वर्षा के साथ–साथ ओलावृष्टि से सेब, टमाटर आदि नगदी फसल बुरी तरह प्रभावित हो गई है। पुरौला क्षेत्र के अन्तर्गत कुल्लाड़ी खद्दू रोसांरी देवदुग, सुखराला खद्दू के काश्तकारों को नगदी फसल के साथ–साथ खेतों से भी हाथ धोना पड़ गया। वर्तमान में बरसात के मौसम के साथ–साथ काश्तकारों के द्वारा धान की रोपाई के लिए अपने खेत तैयार कर रखे थे जो कि अतिवृष्टि के चपेट में आ गये, वर्ष 2001 में भी उक्त क्षेत्र में इसी प्रकार फसलों को नुकसान वर्षा से हुआ था। क्षति के आंकलन हेतु काश्तकार विगत वर्षों से शासन प्रशासन से माँग कर रहे हैं। शासन प्रशासन का ध्यान काश्तकारों की वास्तविक स्थिति को समझाने तक समय नहीं है। सम्बन्धित ग्राम सभा के काश्तकारों के द्वारा मुआवजा एवं पैतृक भूमि बह जाने से बचाने हेतु सुरक्षात्मक कार्य एवं मुआवजा की माँग जायज है। मेरे द्वारा भी समय–समय पर क्षेत्र की मूल भूत समस्या के निजात हेतु सरकार को प्रस्ताव दिये गये हैं। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि लोकहित के अविलम्बनीय विषय पर चर्चा रोककर चर्चा करवाने की माँग करता हूँ। अतः सरकार से अपेक्षा है कि उक्त विषय की अविलम्ब कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि काश्तकारों की समस्या का निदान हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देहरादून के जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, राजधानी देहरादून के जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं एवं सुविधाओं के अभाव के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

देहरादून प्रदेश का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण नगर है और राजधानी बनने के उपरान्त इसका महत्व और भी बढ़ गया है। प्रदेश का अधिकांश भाग पर्वतीय होने के कारण सड़क दुर्घटनायें होना एक आम सी बात है और सर्वविदित है कि पूर्व में यदि गढ़वाल के किसी भी जनपद में, कहीं पर भी सड़क दुर्घटना होती है तो घायल व्यक्तियों को इस आशा के साथ देहरादून लाया जाता है कि घायल व्यक्ति को निश्चित रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। मान्यवर, राजधानी बनने के पश्चात् राजधानी के इस सबसे बड़े सरकारी चिकित्सालय पर समस्त उत्तरांचल वासियों की आशा और बढ़ गयी है, परन्तु यहाँ आकर मरीजों को निराशा के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता या तो मरीजों को भारी भरकम फीस वाले निजी नर्सिंग होम में जाना पड़ता है या मेरठ, दिल्ली या चण्डीगढ़ ले जाना पड़ता है। मान्यवर, राजधानी बनने का लाभ तो अस्पताल को नहीं मिला, उल्टे डाक्टरों की भागदौड़ बढ़ गई है, अधिकांश डाक्टर वी0आई0पी0 ड्यूटी पर लगे रहते हैं। इस अस्पताल के कुछ और महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जैसा कि चिकित्सालय में बर्न यूनिट नहीं है आज भी जले हुए रोगी बरामदे में लेटे दिखाई देते हैं इसी प्रकार से हृदय रोग वार्ड में वेन्टीलेटर एवं एनालाइजर भी नहीं है और इकोकार्डियोग्राफी मशीन एवं टी0एम0टी0 मशीन का भी अभाव है। अस्पताल में आज भी पुराने तरीके से यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी के मरीजों का इलाज हो रहा है। मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि सरकार को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

सौनी देवलीखेत, ड्योडाखाल–सिलोर महादेव सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सौनी देवलीखेत, ड्योडाखाल–सिलोर महादेव सड़क का निर्माण 20 साल पूर्व से हो रहा है, परन्तु आज तक मात्र ड्योडाखाल तक ही बन पायी है, दूसरे छोर पर इस सड़क के आने की प्रत्याशा में गगास नदी पर लगभग 20 साल पूर्व ही मोटर पुल बना दिया गया, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र की जनता को आज तक सड़क न होने से अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, कई रोगी डोली से रानीखेत लाने तक ही, दम तोड़ देते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र सड़क निर्माण की माँग करता हूँ, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके।

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विधान सभा के विकास खण्ड गैरसैण के अन्तर्गत आदि बद्री नौटी मार्ग में स्थित गाथर ग्राम के लोगों को जमीन का मुआवजा न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विधान सभा के विकास खण्ड गैरसैण के अन्तर्गत आदि बद्री नौटी मोटर मार्ग में स्थित गाथर ग्राम के लोगों को अभी तक भी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। जबकि यह मोटर मार्ग 1982 में बनकर यातायात हेतु प्रारम्भ किया जा चुका है। मुआवजा न मिलने के कारण क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की आज की कार्यवाही स्थगित कर वक्तव्य की माँग करता हूँ।

नैनीताल शहर का सारा मैला/कचरा झील में बहाने तथा रानीबाग शवदाह स्थल का पानी हल्द्वानी पेयजल टंकी में जुड़ा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, नैनीताल शहर का सारा मैला/कचरा को झील में बहाया जाता है अगर यह सही है तो इसके क्या उपाय हो रहे है तथा रानीबाग शवदाह स्थल के पानी को हल्द्वानी पेयजल टंकी से जोड़ा गया है, अगर सही है तो क्या रोकथाम हो रही है। पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्या संयन्त्र लगे हैं।

क्या हल्द्वानी निवासी गन्दा और विषैला पानी पीकर अस्वस्थ नहीं हो रहे हैं, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो सरकार कैसे रोकथाम कर रही है ?

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग, विधेयक, 2002

*समाज कल्याण मंत्री (श्री राम प्रसाद टम्टा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग, विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग, विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग, विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य–मंत्रणा समिति का कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10 जून, 2002 की बैठक में दिनांक 11 जून, 2002 से 14 जून, 2002 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है

जून, 2002

11 मंगलवार (1) स्व0 श्री बी0डी0 जत्ती, भूतपूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोकोद्‌गार।

(2) उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002 का पुरःस्थापन।

(3) 11–शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान की माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(4) 16–श्रम और रोजगार विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(5) 24–परिवहन विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(6) 12–चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(7) 08–आबकारी विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(8) 26–पर्यटन विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(9) 17–कृषि कार्य एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(10) 06–राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(11) 25–खाद्य विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(12) 27–वन विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(13) 15–कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(14) 18–सहकारिता विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(15) 28–पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(16) 23–उद्योग विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(17) द्वितीय सत्र में प्राप्त नियम–103 की सूचना–श्री मातबर सिंह कण्डारी–"इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश में पॉलिथीन के प्रयोग में नियम बनाकर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाय।"

12 बुधवार (1) उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण।

(2) 01–विधान सभा की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान। (विवाद नहीं होगा)

(3) 02–राज्यपाल की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान। (विवाद नहीं होगा)

(4) 03–मंत्रि–परिषद् की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान। (विवाद नहीं होगा)

(5) 14–सूचना विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(6) 22–लोक निर्माण विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(7) 13–जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(8) 19–ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(9) 20–सिंचाई तथा बाढ़ विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(10) द्वितीय सत्र में प्राप्त नियम–103 की सूचना–श्री नारायण पाल–"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ऊधमसिंह नगर की ग्राम सभा गिधोर, देवीपुर, आस्ता, बिही, चेतुअखेड़ा, ज्ञानपुर गौड़ी, कालाबूथ, पीराडांय, पीलापानी में जाने हेतु सड़क का निर्माण तथा आवश्यक पुलिया निर्माण हेतु वित्त की व्यवस्था इसी सत्र में करा दी जाय।"

13 गुरूवार (1) 04–न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान। (विवाद नहीं होगा)

(2) 05–निर्वाचन विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(3) 07–वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(4) 09–लोक सेवा आयोग विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान। (विवाद नहीं होगा)

(5) 10–पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(6) 21–ऊर्जा विभाग की अनुदान माँग पर चर्चा एवं मतदान।

(7) शेष विभागों की अनुदान माँगों पर चर्चा एवं मतदान।

(1) उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

(2) द्वितीय सत्र में प्राप्त नियम–103 की सूचना–श्री प्रकाश पंत, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री कैलाश शर्मा, श्री मालचन्द, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्रीमती विजय बड़थ्वाल तथा श्री मदन कौशिक–"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य की राजधानी प्रदेश के केन्द्र बिन्दु में बनाए जाने की कार्यवाही तीन माह में पूर्ण कर ली जाय।"

14 शुक्रवार (1) असरकारी दिवस।

संसदीय कार्य मंत्री ["डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, यह सदन, कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में प्रस्तुत की गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्यमंत्री जी ने, जो यह प्रस्ताव रखा है, उससे सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से पाँच सूचनाओं को ग्राह्यता पर मैं सुन रहा हूँ। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं ली गई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :–

1. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी ;
2. श्री मातबर सिंह कण्डारी ;
3. काजी निजामुद्दीन ;
4. श्री प्रेमानन्द महाजन ;
5. श्री अजय भट्ट।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, समूचे पर्वतीय क्षेत्र में लघु कुटीर उद्योगों का नितान्त अभाव है। कुटीर उद्योगों के नाम पर मात्र आटा चक्की, रूई धुनाई की मशीन और तेल पेराई की मशीनें ही पर्वतीय क्षेत्र में काम करती हैं। लेकिन विद्युत विभाग की अदूरदर्शिता के कारण समूचे पर्वतीय क्षेत्र में सारी आटा चक्की मशीनें आज बन्द होने के कगार पर है, अधिकांश लोगों ने अपने बिजली के कनेक्शन कटवा लिये हैं। उन लोगों ने बार–बार प्रयास किया कि सरकार उनकी समस्या का समाधान करे और कुटीर उद्योगों को जिन्दा रखे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कुटीर उद्योग बन्द होने का मुख्य कारण है, विद्युत विभाग द्वारा उन पर 2800 रुपया मासिक शुल्क फिक्स कर दिया गया है। अगर किसी की आटा चक्की की मासिक आय 1200 रुपया है, तो उसे भी 2800 रुपया देना है और अगर किसी की आटा चक्की की मासिक आय 600 रुपया है तो उसे भी 2800 रुपया देना है। सुदूर गाँवों के आटा चक्की मालिकों की स्थिति ऐसी नहीं कि वह 2800 रुपया मासिक शुल्क दे सकें। यह नाजायज तरीके से टैक्स के रूप में सरकार द्वारा वसूल किया जा रहा है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप प्रति यूनिट किराया बढ़ा दीजिए और जितने यूनिट बिजली खर्च हो उसके आधार पर शुल्क लिया जाए। मान्यवर, इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराने की मैं माँग करता हूँ। मैं यह माँग इसलिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि इस मामले में मेरे क्षेत्र के सारे उद्यमियों ने जिला मुख्यालय में धरना दिया, आन्दोलन भी किया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार का कहना है, कि हम कुटीर उद्योगों का जाल फैलाएंगे लेकिन मान्यवर, वह कौन से कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने जा रही है, जबकि प्रदेश की आटा चक्कियाँ भी बन्द हो रही हैं।

*राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूँ कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के लिए जो लघुतम विद्युत दर है, वह 162 रुपया प्रति हॉर्स पावर निर्धारित है और जो शहरी क्षेत्र के कुटीर उद्योग हैं, उनके लिए 245 रुपया प्रति हॉर्स पावर लघुतम दर निर्धारित है। बिजली की कम खपत होने पर भी उपभोक्ताओं को, जो मिनिमम चार्जेज फिक्स किए गये हैं, उनका भुगतान करना पड़ता है। वर्तमान में दरों का पुनः निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा, हो सकता है कि किसी व्यक्तिगत रूप से बिल अधिक आ गया हो तो वे अगर हमारे संज्ञान में इस मामले को लायेंगे तो इस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के कुटीर उद्योगों के लिए 162 प्रति हॉर्स पावर निर्धारित है और जो रूई धुनाई की मशीने हैं वे 10 हॉर्स पावर से अधिक नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं उस हिसाब से बिजली का जो किराया आता है वह बहुत अधिक होता है। अब ऐसी स्थिति में आपका यह कहना कि ऐसा सम्भव नहीं है, बड़ा अजीब लगता है। विद्युत–विभाग आपकी सरकार का विभाग है, क्या आप इस पर कोई नीति बनायेंगे और छोटे कुटीर उद्यमियों को कोई राहत मिले, इस पर कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्य से मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि उनके संज्ञान में कोई मामला है, जिसमें 2800 रु0 का बिल आ जाए तो कृपया मुझे बतायें।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई चक्कियाँ 2800 रु0 से अधिक वहन कर रही हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आप उनकी सूची उपलब्ध करा दें तो मैं आपका आभारी हूँगा और मैं कार्यवाही करूँगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इसे अग्राह्य करता हूँ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, नियम–56 के अन्तर्गत मैं लोक–महत्व के प्रश्न को रख रहा हूँ। जनपद चमोली और रुद्रप्रयाग में 18 विद्यालय हैं जो 1997 में, जिनका निर्माण हुआ था और वे विद्यालय आज वीरान पड़े हुए हैं, कोई अध्यापक उनमें पठन–पाठन हेतु नहीं है और न ही उनकी कोई सुरक्षा व्यवस्था है। मैंने ऐसा तो सुना है कि विद्यालय खुल गया हो, अध्यापक भी हैं और भवन नहीं है मगर यह ऐसी पहली घटना मेरे सामने आयी है कि जनपद रुद्रप्रयाग में बेसिक पाठशाला थलासू, बेसिक पाठशाला धादड़ धनपुर, बेसिक पाठशाला खेड़ीरवाल धनपुर वीरान पड़े हुए हैं। इनका निर्माण तो हो चुका है मगर वहाँ पर कोई पठन–पाठन नहीं होता है। इन विद्यालयों में भेड़–बकरी विचरण करते रहते हैं। सरकारी सम्पत्ति का पूरी तरह तहस- नहस किया जा रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, शिक्षा मंत्री को भी लिखा, सचिव, शिक्षा को भी लिखा। मुझे यह बता दिया गया कि इन विद्यालयों के लिए अध्यापकों के पदों का सृजन नहीं हुआ। आप यह कहेंगे कि यह मेरे समय की बात नहीं है। जब मैं इस विधानसभा में गया तो मेरे संज्ञान में यह बातें आयीं और मैं सदन में रख रहा हूँ। यह लोक–महत्व का, अविलम्बनीय तथा तात्कालिक है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री से, इन भवनों की रक्षा कर लीजिए, पदों का सृजन कर लीजिए और मैं चाहता हूँ कि जुलाई से ये विद्यालय अगर चलने लगें तो ठीक होगा, छात्र पठन–पाठन भी कर लेंगे। चूँकि यह लोक–महत्व एवं अविलम्बनीय एवं तात्कालिक विषय है इसलिए मैं चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाए।

*शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, विश्व बैंक की सहायता से निर्मित प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत, अनुरक्षण, कक्षा–कक्ष निर्माण का कार्य वर्तमान में केन्द्र पोषित योजना क्रमशः सर्व शिक्षा अभियान एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। प्राथमिक विद्यालयों में उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत मानदेय के आधार पर प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था छात्रों की संख्या के दृष्टिगत की गई है ताकि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण सम्भव हो सके। प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों के सापेक्ष उक्त योजना के अन्तर्गत पठन–पाठन की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त पद सृजन की कार्यवाही भी गतिमान है।

मान्यवर, ये जितने भी विद्यालय हैं उसमें पद सृजन की कार्यवाही की जा रही है, लेकिन कई विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ पर छात्र संख्या न्यून है। इसके बावजूद भी विभाग द्वारा पद सृजन की कार्यवाही की जा रही है। वहाँ शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम शिक्षा मित्रों की व्यवस्था कर रहे हैं। मैंने 18 विद्यालयों के बारे मे बात की जहाँ पर कोई व्यवस्था नही है, न कोई शिक्षा मित्र है, न कोई अध्यापक है, ताला तक नहीं खुलता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्या आप जुलाई में वहाँ पर अध्यापक भेजकर जनता की माँग पूरी करेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह शिक्षा सत्र, जो आने वाला है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, पिछले सत्र की जिम्मेदारी आपकी थी और आपने पिछले सत्र में कोई व्यवस्था नही की थी। इस सत्र से सारी व्यवस्थाएं कर दी जायेंगी।

श्री अध्यक्ष–

श्री मातबर सिंह कण्डारी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, हरिद्वार की बड़ी दयनीय स्थिति है। यदि हम किसी से कहें कि हरिद्वार में पेयजल का संकट है, तो शायद लोग हम पर हँसेंगे। मान्यवर, गंगा मैया वहाँ से निकली हैं, जिससे पूरे भारत वर्ष की प्यास बुझती है, लेकिन आज हरिद्वार में ही पानी का संकट हो गया है। हमारा जो जिला मुख्यालय रोशनाबाद के नाम से मशहूर है, वहाँ पर पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। खेती के लिए जो ट्यूबवेल लगाये गये हैं, उनसे लोगों को पीने का पानी भरना पड़ता है। कुछ लोगों ने हैण्ड पम्प लगा रखे हैं, वे उनका प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मान्यवर, मैं गाँवों के नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूँ कि माननीय मंत्री जी खुद सर्वेक्षण करा लें कि कितने हैण्ड पम्प जिले में कार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस अविलम्बनीय, लोक–महत्व के प्रश्न पर चर्चा की माँग करता हूँ। मान्यवर, जब जनपद हरिद्वार की यह स्थिति है तो शेष उत्तरांचल की क्या स्थिति होगी ?

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद हरिद्वार में कुल 530 बस्तियाँ हैं जिसमें से 79 बस्तियों को विभिन्न ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा शेष 451 बस्तियों में भारत सरकार के मानक के अनुसार 250 व्यक्ति प्रति हैण्ड पम्प की दर से 4028 हैण्ड पम्पों की आवश्यकता है, जिसके विरूद्ध जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में 5230 हैण्ड पम्प जल निगम द्वारा तथा 247 हैण्ड पम्प अन्य विभागों द्वारा इस प्रकार कुल 5477 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर अधिष्ठापित हैण्ड पम्पों में लगभग 779 हैण्ड पम्प खराब हैं, जिनको ठीक कराने की कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से की जा रही है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की भारी किल्लत नहीं है।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत सेक्टर रिफॉर्म में जनपद हरिद्वार को चयनित किया गया है, जिसके तहत 40 करोड़ रु0 की योजना स्वीकृत की गयी है। जिसमें 37.50 करोड़ भारत सरकार द्वारा 2.50 करोड़ जनसहभागिता के माध्यम से स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी जी तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, विधान सभा गदरपुर के अन्तर्गत बौर जलाशय व हरिपुरा जलाशय को जोड़ने वाला जो बाँध है, जिसको बौर कट कहा जाता है। बौर कट के टूटे हुए कई वर्ष हो गए है। और शासन द्वारा बौर कट को ठीक करने के लिए 83.94 लाख रु0 की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, जब तक इसको नहीं बनाया जायेगा तब तक हरिपुरा जलाशय को बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है किसानों के खेत सूखे हैं। जब नर्सरी नहीं बन पाएगी तो धान कहाँ से लगा पाएंगे। इसी प्रकार बौर जलाशय से निकलने वाली जुनार नहर के टूट जाने से किसानों के खेत सूख रहे हैं नर्सरी के अभाव में धान नहीं बोया जा रहा है जब कि जुनार नहर को ठीक करने के लिए आगणन बना दिया गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर सदन की शेष कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाए।

*सिंचाई मंत्री (शूरवीर सिंह सजवाण)–

मान्यवर, हरिपुरा एवं बौर जलाशय के बीच बने बाँध में एक हिस्सा कटा हुआ है जिसके कारण हरिपुरा बाँध का पानी बौर जलाशय में चला जाता है, क्योंकि बौर जलाशय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का बैड–लेविल नीचा है। जब जलाशय में जल स्तर कम होता है, उस समय हरिपुरा जलाशय से निकलने वाली नहरों को पानी देने में कठिनाई हो जाती है। इस समस्या हेतु बौर कट को बन्द करने की योजना बनाई गयी है जिसकी लागत 121.90 लाख रु० है। पूर्व वर्षा में धन की कमी के कारण कार्य नहीं किया जा सका है।

उक्त कार्य केवल माह अप्रैल से जून के बीच किया जा सकता है। जब जलाशय में पानी कम रहता है, ऐसी दशा में यह कार्य वित्तीय वर्ष 2003–2004 में ही किया जा सकेगा। यह उल्लेखनीय है कि वर्षा के उपरान्त जलाशय में जल स्तर बढ़ने से नहरों हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाता है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने हरिपुरा बाँध के विषय में बताया। मगर विकास खण्ड गदरपुर के लिए माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं किया, इसके लिए क्या व्यवस्था है बता दें।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, विकास खण्ड गदरपुर में जुनार नहर पर टेम्परैरी व्यवस्था से चालू कर रखा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रेमानन्द जी को और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 56 पर बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के सम्मुख उत्तरांचल की समस्या को रख रहा हूँ। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का है। मान्यवर, आज सरकार की तरफ से कई योजनायें स्वीकार हो रही हैं। लेकिन, इन योजनाओं का पूरा होना बड़ा असम्भव हो गया है। मान्यवर, आज पहाड़ में कई लोगों का जीवन कष्टकारी हो गया है। हमारे यहाँ पत्थर जैसी चीज को कूड़ा–करकट समझा जाता था और आज वही पत्थर पहाड़ के लिए सोना हो गया है। जिसकी तस्करी होने लग गयी है। मान्यवर, सरकारी विभाग के काम तो प्रभावित हो गये हैं। और ठेकेदार लाचार हैं क्योंकि अगर वे कहीं से पत्थर ले जा रहे हैं तो उनको प्रशासन पकड़ रहा है। अगर गिरे हुए पत्थर भी हैं तो वे उनको भी नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए वे भी काम नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, लोगों ने निर्माण कार्य बन्द कर दिये हैं। मान्यवर, जो रिवाइज एस्टीमेट आते हैं वह 6 महीने के बाद स्वीकृत होते हैं तब तक फिर से सामग्री की कीमत बढ़ जाती है, तो इस प्रकार से सरकार के ऊपर दोहरा बोझ पड़ रहा है। मान्यवर, जो सरकारी खर्च बढ़ रहा है उसके लिए यह बहुत हानिकारक है। इसलिए यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। मान्यवर, ऐसे विषय पर मैंने सरकार को कई अवसरों पर अवगत कराया था।

किसी ने इसमें देखा भी नहीं। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है तथा इस सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री ["डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, खनन कार्य का नियमन वन संरक्षण अधिनियम, उप खनिज परिहार नियमावली एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों के अधीन होता है। खनन क्षेत्रों के प्रसंगगत सामग्री प्राप्त किये जाने का प्राविधान निर्माण कार्यों के आगणनों में किया जाता है। निर्माण कार्य में लगे हुए ठेकेदारों पर प्रतिबन्ध यह होता है कि निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री विशिष्टियों के अनुरूप हो एवं वैधानिक हो। निर्माण सामग्री समीपस्थ नियमित खनन पट्टा लीज धारक से ही प्राप्त करेगा। कार्टेज (ढुलान व्यय) लगाकर दर विश्लेषण कर दरें निर्धारित की जाती हैं। अतः निर्माण कार्य की आगणन में उक्त प्रयोजन से दरें बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं है। कोई निर्माण कार्य इस कारण से रुके हुए नहीं हैं। मान्यवर, लेकिन माननीय अजय भट्ट जी ने जो प्रश्न किया है, वह सही है, लोग प्रश्न करते हैं। वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत रोक लगायी गयी है। खनिज नीति 30 अप्रैल, 2002 को जारी की गयी थी, उसमें भी इसका उल्लेख है खासकर जो वन प्रभावित क्षेत्र हैं, जो विशेष रूप से वन क्षेत्र हैं उनमें प्रमुख और ज्यादातर ऊपर पहाड़ में हैं। लेकिन जहाँ तक निर्माण कार्य है, उनमें कार्टेज कार्य है ऐसा एनॉलिसिस किया गया। मान्यवर, खनन नीति के प्राविधानों के तहत ही पत्थर लिये जाते हैं और सरकारी निर्माण कार्यों में दरें बढ़ने का कोई कारण नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ, अगर कोई अल्मोड़ा पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी आदि दूरस्थ स्थानों में रहता है, उसको पत्थर ढुलान के लिए देहरादून आना पड़ता है। इसके सरलीकरण का क्या प्रयास किया गया है।

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमने इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाईयाँ महसूस की। सरकार ने इसके सरलीकरण के सम्बन्ध में एक उपसमिति बनाई है। यह समिति अपना प्रतिवेदन तत्काल देगी, और इसको मंत्री परिषद् से पारित करके इसमें आगे सुधार लाने का प्रयास करना है।

श्री अध्यक्ष–

श्री अजय भट्ट और माननीया मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल,

युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 7484486 हजार (सात सौ अड़तालीस करोड़ चवालीस लाख छियासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मुझे यह कहने में हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर उत्तरांचल में साक्षरता का प्रतिशत 72.21 है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है और यह आशा की जाती है कि दो वर्षों के अन्तर्गत हम भारत के जो प्रथम श्रेणी के साक्षरता वाले प्रदेश हैं उनके समकक्ष आ जायेंगे। मान्यवर, केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनासर्व शिक्षा अभियान जो कक्षा 1–8 तक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य के लिए संचालित है, हेतु रु0 23 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के आधार पर संचालित होगा। वित्तीय वर्ष 2002–03 हेतु रु0 114 करोड़ की वार्षिक योजना केन्द्र सरकार को प्रेषित की गई है। परियोजना के परीक्षण के पश्चात् इसके अनुमोदन होने पर राज्यांश का समुचित प्रबन्ध किया गया। 13 जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान का संचालन होगा। विश्व बैंक पोषित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु रु0 4.22 करोड़ राज्यांश के रूप में प्राविधान किया गया है जिसमें 85 प्रतिशत केन्द्र सरकार का और 15 प्रतिशत राज्य सरकार का है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु वर्ष 2002–2003 के लिए रु0 26 करोड़ की वार्षिक योजना केन्द्र सरकार को प्रेषित की गई है। 6 जनपदों में यह परियोजना संचालित है ये जिले हैं हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़। राजकीय एवं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पका–पकाया भोजन व्यवस्था हेतु रु0 20 करोड़ का प्राविधान किया गया। पायलट परियोजना के तौर पर देहरादून जनपद के सहसपुर विकास खण्ड में 1–5–2002 से इस परियोजना को प्रारम्भ किया है। कक्षा 1–8 तक समस्त राजकीय एवं परिषदीय विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की जायेगी। यह सभी श्रेणी के बच्चों के लिए उपलब्ध होगी। राज्य सरकार द्वारा डी0पी0ई0पी0 एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों एवं बालिकाओं के लिए प्रबन्ध किया गया है अन्य श्रेणी के बालकों के लिए रु0 2.74 करोड़ का प्राविधान सरकार द्वारा किया गया है। नव सृजित जनपदों हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की स्थापना का प्रबन्ध किया गया। जनपद ऊधमसिंह नगर, रुद्रप्रयाग, चम्पावत एवं बागेश्वर हेतु रु0 1.33 करोड़ का प्राविधान किया गया। एन0सी0आर0टी0 की स्थापना नरेन्द्र नगर (टिहरी गढ़वाल) के लिए 3.84 करोड़ की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तत्वाधान में संचालित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हेतु रु0 1.41 करोड़ की व्यवस्था की गई है, इसमें 2.3 राज्य सरकार का अंशदान होता है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा योजना हेतु रु0 6.60 करोड़ का प्राविधान किया गया है। यह योजना लगभग 200 विद्यालयों में लागू होगी। मान्यवर, यह जो शिक्षा विभाग है प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है। 95 हजार कर्मचारी इस विभाग में कार्य कर रहे हैं। जब कि मैं सोचता हूँ सारे प्रदेश में कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग दो लाख होगी। इतने महत्वपूर्ण विभाग में मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि अभी तक इस विभाग का ढाँचा भी तैयार नहीं किया गया है। पूर्ववर्ती सरकार ने इस विभाग का ढाँचा भी तैयार नहीं किया। शिक्षा निदेशक का पद भी सृजित नहीं किया गया तो यह सारी कठिनाईयाँ हमारे

सामने हैं। विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं तो मान्यवर, इसमें प्रथम प्राथमिकता यह है कि जो विद्यालय अध्यापक विहीन हैं उनकी सबसे पहले पूर्ति की जायेगी, और इस सम्बन्ध में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। जो अभ्यार्थी 1997 में नियुक्ति से वंचित रह गये थे और न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहे थे, बेकार भटक रहे थे। उन 230 अभ्यार्थियों की नियुक्ति हमने कर दी है। सरकार ने 2000 एल0टी0सी0 ग्रेड के पदों को भरने का निर्णय लिया है। उसमें से 1200 पद गढ़वाल मण्डल में और 800 पद कुमाऊँ मण्डल में भरने की व्यवस्था हमने की है। मान्यवर, इस विभाग में जितनी रिक्तियाँ हैं, उनको भरने का निर्णय हमने लिया है। इसके अलावा हमारे जो हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कॉलेज हैं जिनमें प्रधानाध्यापक नहीं हैं उनकी नियुक्तियाँ करने का हमने प्रयास शुरू किया है। मान्यवर, मैं सदन से निवेदन करता हूँ कि वे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में राजनीति न लायें शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्धारित होता है। यह जो शिक्षा विभाग की माँग है उसको स्वीकार करने में अपना योगदान दें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी शिक्षा विभाग के आय–व्ययक का ब्यौरा प्रस्तुत किया। मान्यवर, शिक्षा उत्तरांचल राज्य का पहला अन्तर्विरोध है, जिसके कारण उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ, उन चार अन्तर्विरोधों में यह पहला है। माननीया इन्दिरा हृदयेश जी काफी वर्षों से शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग के ऊपर इस बजट में सरकार ने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया है। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि नवसृजित जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय खोले जायेंगे, लेकिन बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। 2000–2001 और 2001–2002 में इसके लिए एक हैड खोला गया था लेकिन उसको बन्द कर दिया गया है। जिला विद्यालय कार्यालयों की घोषणा तो आपने कर दी लेकिन उनके लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बाहर घोषणा की, उसके सम्बन्ध में मैंने औचित्य का प्रश्न भी उठाया था, कि शिक्षा बन्धुओं का मानदेय 500 प्रति माह बढ़ा दिया है। लेकिन बजट में इसका कोई प्राविधान नहीं है। इस प्रकार की बातें करने और सदन के बाहर घोषणा करना तथा अन्दर उसके लिए कोई व्यवस्था न करने से सरकार की विचित्र स्थिति पैदा हो रही है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी पूरे मंत्रिमण्डल में सबसे शरीफ हैं, हम उनको अधिक परेशान नहीं करना चाहते।

सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी सबसे शरीफ हैं। तो क्या बाकी सब बदमाश हैं ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री ["डॉ0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

आप उसको संसदीय तौर पर लीजिए और माननीय सदस्य को धन्यवाद दे दीजिए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, पिछले तीन महीनों में दो सत्र आहूत हो चुके हैं, और हम पर लगातार सरकार यह आरोप लगा रही है कि आपने अपने शासनकाल में कुछ नहीं किया। मैं मानता हूँ कि हमने शिक्षा के लिए बहुत कुछ नही किया, क्योंकि हमें अवस्थापना सुविधा देनी थी, परिसम्पत्तियों का बँटवारा करना था, इसके अतिरिक्त अनेक समस्याएं हमारे सामने थीं। लेकिन पिछले तीन महीने में आपने शिक्षा विभाग के लिए क्या किया? तीन महीने में आप शिक्षा विभाग का ढाँचा भी नहीं बना सके हैं।

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी कहती है कि हम परम्पराओं का निर्वहन करते हैं और मानते हैं और हुआ भी ऐसा ही। जो परम्परा उत्तर प्रदेश में चली आ रही थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। शिक्षा के सम्बन्ध में उत्तरांचल के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए थी। मान्यवर, यह कतई गम्भीर नहीं है और चूँकि साक्षरता के प्रति की बात कही, वाहवाही तो आप ले लेंगे। किन्तु यह जो साक्षरता का प्रतिशत है वह 3 माह की उपलब्धि नहीं है।

मान्यवर, आपने एल0टी0 के अध्यापकों की नियुक्ति का यहाँ पर आश्वासन दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में यह प्रशंसनीय कदम है। मान्यवर, लेकिन आज जो प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि बी0एस0ए0 कार्यालय की बात कही। इसकी धनराशि शून्य कर दी गयी, जिला विद्यालय निरीक्षक की बात कही गयी, उसकी धनराशि शून्य कर दी गयी और जितने भी वित्त पोषित कार्यक्रम चल रहे हैं, यहाँ पर राज्यांश तो जाना ही है, इसमें कुछ नया नहीं किया। उत्तरांचल की जनता जानना चाह रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रथम निर्वाचित सरकार क्या करना चाहती है। मान्यवर, अध्यापक विहीन विद्यालय, भवन विहीन विद्यालय, जितने विद्यालय चल रहे हैं, माननीय कण्डारी जी ने प्रश्न उठाया कि विद्यालय तो खुल गये लेकिन अध्यापक एक भी नहीं भेजा। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि प्राइवेट विद्यालय तो अच्छी तरीके से फल–फूल रहे हैं, ठीक से चल रहे हैं, लेकिन हमारे प्राथमिक, माध्यमिक उच्चतर विद्यालय गर्त में जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इसे पुनरीक्षित करायें और संशोधित करके इसे फिर से प्रस्तुत करें। उत्तरांचल की शिक्षा व्यवस्था विशिष्ट रूप से आनी चाहिए, यही उत्तरांचल की जनता का सपना है। इतनी सी बात कहकर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय प्रकाश पंत जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज काफी बजट रखे हैं, यह तो रस्म अदायगी जैसा ही हो पायेगा, बहुत ज्यादा बातें नहीं हो पायेंगी, किन्तु अधिक न बोलते हुए मैं कुछ ही

बिन्दुओं पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि दूर-दराज के स्कूलों में आज भी ताले लगे हैं, यह बात सदन में कई बार आयी। आज मैं, पुनः प्वाइन्टेड बताना चाहता हूँ कि मुनस्यारी और डाडीहाट में आज भी 35 स्कूलों में ताले वहाँ लगे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हम योजनाएं बना रहे हैं, विद्यालयों में हम कैसी शिक्षा नीति चाहते हैं, किस तरह से हम अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति को कैसे शिक्षा देना चाहते हैं ?

मान्यवर, क्या हमारी नीति है, कैसे हमारी नीतियाँ चलेंगी ? कुछ तो इसमें आना चाहिए। मुनस्यारी के जो दूरस्थ गाँव हैं, जहाँ से चीन का बार्डर लगता है क्या वहाँ पर कोई व्यक्ति काम करने के लिए जायेगा, क्या इसके लिए हमने कोई योजना बनाई है, किस तरह से वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को हम ठीक करेंगे ? आज हर कोई जिला मुख्यालयों पर रहना पसन्द करता है। जो दूरस्थ गाँवों के रहने वाले हैं वे भी जिला मुख्यालयों पर ही रहना चाहते हैं। हमारी आखिर क्या योजना है, कैसे हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, क्या हम उन्हें इन्सेन्टिव आदि देंगे ? मान्यवर, उत्तरांचल राज्य अभी शैशव अवस्था में है, जिस ओर हम इसे मोड़ देंगे, उसी दिशा में वह जायेगा। मान्यवर, मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है। जहाँ आज हम हाईटेक के जमाने में जा रहे हैं, वहीं दूरस्थ गाँवों में इण्टर पास करने वाला बच्चा भी ट्रेन नहीं देख पाता है। दूरस्थ गाँवों में अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक ट्रेन नहीं देखी होगी। जब वह नीचे हरिद्वार, देहरादून काठगोदाम आदि जगहों पर आता है तभी वह ट्रेन देख पाता है। क्या हमने ऐसी कोई योजना बनाई है कि दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को नीचे के क्षेत्रों में, नीचे के बच्चों को दूरस्थ क्षेत्रों में भ्रमण पर ले जायेंगे। कई देशों में ऐसा किया गया है। मान्यवर, हमारी शिक्षा का स्वरूप एक ही है। वही शिक्षा देहरादून में दी जाती है, वही शिक्षा मुनस्यारी के दूरस्थ गाँवों में भी दी जा रही है लेकिन फिर भी यहाँ और वहाँ के बच्चों के स्टैण्डर्ड में बहुत अन्तर है। क्या हमने इसके लिए कोई योजना बनाई है ? इसके लिए हमें टूर प्रोग्राम बनाने चाहिए। हमें पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चों को नीचे के क्षेत्रों में और निचले क्षेत्रों के बच्चों को पहाड़ के क्षेत्रों में कैम्प लगाना चाहिए। इसके लिए हमें इण्टर डिस्ट्रिक्ट सिस्टम डेवलप करना चाहिए। बालिकाओं के लिए कहा गया कि उनको मुफ्त शिक्षा देंगे, क्या खाक मुफ्त शिक्षा देंगे।

15 कि0मी0 दूर तक स्कूल है ही नहीं, जूनियर हाई स्कूल है तो 20 कि0मी0 दूर तक हाई स्कूल नहीं है बीच में नदी नाले और जंगल पड़ते हैं, बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए एक सिस्टम होना चाहिए। विकास डिसेण्ट्रलाइज होना चाहिए। जहाँ जूनियर हाई स्कूल की आवश्यकता है वहाँ जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए जहाँ हाई स्कूल की आवश्यकता है वहाँ हाई स्कूल होना चाहिए। और जहाँ उच्चीकरण की आवश्यकता है वहाँ उच्चीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि हम शैशवावस्था में हैं यदि हम पुरानी लकीर पर चलेंगे तो इससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। मैं कोई विरोध के लिए नहीं कह रहा हूँ आज तो कई लोग यह भी कहने लग गये हैं कि हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश ही ठीक था आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं यह एक विचारणीय प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ परन्तु हमें एक आई ब्यू डेवलप करना होगा। कितने जूनियर हाई स्कूल आप

खोलने जा रहे हैं। प्राथमिक पाठशालाओं को आप क्या स्वरूप देने जा रहे हैं। मान्यवर, कुछ विद्यालयों में जहाँ अध्यापक दो–दो हजार या डेढ़ हजार रुपया लेते हैं वहाँ के विद्यार्थी टॉप कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में यदि चालीस बच्चे हैं तो चालीस के चालीस फर्स्ट आ रहे हैं परन्तु जिन स्कूलों में हम कुछ सुविधाएं दे रहे हैं तो वहाँ का स्तर ठीक नहीं है इसका मतलब है कि हमारे अध्यापकों और कर्मचारियों में कुछ कमियाँ हैं उनको बेहतर सुविधाएं देकर कैसे स्तर को उठाया जा सकता है, इस पर आपको विचार करना होगा। आपने उच्चीकरण की क्या नीति बनाई है, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी जब अपना उत्तर भाषण देंगे तो इसका जवाब अवश्य देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, उच्चीकरण की वास्तव में आवश्यकता है जैसे प्रकाश पंत जी ने पर्वतीय क्षेत्र के दूरदराज क्षेत्रों में जाकर रिकार्ड बनाया इसी प्रकार आपने भी अधिकारियों के साथ जाकर दूरदराज के क्षेत्रों में जाने का रिकार्ड बनाया है ऐसा मुझे सुनने में आता है क्योंकि आपका और मेरा विधान सभा क्षेत्र एक दूसरे से लगा हुआ है। आज उत्तरांचल का युवा टक–टकी लगाकर देख रहा है कि इस बार हमारे स्कूल का उच्चीकरण हो जायेगा क्योंकि मान्यवर, 30–30 कि0मी0 दूर तक इण्टर कालेज नहीं हैं इसलिए जो हमने उच्चीकरण का प्रोसेस शुरू किया था उसे नहीं रोका जाना चाहिए। 26–12–2001 को पिछली सरकार ने छः विद्यालयों के उच्चीकरण की बात कही थी परन्तु आचार संहिता लागू हो जाने के कारण उन पर कार्य शुरू नहीं हो पाया। जी0ओ0 हो गया था परन्तु मौखिक आदेश यह दिया गया था कि चूँकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है इसलिए इसे विभाग को निर्गत न किया जाए। यदि इसे लागू किया जाता तो आचार संहिता का उल्लंघन होता मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जब वह उत्तर भाषण दें तो वह बताएं कि क्या उन्होंने उस शासनादेश को रोकने का मन बना लिया है यदि हाँ, तो वह इस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि सत्र चालू हो गया है मेरे विधान सभा क्षेत्र मजखाली के एक विद्यालय का उच्चीकरण होना था लोग कहने लगे कि आप झूठ बोल रहे हैं मैंने उनको जी0ओ0 दिखाया। जिस पर एक अनुसचिव जोशी जी, के हस्ताक्षर हैं उन्होंने कहा कि यह हो गया है केवल आदेश जारी होना है इसलिए मान्यवर, जी0ओ0 को निर्गत करने में विलम्ब नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, कुछ बिन्दु मैंने यहाँ पर रखे हैं और यह ऐसे बिन्दु हैं, जिस पर सरकार को कार्य करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। मान्यवर, यह शिक्षा का विषय है और इस शिक्षा के फलस्वरूप ही आज हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इसलिए शिक्षा के विषय के ऊपर बड़ी गहराई से जाना होगा। मान्यवर, हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न–भिन्न हैं इसलिए हमें मैदानी इलाके के लिए नीति अलग बनानी पड़ेगी और पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग नीति बनानी पड़ेगी। मान्यवर, मैदानी ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है और कई विद्यालय तो मैंने खुद देखे हैं। मान्यवर, उन विद्यालयों की स्थिति ऐसी है

कि वहाँ के मास्टर और बच्चे इस बात से डरते हैं कि कहीं छत ऊपर से न गिर पड़े, इसलिए वे लोग अपने घरों से बोरी लाते हैं और उन बोरियों पर बैठकर पढ़ते हैं और उन विद्यालयों के अन्दर नहीं जाते हैं, तो यह स्थिति है वहाँ के विद्यालयों की। मान्यवर, शिक्षा के स्रोत स्कूल हैं अगर हम उस क्षेत्र में पीछे रह जायेंगे तो अन्य क्षेत्रों में आगे कैसे बढ़ेंगे। मान्यवर, उन विद्यालयों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कभी कोई घटना भी हो सकती है, तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करके उनके रख–रखाव की व्यवस्था की जाये।

मान्यवर, व्यायाम एक ऐसा विषय है जो प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्चतम विद्यालय तक आवश्यक विषय है। मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैदानी क्षेत्र के स्कूलों में व्यायाम का कोई अध्यापक नहीं है। किसी और अध्यापक से कह दिया जाता है कि इनकी योग्यता के अनुसार नम्बर दे दें, तब वह अपनी मर्जी से नम्बर दे देता है। मान्यवर, व्यायाम एक आवश्यक विषय है इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ पर व्यायाम के अध्यापकों की नियुक्ति की जाये। जिससे बच्चों को व्यायाम के विषय में उनकी योग्यता के अनुसार नम्बर मिल सकें। मान्यवर, कई क्षेत्रों में शिक्षा का उच्चीकरण नहीं हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन क्षेत्रों में विद्यालय का उच्चीकरण नहीं हुआ है अगर उनका उच्चीकरण नहीं किया गया तो बच्चे शिक्षा में पीछे रह जायेंगे।

मान्यवर, ऐसे पद जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार को अभूतपूर्व कदम उठाने चाहिए थे। ऐसे शिक्षा का उच्चीकरण जहाँ प्राइमरी हाई स्कूल हैं वहाँ हाई स्कूल किये जायं यदि बजट में ऐसा कोई प्राविधान न रखा गया तो शिक्षा का उच्चीकरण हो पाना सम्भव नहीं है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी बढ़ गयी है। हमारे देश की आबादी एक अरब से ज्यादा है। मान्यवर, पहले गाँव छोटे थे और उनमें स्कूल थे, आज वही गाँव बहुत बड़े हो गये हैं, गाँव दूर–दूर तक फैल गये हैं, परन्तु स्कूल केवल वही पुराने हैं, जिससे नये क्षेत्रों के लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, उत्तरांचल नया राज्य बना है, यकीनन शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यवर, शिक्षा दो तरह की है :–

1–क्वॉलिटी 2–क्वांटिटी

वर्तमान में क्वॉलिटी पर जोर दे रहे हैं, क्वांटिटी पर नहीं। यदि बच्चा 12वीं फेल हो जाता है तो वह आर्ट ले लेता है और बी0ए0 कर लेता है। मान्यवर, आज हर बच्चे का अरमान होता है एम0बी0बी0एस0 डाक्टर बनना, यदि डाक्टर नहीं बना तो इंजीनियर बनने का सपना देखता है तथा यदि इंजीनियर भी नहीं बना तो फिर अध्यापक बनने की सोचता है। मान्यवर, हमें शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा, तभी प्रदेश का विकास होगा। कितने डाक्टर हमें 15 साल बाद चाहिए, कितने इंजीनियर हमें 10 साल

बाद चाहिए, इसको अभी से तय करना होगा। मान्यवर, मैं रुड़की कॉलेज के छात्र की कापी के बारे में बताना चाहूँगा–"प्रश्न था निबन्ध और उपन्यास किसे कहते हैं ? बच्चा लिखता है जो जीवन में एक बार घटित हो उसे उपन्यास कहते हैं, जैसे विवाह करना तथा जो जीवन में कई–कई बार घटित हो उसे निबन्ध कहते हैं जैसे प्रेम करना।"

(हँसी)

मान्यवर, मैं आपको सही बात कह रहा हूँ।

मान्यवर, सवाल यह है कि वह यहाँ तक कैसे पहुँच गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप हरिद्वार को नजर अन्दाज न करें, यहाँ ऐसा महसूस होता है कि हरिद्वार जिले की दयनीय स्थिति है। हरिद्वार में शिक्षा का स्तर काफी नीचा है उस पर ध्यान दें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आदरणीय प्रकाश पंत जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात रखूँगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी और आज शिक्षा मंत्री जी भी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ शिक्षा का प्रतिशत 72.21 है जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। यह बड़ी खुशी की बात है। हमारे प्रदेश में 13 जिले हैं, यह प्रतिशत तो हमें उत्तर प्रदेश से मिला है, सरकार ने इसका प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या किया है, क्या हम इसको 80 प्रतिशत तक नहीं ले जा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मा0 चीमा जी ने कहा, कुछ पहाड़ का एरिया और प्लेन के एरिया में शिक्षा का प्रबन्ध भिन्न है। पहाड़ में सरकारी विद्यालय हैं और प्लेन में अनुदान वाले विद्यालय हैं, लेकिन बजट में कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी इन अनुदान प्राप्त विद्यालयों के सरकारीकरण हेतु एक निश्चित संख्या रखी जाती थी। दूसरा जो हमारी माननीया इन्दिरा हृदयेश जी बैठी हैं, जो शिक्षा नेता रही हैं, उन्होंने पंचम वेतनमान के लिए जितना आन्दोलन किया है वह किसी ने नहीं किया, वह कब से देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, तीसरी बात संस्कृत विद्यालयों की है, बजट में इसके लिए 1.96 करोड़ का बजट रखा गया है, पिछले वित्तीय वर्ष में भी इतना ही था। आज जो संस्कृत विद्यालयों की स्थिति है वह सोचनीय है।

मान्यवर, आज संस्कृत विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पद सृजित नहीं हैं। बजट की लगभग सारी धनराशि तो वेतन में चली जायेगी। मान्यवर, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो बार–बार उत्तरांचल को अलग करने की बात इसीलिए करते थे कि जो उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार हमें बजट नहीं मिल पाता था। परन्तु, अब चूँकि उत्तरांचल राज्य अलग हो चुका है, अब जो भी योजनायें बनें वे यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बनें। कम्प्यूटरीकरण के विस्तारीकरण के लिए हमने 6.6 करोड़ का प्राविधान बजट में किया गया है, आज कम्प्यूटर का युग है इससे कितना विस्तारीकरण हो जायेगा, क्या कोई जिलेवार अभियान चलाकर कम्प्यूटर विस्तार किया जायेगा। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष जी, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के समस्त छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की बात बजट में कही गई है। सत्र

प्रारम्भ हो गया है, लेकिन पाठ्य पुस्तकें अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। बजट में राजकीय विद्यालयों के निर्माण हेतु लगभग 9.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इस राशि से कितने राजकीय विद्यालय खोले जाएंगे, इसका जिक्र नहीं है, यह राशि 10 राजकीय विद्यालयों के लिए है या 15 राजकीय विद्यालयों के लिए है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है या जो विद्यालय खुले हुए हैं उनके लिए यह राशि है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल स्थित सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 67 प्रतिशत स्थान उत्तरांचल के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जब कि उत्तर प्रदेश में सी0पी0एम0टी0 परीक्षा के लिए उत्तरांचल के लिए मना कर दिया है। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो अब उत्तरांचल में है उसमें 90 प्रतिशत आरक्षण उत्तरांचल के विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए था। मान्यवर, इस बजट में कहीं भी प्राइमरी शिक्षा के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो मान्यवर, हमारे उत्तरांचल का विकास कैसे होगा, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा पर ही प्रदेश का विकास निर्भर करता है, आज प्राइमरी शिक्षा का स्तर जैसा होना चाहिए उत्तरांचल में वैसा नहीं है। मान्यवर, मैं हरिद्वार जनपद की प्राइमरी शिक्षा के बारे में कह सकता हूँ कि वहाँ पर कम से कम 100 गाँव ऐसे हैं, जहाँ प्राइमरी विद्यालय नहीं हैं। 20–25 विद्यालय ऐसे होंगे जहाँ बिल्डिंग नहीं है और 20–25 ऐसे होंगे जो बंद हैं।

मान्यवर, वहाँ पर 80 छात्रों पर एक अध्यापक है। यह जो बजट है, यह प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में गम्भीर नहीं है। प्राथमिक शिक्षा से ही हमारे विकास की कड़ी शुरू होती है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

*चौधरी यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरे हिन्दुस्तान में शिक्षा पद्धति दो भागों में विभक्त हो गयी है। एक तो वे स्कूल हैं, जिनका संचालन राज्य सरकार करती है और जिनमें शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है और दूसरे कान्वेंट स्कूल हैं, जिनमें राजा–महाराजा पढ़ते हैं, जिनमें शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। मैं कहना चाहता हूँ कि या तो इन स्कूलों को बन्द किया जाए या इनमें भी शिक्षा का स्तर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों जैसा होना चाहिए। अथवा हमारे स्कूलों का स्तर इनके समकक्ष किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल के टेस्ट में तो पास हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कम्पिटीशंस में अंग्रेजी पैटर्न होने के कारण हमारे बच्चे आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। मान्यवर, मेरी यह माँग है कि शिक्षा का रूप और प्रकार एक ही होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री माल चन्द–

मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा विभाग के बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ मान्यवर, शिक्षा की दृष्टि से पहाड़ों की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उनके अनुसार शिक्षा के उच्चीकरण के जो मानक हैं या नए स्कूल खोलने के जो मानक हैं, उनमें लचीलापन आना चाहिए। कम से कम इण्टरमीडिएट तक कृषि विषय अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए कृषि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, उत्तरकाशी जिले के पुरोला क्षेत्र में एक महाविद्यालय खुला है, जो सिर्फ साइंस का है। मेरा निवेदन है कि उसमें आर्ट और कृषि विषय की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रकाश पंत जी ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में अपनी जिज्ञासा व्यक्त की और नव सृजित जिलों में बेसिक शिक्षा कार्यालयों का जिक्र किया और यह कहा कि इनके लिए बजट की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। तो, मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे बजट के पृष्ठ संख्या 160 और 161 के शीर्षक 4 में देखें, 1.33 करोड़ रुपये का प्राविधान नव सृजित जिलों में बेसिक शिक्षा कार्यालय खोलने के लिए किया गया है और इसी तरह उन्होंने शिक्षा बन्धुओं के सम्बन्ध में कहा कि हमने शिक्षा बन्धुओं का मानदेय बढ़ा दिया है। मैं सदन से यह निवेदन कर रहा हूँ, सारे सदन की एक सिफारिश थी।

मान्यवर, शिक्षा बन्धुओं के मामले में सारे लोग घेरे जा रहे थे, कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि उनके साथ अभद्र व्यवहार भी कर रहे हैं ये शिक्षा बन्धु। सबने कहा था कि उनके साथ न्याय किया जाए और प्रतिपक्ष के माननीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष ने भी यह चाहा था कि इन्हें नियमित किया जाए, तो इन सब चीजों को देखते हुए यह निर्णय लिया था कि वेतनमान, पंचम वेतनमान, चूँकि सभी का बढ़ रहा था इसलिए राहत देने के लिए 500 रुपये बढ़ाए थे और शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया था, वह भी आप पचा नहीं पाए, उसका भी आपने विरोध किया।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हमने विरोध नहीं किया, हमने तो यह कहा कि बजट में इसका प्राविधान नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, बजट में इसका प्रावधान है, शिक्षा बन्धुओं का पृष्ठ 162 पर प्रावधान है। शिक्षा बन्धु 25 प्रतिशत तो क्या 50 प्रतिशत रेगुलर सर्विसेज में आ गए तो जितने वे कम हो जायेंगे उतना जो बजट बचेगा।

(व्यवधान)

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह कितनी कमी होगी।

''डॉ0'' (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बजट तो अनुमानित होता है, बच भी जाता है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जो शिक्षा बन्धु हैं, इनमें से 60 प्रतिशत एल0टी0 ग्रेड की नियुक्तियों में आ जायेंगे। शिक्षा निदेशक ढाँचा नहीं बना, यह आपने कहा है। हमने शिक्षा निदेशक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के कार्यालय आदि के लिए एक करोड़ पचपन लाख का प्रावधान पृष्ठ संख्या 155 पर किया है और इसी तरह से आपने कहा कि साक्षरता का श्रेय हम ले रहे हैं, हमने कब कहा कि हमने किया है। हमने तो यह कहा कि यह प्रदेश सौभाग्यशाली है कि इस प्रदेश की गिनती उन प्रदेशों में हो रही है, जिनका साक्षरता सबसे अधिक है। अगर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, चाहे वह आपकी वजह से हो या हमारी वजह से, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। आपने कहा कि मंत्री जी बतायें कि नया क्या किया, जो हमने किया वही आपने भी किया। मैं माननीय सदस्य पंत जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक व्यवस्था आपने बहुत गड़बड़ की थी सम्बद्धीकरण की व्यवस्था, हमने वह व्यवस्था समाप्त की और आदेश कर दिये कि पूरे प्रदेश में कोई अटैचमेन्ट में अध्यापक न हो और जिन्होंने इसे नहीं माना, जो अध्यापक अपने तैनाती विद्यालय में नहीं गया तो हमने उसे सस्पेन्ड कर दिया, क्या यह नया नहीं है, जिसने इसे नहीं माना उसे हमने निलम्बित तक कर दिया फिर आप लोग यह भी कह रहे हैं कि आपने निलम्बित क्यों कर दिया।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, तभी तो आपको हमने सबसे शरीफ मंत्री कहा।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, धन्यवाद। वर्षों से नियुक्तियाँ नहीं हो रही थीं, विद्यालयों में 10–10 साल हो गए साइन्स, मैथ के अध्यापकों की भर्ती नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज हमने मन बनाया कि जितने भी विद्यालय हैं, उनमें अध्यापकों की पूर्ति की जाएगी, क्या यह नया नहीं लग रहा है, आपको।

मान्यवर, 2 हजार की हम नियुक्तियाँ करने वाले हैं। आप हमारी भी तारीफ करें। हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहते हैं। मान्यवर, अभी कहा गया कि गुणवत्ता नहीं आ रही है, दूसरी ओर आप कह रहे हैं सभी शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु को नियमित कर दें। हम गुणवत्ता देखेंगे, इनकी मेरिट देखेंगे। इसलिए हम ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसमें आप हमारा सहयोग करें। अभी माननीय अजय भट्ट जी ने कहा कि लोगों को दूर–दराज के क्षेत्रों में भेजने की आपने क्या व्यवस्था की है ? मान्यवर, हमने ट्रान्सफर नीति बनाई है। इसमें तीन तरह के स्थान होंगे। सुविधाजनक स्थान, असुविधाजनक स्थान और अति असुविधाजनक स्थान। हम अति सुविधाजनक स्थान पर केवल 3 वर्ष के लिए पोस्टिंग करेंगे और फिर उसे सुविधाजनक स्थान पर ले आयेंगे। इससे उस व्यक्ति के मन में भी यह बात रहेगी उसे सिर्फ तीन वर्ष के लिए यहाँ रहना है। अभी क्या हो रहा है कि एक साल में 1–2 अध्यापक 6–6 ट्रांसफर करवा लेते हैं। हमारे जो दूरस्थ इलाकों में प्राइमरी विद्यालय हैं, वहाँ पर हमने 2–2 अध्यापक रखे हैं। पहले होता क्या था कि ये दोनों अध्यापक आपस में तय कर लेते थे कि 15 दिन एक रहेगा और 15 दिन दूसरा रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, दोनों अध्यापकों को रहना होगा। दूर–दराज के क्षेत्रों में जो हमारी शिक्षा मित्र की योजना है, जहाँ पर कोई अध्यापक नहीं जाना चाहता है, इनका भी हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अभी माननीय भट्ट जी ने कहा कि दूर–दराज के गाँवों के बच्चों ने ट्रेन नहीं देखी, तो मान्यवर, क्या करें, क्या वहाँ

तक ट्रेन ले जाएं, या कोई ऐसी योजना बना सकते हैं जैसे टूर प्रोग्राम होते हैं। माननीय भट्ट जी आपका सुझाव बहुत अच्छा है अगले साल के बजट में हम इसकी व्यवस्था भी करेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा मतलब केवल ट्रेन देखने से नहीं था, बल्कि उनके समग्र विकास से था।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, आज जूनियर हाई स्कूलों की आवश्यकता है यह सोच बहुत अच्छी है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा लेकिन आज हम जन प्रतिनिधि दुःखी हैं विद्यालयों से। हर एक ग्रामसभा ने चार–चार प्राथमिक विद्यालय माँग लिया है उन्होंने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है आज यह हमारे लिए समस्या बन गयी है क्योंकि चार गाँव हैं तो वहाँ पर पढ़ने के लिए दस लड़के हैं। यह प्रयास करेंगे कि हम चारों गाँवों को मिलाकर एक विद्यालय बनाए ताकि शिक्षकों की पूर्ति हो सके और शिक्षा में गुणवत्ता आए। ऐसे ही जहाँ चार अध्यापक हैं तो उस विद्यालय में पढ़ने वाले दो विद्यार्थी हैं यह भी एक उदाहरण है। जो विद्यालय खुले हैं उनका उच्चीकरण होना चाहिए। परन्तु उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि उच्चीकरण का लाभ होगा कि नहीं होगा। दो–दो कि०मी० पर हाई स्कूल खोल दिए गये तो उसका क्या लाभ होगा। यह हमारे संसाधनों पर निर्भर करेगा जैसे–जैसे संसाधन होंगे वैसे–वैसे उच्चीकरण किया जायेगा अब आपने कहा कि हमारे जमाने में कुछ विद्यालयों का उच्चीकरण हुआ था परन्तु जी०ओ० लागू नहीं हुआ इसे हम देखेंगे कि इसमें कितने विद्यालय पुराने हैं क्योंकि कभी–कभी हम दण्डी भी मार देते हैं हमें यह भी देखना पड़ेगा कि पुराने विद्यालयों को छोड़कर नये विद्यालय का उच्चीकरण हो जाता है। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उसमें छात्र संख्या क्या है हम मानक निर्धारित करेंगे। आपने जो सुझाव दिए हैं उन्हें हम देखेंगे और उच्चीकरण करने का प्रयास करेंगे। माननीय चीमा जी ने प्राथमिक विद्यालयों, जूनियर हाई स्कूल के भवनों की बात कही। हमने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निदेश दिए हैं कि जो भवनहीन प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल हैं उनके बारे में आप हमें बताएं हम उन सारे भवनों को बनायेंगे। जिनकी मरम्मत करनी होगी, उनकी मरम्मत करेंगे और जिनका निर्माण होना होगा, उनका निर्माण करेंगे। जहाँ तक रोजगार–परक विषय की बात है यह सही है कि रोजगार–परक शिक्षा होनी चाहिए। आज हमने बेकार लोगों की एक फौज खड़ी कर दी है। हमारे पड़ोसी प्रदेश हिमांचल प्रदेश में बागवानी और कृषि का काम सबसे आगे है आज उनकी आर्थिक स्थिति इसी पर निर्भर है परन्तु हमारा प्रदेश इस सम्बन्ध में शून्य है हमारे जोशीमठ और कुमाऊँ का इलाका पूरा साइट्रस इलाका है जहाँ पर नीबू, माल्टा प्रचुर मात्रा में पैदा होता है इसलिए इसे और भी हमें ध्यान देना होगा। हमारे लड़के बाबूगिरी के पीछे न भागें इसके लिए हमें कृषि और बागवानी के विषय को अनिवार्य करना होगा। हम मान्यता प्राप्त इण्टर कालेजों में इस विषय को लायेंगे। कुमाऊँ मण्डल में कृषि विश्वविद्यालय है, और दूसरे मण्डल में कृषि नहीं पढ़ाई जा रही है इसलिए हम कृषि के विषय को जैसा कि मैंने पूर्व में इण्टरमीडिएट कॉलेज में इस विषय को अनिवार्य करने की बात करेंगे।

मान्यवर, सैनिक शिक्षा की जो बात की गई है वह बहुत सही है। हमारा क्षेत्र सैनिक प्रधान क्षेत्र है यहाँ सेना में सैनिकों ने बड़े-बड़े नाम कमाये हैं। उनके लिए हम चाहते हैं कि फिजियोलॉजी स्कूलों में लागू हो, इसमें हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मान्यवर, जो बच्चे हाई स्कूलों में अच्छे नम्बर से पास नहीं होते हैं उनको इण्टरमीडिएट के बजाय आई0टी0आई0 का रास्ता दिखा दें। ये बच्चे पास तो हो जाते हैं पर कम्पिटीशन के वक्त उन्हें निराशा होती है। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें भी कुछ कार्य किया जाये। मान्यवर, उसके सम्बन्ध में नियोजन करेंगे कि जिन लड़कों को आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक में भेज रहे हैं उसे रख लिया जाये। श्री मदन कौशिक जी ने साक्षरता के विषय में कहा तो साक्षरता जो हमारी है उसे हम स्वीकार कर रहे हैं। मान्यवर, जहाँ हम साक्षरता में आगे बढ़े हैं वहीं हम शिक्षा में पीछे हैं। मान्यवर, कम्प्यूटर शिक्षा की बात हुई है कि हमारे लड़के कम्प्यूटर से साक्षर हो जायें। इसलिए अगले वर्ष से हम यह भी चाहते हैं कि कम्प्यूटर शिक्षा एक विषय के रूप में आये, ताकि हमारे प्रदेश के लड़के कम्प्यूटर शिक्षा पा सकें।

मान्यवर, संस्कृत विद्यालय की जो बात हुई तो मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर संस्कृत विद्यालय जरूरी है वहाँ पर व्यवस्था की जायेगी। मान्यवर, सरकार पंचम् वेतनमान लागू करने जा रही है। चौ0 यशवीर सिंह जी ने समान शिक्षा की बात कही, तो वह बात सही है कि शिक्षा में समानता होनी चाहिए। मान्यवर, समान शिक्षा नीति लागू होती है तो हम उसका स्वागत करेंगे।

मान्यवर, अगर सम्बन्धित शिक्षा नीति हमारे प्रदेश में लागू होती है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और श्री प्रकाश पंत जी से आग्रह करता हूँ कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट यहाँ पर परिष्कृत और सारगर्भित भाषा में रखा, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है आपने निश्चित रूप से कोई भी योजना बनाकर बजट को यहाँ पर रखने में असफल रहे हैं। मान्यवर, बजट तभी सफल माना जाता है जब बजट में कोई प्राविधान हो, इसमें उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है साथ ही जो अनुदान सूची में विद्यालय लिए जाने की बात है वह भी स्पष्ट नहीं है। मान्यवर, आप विद्यालयों का उच्चीकरण करेंगे या नहीं इसका भी कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, पिछली सरकार ने जो दिया है, वह आपने काट दिया है कम से कम पाँचवे वेतन के बारे में यह बात नहीं है। अन्त में मैं उद्देश्यपूर्ण शिक्षा और रोजगारपरक शिक्षा पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रु0 कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु० 7484486 (सात सौ अड़तालीस करोड़ चवालीस लाख छियासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं 3.30 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(भोजनावकाश के उपरान्त सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.30 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

अनुदान संख्या–16, श्रम एवं रोजगार विभाग

अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग

*परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16, श्रम एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 278747 हजार (सत्ताइस करोड़ सत्तासी लाख सैंतालीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

महोदय, इस प्रथम निर्वाचित विधान सभा में इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। श्रम एवं सेवायोजन विभाग अपने आप में एक महत्वपूर्ण विभाग है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने भी मजदूरों की दुर्दशा को देखते हुए बम्बई में, गुजरात में तथा महाराष्ट्र में मजदूरों के हितों के लिए आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में सरदार बल्लभ भाई पटेल तथा देश के अन्य शीर्षस्थ नेताओं ने सहयोग दिया। मजदूरों के हितों के लिए श्रीमती इंदिरा गाँधी जी ने क्रान्तिकारी कदम उठाकर, मजदूरों के हितों के लिए न्यूनतम मजदूरी, बोनस, ग्रेच्युटी और क्षतिपूर्ति का लाभ दिलाने की व्यवस्था की। इसी क्रम को हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह हमारा नवगठित राज्य है इसमें मजदूरों की बहुत समस्या है, इसमें सुधार की बहुत गुन्जाइश है। हमने प्राथमिकता के आधार पर एन०सी०बी०टी० का गठन किया है हमने श्रम न्यायालयों के गठन के लिए धन के आवंटन की व्यवस्था की है। बाल मजदूरों के लिए तथा हमारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए और बँधुवा मजदूरों के लिए धन की व्यवस्था की है। बाल मजदूरों के पुनर्वास के लिए धन की व्यवस्था की है। जहाँ भी बाल मजदूरी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है उन बाल मजदूरों को मुक्त कराकर उन्हें पुनर्वासित करने का प्रयास किया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हमने एन0सी0बी0टी0 बोर्ड का भी गठन किया है। इसके साथ ही मान्यवर, इस महिला सशक्तिकरण वर्ष में हमने यह निश्चय किया है कि महिलाओं के साथ अन्याय न हो और उनको भी पुरुषों के समान वेतन मिलेगा। अभी एक ही काम के लिए पुरुष को अधिक वेतन मिलता है लेकिन महिलाओं को कम वेतन मिलता है, हमने यह भेद मिटाकर दोनों को समान वेतन देने का निर्णय लिया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हमारे चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित हुई थी लेकिन उत्तरांचल में अभी तक इसका निर्धारण नहीं हुआ था। हमने उनके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का प्रयास किया है, इसके साथ ही हमने न्यूनतम मजदूरी बोर्ड के गठन की सूचना भी जारी कर दी है। मान्यवर, हमारे यहाँ श्रम न्यायालय कुमाऊँ डिवीजन और गढ़वाल डिवीजन में अलग–अलग है लेकिन जज अभी एक ही है, जो कुछ दिन यहाँ बैठता है और कुछ दिन वहाँ बैठता है। हमने श्रम न्यायालय के लिए भूमि तथा अन्य सुविधाओं के लिए बजट में व्यवस्था की है। मान्यवर, असंगठित मजदूरों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, एक मजदूर पत्थर तोड़ते–तोड़ते मर जाता है लेकिन उसकी फिक्र किसी को नहीं होती। उनको जीवन बीमा का लाभ पहुँचाने के लिए हम जिला पंचायतों, ब्लाकों से सम्पर्क करके केन्द्र सरकार की योजना को गाँवों के हर क्षेत्र तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारी सरकार उद्योगों को संरक्षण देने की बात कर रही है, उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रही है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाबार्ड, बैंकों और खादी ग्रामोद्योग की एक बैठक बुलाई थी। हम उद्योगों को अपने राज्य में आमंत्रित कर रहे हैं लेकिन हम यह भी देखेंगे कि उनमें मजदूरों का शोषण न हो, उनको न्यूनतम मजदूरी मिले। मान्यवर, हमारे यहाँ 63 आई0टी0आई0 हैं जिनमें से 20 के भवन हैं और 7 निर्माणाधीन हैं। उसके लिए हमने बजट में 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। हम अपने आई0टी0आई0 और पॉलिटेक्निक में टैक्निकल एजुकेशन देना चाहते हैं। इसके लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया है। मैंने ओ0एन0जी0सी0 के डायरेक्टर से बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे पॉलिटेक्निक में प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। रुड़की विश्वविद्यालय के प्रबन्धक से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि हमारे पॉलिटेकिनक से निकले बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पॉलिटेक्निक और आई0टी0आई0 के लैक्चरर हमारे पास आएं, हम उनको प्रशिक्षण देंगे कि कैसे पढ़ाया जाता है।

मान्यवर, आई0टी0आई0 की, पॉलिटेक्निक की अपनी एक मान्यता है, उसकी गरिमा है, उसके अनुरूप हम कार्यक्रम चला रहे हैं। गढ़वाल मण्डल हमारे सिटी बोर्डस में कान्ट्रैक्ट पर लोगों को काम दिया जाता है। वहाँ सरकार से जो पैसा उनकी मजदूरी के लिए आता है, उसमें से उन लोगों को आधा ही पैसा दिया जाता है, और शेष पैसा अधिकारी व विभाग की जेब में जाता रहा है। इस शोषण को मान्यवर, रोका जाए। कान्ट्रेक्ट लेबर का मतलब यह नहीं है कि सरकार से पूरा पैसा लें और लेबर को आधा ही पैसा दें, उसका हनन करें। श्रीमन्, जो भी व्यक्ति उद्योगों में कार्य करता है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य करता है, यदि वह मर जाता है तो उसकी जगह पर उसके आश्रित को प्राथमिकता के आधार पर हम नौकरी देने के लिए कृत संकल्प हैं, सरकार की यह सोच है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जो 63 आई0टी0आई0 हैं, 29 को अभी तक मान्यता

प्राप्त नहीं है केन्द्र सरकार की, इसलिए सब्जेक्ट्स में हमको दिक्कत आ रही है। इस तरह बच्चे बिना डिप्लोमा जब तक हमारी मान्यता नहीं है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। 3 आई0टी0आई0 समाज–कल्याण में हैं, 2 आई0टी0आई0 की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दलित और अन्य जातियों के लिए की है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय श्रमायुक्त कारखाना प्रभाग की भूमि क्रय करने के लिए 1 करोड़ 66 लाख की व्यवस्था इस बजट में हमने की है। श्रीमन्, हम अपने सेवायोजन कार्यालयों को भी कम्प्यूटराइज्ड करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे हमारे देहरादून में ही जो रजिस्ट्रेशन हैं, उनमें से कौन साइन्स का है, कौन आर्ट्स से है, यह सब जानने के लिए कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम होना अति आवश्यक है जिसमें हमें उपयुक्त पद हेतु उपयुक्त प्रशिक्षार्थी को चयन करने में आसानी होगी। सेवायोजन कार्यालय 3 जिलों में नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चम्पावत में सेवायोजन कार्यालय नहीं है जिससे वहाँ के बेरोजगारों को कठिनाई उत्पन्न हो रही है इसलिए हम प्राथमिकता से इस काम को करने जा रहे हैं। नैनीताल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु रुपये 50 लाख तथा शिशिक्षु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु रु0 30 लाख की व्यवस्था आयोजनागत मद में की गयी है। आयोजनागत मद में ही जनपद देहरादून में मसूरी नामक स्थान पर तथा जनपद नैनीताल में रामनगर नाम स्थान पर एक–एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु क्रमशः रुपये 61.01 तथा रुपये 41.01 लाख की व्यवस्था की गयी है। देहरादून एवं हल्द्वानी के श्रेणी एक के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आदर्श संस्थान के रूप में विकसित करने की एक आदर्श मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण हम करें तो देहरादून और हल्द्वानी को इसके लिए चयनित किया गया है। और इस प्रकार जो हमारा सेवायोजन प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रम हैं इसमें हम लोग बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मैं तो अपने प्रतिपक्ष के साथियों से भी इसका, जिन्हें अनुभव है उनके सहयोग की भी मैं अपेक्षा करता हूँ।

मान्यवर, सभी मदों में हमने धन का आवंटन किया है। हम यह मानकर चलते हैं कि हमारा आधारभूत बिन्दु यही है, जहाँ से हमारे नौजवान अपने जीवन का शुभारम्भ कर सकते हैं। बी0एस0सी0, एम0ए0 आदि से कुछ मिलने वाला नहीं है, यदि कुछ मिलेगा तो इन आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक से ही मिलेगा। इनको सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है, इसमें नई टेक्नोलॉजी का समावेश किया जायेगा। श्रीमन्, आदर्श विकलांग केन्द्र, देहरादून में स्थापित करने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। जिससे विकलांगों को प्रशिक्षण मिल सके और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मान्यवर, हम बन्द हो चुके या बन्दी के कगार पर खड़े उद्योगों को चालू करेंगे। पर्यटन व्यवसाय रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोग होटल खोलें, परिवहन की व्यवस्था हो इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। होटल व्यवसाय के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। श्रीमन्, हमारे यहाँ राज्य कर्मचारी बीमा विभाग है। जहाँ 500 श्रमिक होते हैं वहाँ पर भारत सरकार की सहायता से राज्य कर्मचारी बीमा अस्पताल खोला जाता है। देहरादून में प्रेमनगर में इसका मुख्यालय है। देहरादून में इसके 3 अस्पताल हैं, हरिद्वार में 2 अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में दवाओं आदि की व्यवस्था रहती है। गम्भीर चोट लगे व्यक्तियों को बड़े अस्पतालों में रिफर कर दिया जाता है। श्रीमन्, बड़े अस्पतालों में श्रमिकों के लिए 5 बेड आरक्षित किये जायेंगे। 12 प्रतिशत इसमें प्रदेश सरकार योगदान

देती है और 88 प्रतिशत योगदान केन्द्र सरकार देती है। इस तरह के 3 अस्पताल प्रस्तावित किये गये हैं। श्रीमन्, महिलाओं को भी आई०टी०आई० प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। महिलाओं के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जायेगा। पहाड़ों में होटल व्यवसाय एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है।

श्रम व सेवायोजन से सम्बन्धित मैं महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सरकार का संकल्प है इस दिशा में हम पूरा काम करने जा रहे हैं। यहाँ बहुत से अंशकालिक प्रशिक्षक, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, हमने उन लोगों के बारे में निर्णय लिया है कि उन्हें किस प्रकार नियमित किया जाए ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति होनी चाहिए इस दिशा में भी काम करना चाहते हैं। इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य यहाँ पर केवल चौदह आई०टी०आई० ही हैं किस प्रकार से ये आई०टी०आई० चल रहे हैं यह सभी जानते हैं। जब तक इनका सुदृढ़ीकरण नहीं होगा ये ठीक से नहीं चल पायेंगे। इसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। प्रिन्सिपल और अनुदेशक की व्यवस्था कर रहे हैं। बिना इसको सुदृढ़ीकरण किये हम इसमें सफल नहीं हो सकते। इसके लिए हमने प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है जो उद्योग बन्द पड़े हैं, उनको पुनर्जीवित करने का सरकार प्रयास कर रही है कि किस प्रकार उसको चलाया जाए। जितने भी श्रम अधिनियम हैं, मजदूरों का कहाँ शोषण हो रहा है उनकी माँगें क्या हैं, उनका शोषण न हो, उनको पूरा हक मिले, परस्पर मिल बैठकर समझौता करें, जब औद्योगिक शांति होगी तभी विकास होगा। इस प्रकार इस दिशा में हम सुधार करने का संकल्प लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों का भविष्य आई०टी०आई० पर निर्भर करता है इसमें हम विपक्ष का भी सहयोग चाहते हैं। गरीब लोग जो धूप पसीने में खेत खलिहानों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं उस सम्बन्ध में हमने सकारात्मक सुझाव दिया है, इसमें हमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, अनुदान सं०–24 भी ले लें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, अनुदान संख्या–24 लेने से पहले मैं प्राविधिक शिक्षा के बारे में हाउस में बोलना चाहता हूँ। इस वित्तीय वर्ष के लिए मैंने 19.56 करोड़ आयोजनागत की व्यवस्था की है। उत्तरांचल में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय का गठन श्रीनगर गढ़वाल में किया जा रहा है इसके लिए धन आवंटित किया गया है। प्राविधिक शिक्षा परिषद् का भी गठन कर दिया गया है। इस प्राविधिक शिक्षा परिषद् का कार्यालय व मुख्यालय हरिद्वार में खोले जाने का संकल्प लिया गया है। जो उत्तर प्रदेश से हटकर अपनी परीक्षाएं स्वयं संचालित करे। हमारी सरकार ने दो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट व पौड़ी का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा था, वह रिजेक्ट हो गया है।

मान्यवर, जब तक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होगा, तब तक कार्य नहीं कर सकते। अतः हम लोग इसके लिए प्रयासरत् हैं। मान्यवर, इंजीनियरिंग में जो आरक्षण

देश में नहीं मिल पा रहा था उसके लिए हम सभी ने प्रयास किया और अब हम लोगों को हिन्दुस्तान में 40 सीटों का आरक्षण प्राप्त हो गया है। मान्यवर, उत्तरांचल में 15 राजकीय पॉलिटेक्निक तथा एक सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक है। इन पॉलिटेक्निकों के पाठ्यक्रमों में आधुनिकीकरण तथा विस्तारीकरण किया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्राविधिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित नयी योजना हेतु रु0 50 लाख का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, जो पॉलिटेक्निक करके निकलेंगे उनको प्रशिक्षित करने का वायदा भारत सरकार ने किया है। यह सरकार का विशेष प्रयास रहा है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 436087 हजार (तैंतालीस करोड़ साठ लाख सत्तासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, जिस तरह से उत्तरांचल के विकास में सड़कें महत्वपूर्ण हैं, ऊर्जा महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से परिवहन भी महत्वपूर्ण है। मान्यवर अगर परिवहन की व्यवस्था नहीं होगी तो हम अपने उत्तराखण्ड के विकास को गति नहीं दे सकते हैं। मान्यवर, इस दिशा में अभी हमारे परिवहन निगम का बँटवारा नहीं हो पाया है, इन बसों का संचालन आज भी उत्तर प्रदेश से हो रहा है। और इनसे प्राप्त होने वाला धन भी उत्तर प्रदेश में जा रहा है। इसलिए हम उनके सुधार में आज भी बौने हैं। मान्यवर, राज्य की स्वतंत्र परिवहन व्यवस्था होनी अनिवार्य समझते हुए हमारी सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है। इसके लिए सी0आई0आर0टी0, पुणे, जो परिवहन व्यवस्थाओं के शोध एवं परामर्श कार्य हेतु केन्द्र सरकार की संस्था है, के द्वारा एक विस्तृत आख्या इस क्षेत्र की भौगोलिकता एवं उपलब्ध परिवहन व्यवस्था, परिवहन निगम के सभी पहलुओं पर प्राप्त कर ली गयी है, तथा उत्तरांचल के परिवहन व्यवसायियों, परिवहन निगम के अधिकारियों तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक एवं तदुपरान्त परिवहन विभाग एवं परिवहन निगम के अधिकारियों की एक बैठक को मैंने इस आशय से बुलायी जिसमें न केवल परिवहन निगम के ज्वलन्त मुद्दों को बल्कि परिवहन व्यवसायियों की कठिनाइयों को समझते हुए नीति निर्धारण की दिशा में सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया और उनके परामर्श व हितों को दृष्टिगत रखते हुए अतिशीघ्र राज्य के हित को भी ध्यान में रखते हुए नीति निर्धारित कर दी जायेगी।

मान्यवर, इसके गठन का प्रारूप सामने आयेगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के मध्य जो सीमाएं क्रास होती हैं, इस सम्बन्ध में दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिवों की वार्ता हो गयी है तथा हमने एक एग्रीमेन्ट हस्ताक्षर करके उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है, अभी इस एग्रीमेन्ट को भेजे 20 दिन हुए हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बहिन

जी की सरकार है मैं माननीय नारायण पाल जी से भी अनुरोध करूँगा कि इस दिशा में आप भी हमारा सहयोग करेंगे। जैसे ही यह एग्रीमेन्ट हस्ताक्षरित होकर आयेगा हम अपनी परिसम्पत्तियों का बँटवारा प्रभावी रूप से करेंगे। परिवहन विभाग को तीन सम्भागों तथा छः उप सम्भागों में बाँटा गया है। देहरादून, पौड़ी तथा हल्द्वानी में सम्भागीय कार्यालय होंगे। राज्य की सीमाओं पर 12 चेक पोस्ट बनायी गयी हैं, जिसका नेतृत्व उस जिले का डी0एम0 करेगा जिससे बाहर से आने वाले अवैध वाहनों पर रोक लग सके। हमारे करों की बहुत अधिक चोरी हो रही है इसको नियन्त्रित करने के लिए हमने टास्क फोर्स का गठन किया है इस दिशा में हम प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। देहरादून, ऊधमसिंह नगर, श्रीनगर तथा पिथौरागढ में होने वाली यातायात की अधिकता को देखते हुए यहाँ पर बाई पास का कार्य तेजी से चल रहा है। मान्यवर, हम परिवहन कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने जा रहे हैं। जिससे किसी का शोषण न होने पाये।

मान्यवर, वाहनों में हो रही वृद्धि का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2001–2002 में राज्य में कुल 42,144 वाहन पंजीकृत हुए हैं। परिवहन विभाग की राजस्व प्राप्तियाँ जो वर्ष 2000–2001 में रु0 56.02 करोड़ थीं, वर्ष 2001–2002 में बढ़कर 66.48 करोड हो गयी, जो गत वर्ष की प्राप्तियों से 18.65 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए राजस्व का लक्ष्य रु0 106 करोड़ रखा गया है, जिसे प्राप्त करने के लिए वाहनों पर पूर्व की तुलना में अधिक कर की राशि निर्धारण करने का प्रस्ताव कर अधिनियम में रखा गया है, तथा नेशनल परमिट एवं आल इण्डिया परमिट की अन्य राज्यों से उत्तरांचल में बिना समुचित कर जमा करे संचालन की दशा में इन वाहनों पर अर्थदण्ड की व्यवस्था की गई है। जो पूर्व में कर अधिनियम में नहीं थी। इसके अतिरिक्त इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की सभी सीमाओं पर चैक पोस्टों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण एवं 24 घण्टे संचालित करने की व्यवस्था की जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों में मुख्य रूप से चालकों/परिचालकों को लाइसेन्स जारी करना, वाहनों का पंजीकरण करना, व्यवसायिक वाहनों को स्वस्थता प्रमाण–पत्र जारी करना, सरकारी गाड़ियों के क्रम/रखरखाव का नियमन करना, मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मृतक आश्रितों एवं घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, राज्य एवं राज्य से बाहर व्यवसायिक वाहनों के संचालन हेतु परमिट जारी करना एवं अन्य राज्य सरकारों से परिवहन सम्बन्धी समझौता करना, मोटर वाहन अधिनियम/नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही एवं अपराधों का प्रशमन करना, बकाया राजस्व की वसूली करना है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए विभाग द्वारा विभिन्न मोटर डीलर्स, गैराजों, पैट्रोल पम्प आदि को प्रदूषण जाँच हेतु अधिकृत किया गया है, एवं प्रवर्तन दलों/कार्यालयों द्वारा भी समय–समय पर प्रदूषण की जाँच की जाती है। राज्य में प्रदूषण पर अंकुश पाने के लिए सभी प्रवर्तन दलों को प्रदूषण जाँच संयंत्रों से लैस किया जा रहा है, जिनके द्वारा वाहनों की नियमित जाँच की जायेगी और इस दिशा में सुधारात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही चलायी जायेगी। यह भी विचारणीय है कि मोटर गाड़ी कानूनों का भलीभाँति प्रवर्तन किया जाना है, जनता को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराया जाना है, राजस्व के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जाने हैं, विभाग के कार्यों में पारदर्शिता लायी जानी है तो परिवहन आयुक्त संगठन का उचित प्रकार से सुदृढ़ीकरण

किया जाना होगा, जिसके तहत परिवहन विभाग को वर्ष 2002–2007 की पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करते हुए कुल रुपये 9.35 करोड़ के परिव्यय की योजना है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2002–2003 में विभाग के कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत प्रथम चरण में परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं तीनों सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है, जिसके लिए रुपये 22.50 लाख के बजट की माँग रखी गयी है, बजट साहित्य के अनुसार इस मद में रुपये 7.50 लाख का प्राविधान रखा गया है। चैक पोस्टों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से अनाधिकृत वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चैक पोस्टों को वॉकी–टॉकी सेट एवं पाम–टाम कम्प्यूटर उपलब्ध कराने की योजना है। हमारी सरकार वाहनों का संचालन, आवश्यक परमिट, फिटनेश, उचित पंजीकरण विवरण के एवं करों के बिना भुगतान किये व वाहन दुर्घटनाओं की संभावनाओं को रोकने के उद्देश्य से परिवहन विभाग को सशक्त बनाने व इस दिशा में उचित कार्यवाही के उद्देश्य से कुछ ठोस कदम उठा रही है तथा वाहन चालकों के लाईसेन्सों की अनियमितताओं तथा फर्जी पंजीकरण की सम्भावनाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से नयी औद्योगिकी जिसमें स्मार्ट कार्ड तथा कम्प्यूटरों का अधिकाधिक प्रयोग करने जा रही है। पूरे उत्तरांचल में एक आर०टी०ओ० है, इसलिए हमें ठीक से संचालित करने में कठिनाई हो रही है। इसमें हमने लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा है। इसके लिए हमने 21 लाख 80 हजार का प्राविधान किया है। परिवहन व्यवस्था के लिए हमने स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवहन हेतु 50 हजार तथा परिवहन निगम के वाहनों से निःशुल्क यात्रा करने हेतु निगम को प्रतिकर भुगतान हेतु रु0 25 हजार की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार कुल परिवहन आयुक्त संगठन हेतु 43 करोड़ 60 लाख 87 हजार का प्राविधान रखा गया है। यह जो परिवहन का बजट है यह मद संख्या 24 से सम्बन्धित है जिसमें हमारा नागर विमानन का जिक्र किया है। 24 करोड़ रुपया हवाई विमान सेवा के लिए रखा गया है। इसका विस्तारीकरण करने उसके बड़े हवाई अड्डे की व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह कुल 43 करोड़ 60 लाख 47 हजार का बजट स्वीकृत हेतु रखा है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यह कहना चाहता हूँ कि हम परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। एक व्यवस्था कुमाऊँ और गढ़वाल की एक व्यवस्था प्राईवेट सेक्टर की है, एक व्यवस्था निगम की है।

पर्यटन के लिए उसके विकास के लिए हम बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधा मिले। परिवहन की अच्छी व्यवस्था हो अच्छी डीलक्स की बसें चलें जिससे जो पर्यटक हमारे राज्य में बाहर से आते हैं वे इन सुविधाओं को देखकर प्रभावित हों। इस सम्बन्ध में ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि वे अच्छी बसें चलायें। परिवहन व्यवस्था को चुस्त–दुरस्त बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं इस विश्वास के साथ मैं प्रतिपक्ष से अपील करूँगा कि वे कटौती का प्रस्ताव न लाएं तो एक अच्छी परम्परा का निर्वहन होगा।

*श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान सं0–16, श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, एक कहावत है बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ शुभान अल्लाह। माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया वह बड़े सुन्दर ढंग से किया। बजट की कोई बात आने नहीं दी। बजट के बारे में कुछ बताया ही नहीं। माननीय अध्यक्ष जी मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में महात्मा गाँधी, सरदार पटेल, लाला लाजपतराय, जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती गाँधी से लेकर तिवारी जी का बहुत सुन्दर ढंग से वर्णन किया कि ये लोग श्रम विभाग के प्रति कितने चिंतित रहते थे लेकिन इस बजट से भी ऐसा लगना चाहिए था कि वास्तव में माननीय मंत्री जी भी चिन्तित हैं, रोजगार के प्रति चिन्तित हैं। रोजगार की क्या व्यवस्था होगी ? इसके बारे में बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं किया। माननीय मंत्री जी ने बाल श्रमिकों की बात कही। आज वास्तव में उत्तरांचल में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक हैं, बाल श्रमिकों के चिन्हिकरण की बात माननीय मंत्री जी ने की है और बजट दिया इसमें पाँच लाख। इन पाँच लाख रुपयों में चिन्हिकरण करने की व्यवस्था तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जायेगी। इतना सब कुछ पाँच लाख रुपयों में कैसे हो जायेगा। आज वास्तव में बाल श्रमिकों का विषय उत्तरांचल राज्य के लिए महत्वपूर्ण है अगर यहाँ पर बैठे हुए समस्त सदस्य देहरादून की सड़कों पर ही निकल जाएं तो हर होटल में और हर चाय की दुकानों में हजार डेढ़ हजार बाल श्रमिक मिल जायेंगे।

मान्यवर, इस प्रकार से पूरे उत्तरांचल में यह एक ऐसी बीमारी है, वास्तव में जिसका इलाज इस विभाग के बजट में सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए इन्होंने सिर्फ 5 लाख रुपये की व्यवस्था की है। 5 लाख रुपये में आप उनको चिन्हीकृत करेंगे या उनका पुनर्वास करेंगे। क्या उनके लिए कोई प्रशिक्षण देने की योजना है ? यदि प्रशिक्षण देने की कोई योजना होती तो हमको वास्तव में लगता कि आप इस सम्बन्ध में गम्भीर हैं। मान्यवर, श्रम न्यायालयों के लिए 2 करोड़ 18 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है, श्रम न्यायालय खुलने चाहिए लेकिन इसके पहले अन्य सारी चीजें पूरी कर ली जानी चाहिए। श्रम न्यायालय में तो तब जायेंगे, जब आप उनका चिन्हिकरण कर पायेंगे। न्यायालय में जाने से पहले जो प्रक्रिया है, उसके लिए कितने बजट की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि 50 लाख रुपये में आप कितने प्रशिक्षण संस्थान खोलेंगे, उनमें कितने लोगों को प्रशिक्षण देंगे, बजट में यह भी प्रावधान होना चाहिए था कि कितने प्रशिक्षण संस्थान खोलने जा रहे हैं ? उत्तर प्रदेश में ऐसा होता था कि बजट आ जाता था और अधिकारी सोचते थे कि उसको किस मद में खर्च किया जाए, एक साल बाद भी जब वह खर्च नहीं हो पाता था तो बाद में खानापूर्ति होती थी। वही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। शिशिक्षु प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत सुन्दर ढंग से बताया कि हाई टेक्नोलॉजी के संस्थानों से इनकी बातचीत चल रही है। पता नहीं यह सही भी है या सिर्फ कहा ही है। 30 लाख रुपये की व्यवस्था इसके लिए की गयी है लेकिन इतने रुपये में यह कैसा प्रशिक्षण देंगे, उसका कोई वर्णन नहीं किया गया। आई0टी0आई0 के बारे में इस बजट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि इस वर्ष कितने नये आई0टी0आई0 कॉलेज

खोलेंगे, वहाँ पर प्रिंसिपल नहीं हैं, स्टॉफ नहीं है। उनके लिए क्या प्राविधान किया है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। नए उद्योगों की स्थापना करने की बात आपने कही, लेकिन यह नये उद्योग कौन–कौन से होंगे, इनके लिए क्या प्राविधान हैं, इसका कोई वर्णन बजट में नहीं है। बन्द पड़े उद्योगों को आप चालू करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है।

मान्यवर, लेकिन वे कैसे उद्योग हैं, उनके लिए क्या योजनाएं हैं, क्या खर्च हैं, क्या बजट रखा गया है इसके लिए, बजट में कोई प्रावधान इसका नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी पर्यटन बहुत अच्छा विषय है। हम उत्तरांचल राज्य को पर्यटन स्टेट बनाना चाहते हैं, स्विटजरलैण्ड बनाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, पर्यटन के लिए इन्होंने कहा कि विभिन्न सुविधाओं को देकर रोजगारपरक ऐसी रणनीति बनायेंगे जिससे लोग खिंचे चले आयेंगे। क्या योजनाएं हैं इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। रोजगार के प्रति क्या किया गया है, कितने पंजीकरण हैं, रोजगार कार्यालयों की स्थिति क्या है, कितने इम्प्लायमेन्ट ऑफिसर हैं, बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। आप उनके लिए अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए क्या करने जा रहे हैं, कोई योजना भी नहीं बतायी। मान्यवर, न्यूनतम मजदूरी तय करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज मजदूरों का बहुत शोषण हो रहा है। आज भी उत्तरांचल राज्य में हजारों ऐसे लोग कार्य कर रहे हैं जिसे कान्ट्रेक्ट बेसिस कहते हैं। इसमें उन्हें 50 रुपये रोज मिलते हैं, लेकिन बीच में 5–10 रुपये काट लिए जाते हैं और उन्हें मात्र 40–45 रुपये ही दिए जाते हैं। आप चिन्तित हैं इससे, अच्छी बात है, हम भी चिन्तित हैं, लेकिन इसके लिए क्या प्रावधान किया आपने, कहीं कोई उल्लेख नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए आपने कहा कि उनके लिए समान मजदूरी की व्यवस्था करने जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए पंजीकरण की क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, क्या उनकी शिक्षा के अनुरूप उनका पंजीकरण करेंगे, क्या रोजगार कार्यालय से नौकरी के सम्बन्ध में कोई पत्र उनके पास जाएगा, इन सब चीजों का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। विकलांगों के प्रशिक्षण की बात हुई, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, लेकिन विकलांगों के लिए क्या योजना बनायी है, विकलांगों का सेवायोजन कार्यालय में किस योजना के अन्तर्गत उनका नाम लिखवायेंगे, क्या उनके लिए कोई निश्चित कोटा फिक्स कर रहे हैं, हम एक साल में जिनको अपने रोजगार कार्यालय में पंजीकृत करेंगे, उनमें से कितनों को रोजगार देंगे, रोजगारपरक योजना के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, परिवहन के बारे में माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी, सुन्दर बातें कही हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, प्रदूषण के बारे में कहा कि वास्तव में वे खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, पेट्रोल पम्प में मशीनें रखी गयी हैं और उनमें कोई भी 10–20 रुपये ज्यादा देकर प्रदूषण का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर रहा है। इन्होंने कहा कि हम नई मशीनें खरीद रहे हैं। कितना बजट है इसके लिए, क्या 13 जिलों में इसकी मशीनें उपलब्ध होंगी। चमोली जिले के लिए, धारचूला जिले के लिए क्या इसे आप भेजेंगे ?

मान्यवर, कब तक आप इसे खरीदेंगे, आपने कहा कि इसके लिए निर्देश दे दिये गये हैं। बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आपने चेक पोस्टों पर ए0आर0टी0ओ0 को वॉकी-टॉकी और होमगार्ड देने की बात कही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आप आर0टी0ओ0 या ए0आर0टी0ओ0 को समुचित व्यवस्थाएं नहीं देते हैं तब तक अन्य राज्यों के वाहनों को रोक पाना सम्भव नहीं होगा, जो बगैर टैक्स दिये हमारे प्रदेश में आते हैं। लेकिन मान्यवर, बजट में इसके लिए कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे यहाँ आर0टी0ओ0 नहीं है। तकनीकी शिक्षा के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमारे यहाँ 15 पॉलिटेक्निक हैं, एक सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक है, एक महिला पॉलिटेक्निक है। मान्यवर 17 पॉलिटेक्निक तो हैं ही, क्या आपने इनकी संख्या बढ़ाई है, इनमें ट्रेड बढ़ाई है। इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, समन्वय स्थापित करने की बात माननीय मंत्री जी ने कही, क्या इसके लिए कोई योजना बनाई गई है। क्या कोई नया इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा रहा है या पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई नया भवन बनाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया संक्षेप करें।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, तकनीकी शिक्षा, परिवहन नीति के बारे में जितनी गम्भीरता झलकनी चाहिए थी, वह इसमें नजर नहीं आ रही है। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, यह जो न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी कि इस सम्बन्ध में हम गम्भीर हैं। माननीय मंत्री जी के पड़ोस में जो माननीय मंत्री जी बैठे हैं इन्होंने जल संस्थान, जो एक ऐसा संस्थान है जहाँ कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों जल संस्थानों में, जो भी ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका दैहिक शोषण किया जा रहा है, उनको 30 से 35 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है कान्ट्रेक्ट बेसिस पर। यह बड़ा ही साहसिक कदम होता अगर उनकी एक न्यूनतम मजदूरी लागू करते तो निश्चित रूप से जल संस्थान के कर्मचारियों का भला होता। मान्यवर, आई0टी0आई0 के बारे में जो जानकारी माननीय मंत्री जी ने दी उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे भी आई0टी0आई0 हैं जिनको अभी तक मान्यता नहीं मिली है तो उन आई0टी0आई0 में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा। उन प्रशिक्षण प्राप्त बच्चों की समस्याओं के बारें में निदान कैसे होगा। माननीय मंत्री जी ने कोई जानकारी नहीं दी। हमसे पहले माननीय सदस्य ने बाल श्रम के बारे में जानकारी दी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बाल श्रम उत्तरांचल की एक प्रमुख समस्या है यहाँ पर गरीबी का स्तर इतना ज्यादा है कि इनके माँ बाप मजबूरी में इस प्रकार का काम करवाते हैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई है केवल पाँच लाख

रुपया मात्र से इनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दूसरा फार्मेसी डिप्लोमा की बात है इस सम्बन्ध में हम बताना चाहते हैं कि जो फार्मेसी डिप्लोमाधारी हैं वे दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेवाओं में। वे तीन चार साल का प्रशिक्षण प्राप्त करके खाली बैठे हैं। इस सम्बन्ध में श्री माननीय मंत्री जी ने कोई जानकारी नहीं दी है। मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उद्योग से सम्बन्धित, मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में मैगनेसाइट्स एण्ड मिनरल्स फैक्ट्री हुआ करती थी। वह भी बन्द हो गयी। सात सौ मजदूर बेकार हो गए वे दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुँच गया है वे बेरोजगारी की स्थिति में है। टिहरी में आई0आर0आई0 वाला बाला में दो सौ कर्मचारियों को नौ महीने से वेतन नहीं मिला है मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी अपना भाषण दें तो उस समय विस्तार से इस पर प्रकाश डालें। हमारे यहाँ गैनीसैंनी में एक हवाई पट्टी है उसके लिए इस बजट में धन का प्राविधान नहीं किया गया है। उत्तरांचल में चार हवाई पट्टियाँ हैं गोचर, चिन्यालीसैंण, देहरादून और पंतनगर। केवल देहरादून हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के लिए ही धन आवंटित किया गया है जबकि इन तीनों को छोड़ दिया गया है। इसके लिए भी धन का आवंटन होना चाहिए था ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और आवागमन के साधन सुलभ हो सकें। लघु उद्योगों के बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई बात नहीं की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने टैक्निकल शिक्षा के बारे में जो बातें कहीं मैं आपके माध्यम से इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सितारगंज विधान सभा क्षेत्र में करीब सात साल पहले एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हुई थी लेकिन इस समय जमीन के अभाव में अस्थायी रूप से काशीपुर में शिफ्ट किया गया था।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो काशीपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज था उसे आप फिर से शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी आई0टी0आई0 हैं क्या आप उन आई0टी0आई0 में प्रधानाचार्य की नियुक्ति करेंगे। मान्यवर, आई0टी0आई0 चिहवटिया में एक भी अनुदेशक नहीं है। ऐसे आई0टी0आई0 खोलने का कोई औचित्य नहीं जहाँ पर कोई अनुदेशक नहीं है और प्रधानाचार्य भी नहीं है। मान्यवर, बाल श्रमिक से जो कार्य कराया जा रहा है, क्या सरकार बाल श्रमिक पर रोक लगा सकेगी या उनका वेतन तय कर सकेगी, क्या उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही कर रहे हैं ? मान्यवर, सेवा योजन कार्यालय में कितने रोजगार दे रहे हैं ? मान्यवर, आई0टी0आई0 में जो प्रशिक्षण दे रहे हैं उसमें कितनों को रोजगार दे पा रहे हैं। यह विचारणीय विषय है, अगर रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कैसे इन लोगों को रोजगार देंगे।

मान्यवर, जब यात्रा का सीजन आता है तो सभी बसें यात्रा में लग जाती हैं। उस समय जो लोकल बस व्यवस्था होती है वह भी यात्रा में लग जाते हैं, जिससे लोकल यात्रियों को दिक्कत होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लोकल बसें चलनी चाहिए जिससे क्षेत्रीय लोगों को परेशानी न हो। मान्यवर, देहरादून में कई जगहों पर जाम लग जाता है जिससे यात्रियों को परेशानी होती है तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यह जाम न लगे और यहाँ पर सुचारू रूप से बसें चलें।

मान्यवर, देहरादून में बहुत प्रदूषण है, इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जो विक्रम और थ्रीव्हीलर चल रहे हैं इनसे प्रदूषण हो रहा है अगर इनको ऐसे स्थानों पर चलाया जाये जहाँ पर बसें नहीं हैं तो यहाँ प्रदूषण नहीं होगा। मान्यवर, कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि हमारे चालक बेरोजगार न हों और प्रदूषण की समस्या का समाधान भी हो जाये।

*श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आई0टी0आई0 के सम्बन्ध में बताया है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि गदरपुर में 2 स्थानों पर आई0टी0आई0 दिखाई गई है लेकिन बिल्डिंग एक ही है और लाखों रुपये का संयत्र जो आई0टी0आई0 के नाम पर लाया गया था, वह कानपुर में लाखों रुपया इम्प्लीमेंट से दे रहे हैं।

मान्यवर, कानपुर में करोड़ों रुपये के उपकरण पड़े हैं, जो आई0टी0आई0 को देते ही नहीं हैं। इसके अलावा तीन केन्द्र और हैं। एक उत्तरांचल में है और दो उत्तर प्रदेश में हैं, जहाँ पर ये संयत्र रखे गये हैं, वहाँ की हालत बहुत ही सोचनीय है। मान्यवर, मैं उद्योग जगत होने की वजह से मुझे ज्ञात है जब बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं तो हम उनके मार्क्स को देखते हैं तो हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में जब उनसे पूछा जाता है कि अमुक मशीन का "स्क्रू" किधर घूमता है तो वे निरुत्तर हो जाते हैं। जब कि इन बच्चों के मार्क्स 85–90 प्रतिशत होते हैं। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए बच्चों का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए इस पर हमको ध्यान देना चाहिए।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रु0 कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, उत्तरांचल के अन्दर पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं, पर्यटन का मुख्य स्रोत परिवहन है, यदि परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो इससे पर्यटकों को परेशानी होगी। इसलिए इस दिशा में समुचित कदम उठाने होंगे। अभी मान्यवर, माननीय मंत्री जी अपने भाषण में बहुत सारी बातें कह रहे थे।

मान्यवर, आश्चर्य इस बात का होता है आज तीन माह के पश्चात् भी हम यह तय नहीं कर पाये कि हमारा उत्तरांचल का अलग से परिवहन निगम बने, होना तो यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिए कि माननीय मंत्री जी घोषणा करते कि इतनी तारीख को उद्घाटन है, हम सारे सदस्यों को बुलाने जा रहे हैं। हमारा परिवहन विभाग नहीं बना। आज हमारे पास एक भी वाहन ऐसा नहीं है जो पहाड़ में चलने की स्थिति में हो, कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो यहाँ से चलती है और रास्ते में रुक जाती हैं। मान्यवर, परिवहन की मदों में खर्चों को दिखाया गया। अभी चार लाख 50 हजार रुपये के दर से 11 वाहन स्टॉफ कार खरीदे गये। कम्प्यूटर के लिए जरूर 7.50 लाख रखा गया है। जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे का जरूर विचार आया है। आप स्मार्ट कार्ड के लिए एक लाख रुपया देने वाले हैं हमें नये वाहनों की आवश्यकता है, नये वाहन खरीद की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार ने इस दिशा में किसी प्रकार का प्राविधान नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के वाहन यहाँ पर चल रहे हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। हमारे यहाँ 4 धाम की यात्रा के लिए लोग देश और विदेश से यहाँ आते हैं, इसलिए परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए। टैक्स पद्धति के बारे में ठीक से दिशा निर्देश नहीं आते हैं। आप नये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हमारे यहाँ से लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसकी यहीं व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ तक कि लोग बाहर से रजिस्ट्रेशन करने यहाँ आयें, यह मेरा सुझाव है। मान्यवर, उत्तरांचल में अनेक जगहों पर जहाँ रोडवेज की बस चल भी रही थी, वह भी बन्द हो गई है। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हम भारी लाइसेंस निर्मित करते हैं। उत्तरांचल के लिए हिल लाइसेंस जो बनता है उसका परीक्षण किया जाना चाहिए कि इसके लिए क्या माप दण्ड हैं, माप दण्डों के अनुसार ही हिल लाइसेंस बनाया जाये जिससे दुर्घटनाओं में कमी आये।

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय कण्डारी जी ने प्रदूषण की समस्या का जिक्र किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरांचल में कितने वाहन चलने चाहिए। के0एम0ओ0 की कितने बसें चलनी चाहिए और जी0एम0ओ0 की कितनी बसें चलनी चाहिए इन बसों के बारे में तथा निजी व्यवसाइयों के बारे में क्या चिन्तन है और इनको क्या अधिकार देंगे। अभी हमने पिछली बार देखा छोटे और बड़े दोनों वाहनों का टैक्स एकदम बढ़ गया हमें कितना परमिट उनको देना चाहिए इसके बारे में क्या सोच है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ उत्तरांचल का परिवहन निगम अलग बनें। बहुत बड़ी बसों में लोग सफर करना पसंद नहीं करते। रोडवेज के माध्यम से छोटी बसें, टैक्सी चलाई जाएं जिससे बाहर से आने वाले पर्यटक यहाँ की अच्छी परिवहन की सुविधा देखकर आकर्षित हों। मान्यवर, सरकार इन सुझावों के बारे में कारगर कदम उठायेगी। कम्प्यूटर भी आ जायेंगे आपके स्टॉफ वालों की कार भी आ जायेगी। रोडवेज की गाड़ियों में उत्तरांचल नाम से परिवहन की पट्टिका दिखाई दे, ऐसा प्रावधान होना चाहिए था। मान्यवर, इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ बहुत ही चन्द लफ्जों में अपनी बात को कहूँगा। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब इस दोहे को दोहराते थे वह था "काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरि करोगे कब" मुझे ऐसा लगता है परिसम्पत्तियों के बँटवारे में इस सरकार ने इस तरह का रवैया अपना लिया है कि जैसे "आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जब जीना है बरसों।" मान्यवर, कम से कम ऐसी व्यवस्था कर दें कि हम उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी से परिसम्पत्तियों के बँटवारे के बारे में बात करें।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, मैं जो सुझाव हमारे माननीय साथियों ने प्रकाश पंत जी ने रखे उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपने को जोड़ता हूँ। यदि माननीय मंत्री जी इन सुझावों को बजट में लाते हैं तो इसका मैं समर्थन करता हूँ, वरना मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं श्री मदन कौशिक जी, श्री प्रकाश पंत जी, श्री मातबर सिंह कण्डारी जी, श्री नारायण पाल जी, श्री हरभजन सिंह चीमा जी, श्री महेन्द्र भट्ट जी और भाई काजी निजामुद्दीन का बहुत आभारी हूँ, आप सबने बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पर दिए। लेकिन भाई मदन कौशिक जी ने कहा कि बजट की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरे पास बिन्दुवार आँकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन उनको अगर मैं सदन के समक्ष रखता तो लगभग 45 मिनट इसी में लग जाते, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। हमारे पास हर मद के लिए बजट है, बजट में थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसको ठीक करना सरकार के हाथ में है। माननीय कौशिक जी ने कहा कि बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में बात कही गयी, लेकिन उसके लिए बजट की व्यवस्था नहीं की गयी। मान्यवर, बाल श्रमिकों का चालान करना बहुत आसान नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने भट्टा में रेड करवाई थी, एस0डी0एम0 ने रेड की थी, 23 बाल श्रमिकों का पता चला था। लेकिन इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय का आदेश है, कि जब तक इसकी पुष्टि न हो जाए, हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में हमारे एक ओ0एल0सी0 को उच्च न्यायालय ने अवमानना की नोटिस दे रखी है। बाल श्रम सिद्ध होने पर 25 लाख रुपये के आर्थिक दण्ड का प्राविधान किया गया है, जो इन बाल श्रमिकों के पुनर्वास में लगाया जाता है। केन्द्रीय कानून इस सम्बन्ध में बहुत कठोर है और हम उनका पालन करने के लिए कृत संकल्प हैं। आपने खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिकों के काम करने की बात कही। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकार डी0एम0 और एस0डी0एम0 दोनों के पास हैं, वह जाकर उनका चालान कर सकते हैं और उनको पकड़ सकते हैं।

मान्यवर, जैसा मैंने पहले अपने भाषण में कहा कि उद्योगों को संरक्षण देंगे, लेकिन हम बाल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी न देने की परिपाटी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए हम कृत–संकल्प हैं। श्रीमन्, हमारे कौशिक जी ने श्रम न्यायालय की व्यवस्था की बात की, उसके लिए धन आवंटन कर दिया गया है और प्रभावी ढंग से काम करने की आवश्यकता है और जो न्यूनतम मजदूरी की बात कही थी और जो प्रकाश पंत जी ने उल्लेख किया था। दैनिक मजदूरों का तो उनका सेवा शर्तें क्या हैं, यह हमें देखना होगा पंजीकरण, प्रदूषण मशीनों के बारे में आपने जिक्र किया और यह भी बताया कि इसमें एक बड़ा भारी रैकेट कार्य कर रहा है। इसलिए मैंने डी0एम0, एस0डी0एम0 की मीटिंग बुलाकर, उनका सहयोग लेकर एक टास्क फोर्स का गठन करके वे लोग इसमें प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। प्रदूषण प्राप्त करने के लिए जो 7 सम्भागों की बात की जा रही है, बजट में इस समय टोकन मनी के रूप में की गयी है, यह लाभ का है नुकसान का नहीं।

*नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, लाभ का मामला किस सम्बन्ध में। पिछले परिवहन मंत्री भी आपके साथ बैठे हैं। परिवहन इसलिए आपका निगम नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसमें बहुत घाटा होता है। अगर लाभ हो रहा है तो राज्य का सवाल है, मान्यवर, और आपके आते ही लाभ हो रहा है तो बताइये, फिर तो तुरन्त हो जाना चाहिए।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, अभी नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही, परिवहन निगम अलग है परिवहन विभाग अलग है। श्रीमन्, दोनों अलग–अलग व्यवस्थाएं हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह सब मुझे पता है। आपने कहा मेरा विभाग लाभ में है, तो आपका विभाग तो परिवहन विभाग है। मैंने इसलिए कहा नहीं तो क्यों टोकता ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि कारपोरेशन हमारा बना ही नहीं, इसलिए कहने का कोई औचित्य ही नहीं है। निगम बन जाता और मैं यह बात कहता तब तो इस बात का औचित्य था। हमारे साथियों ने कुछ हवाई बस अड्डों और फार्मेसिस्ट के बारे में चिन्ता की। श्री प्रकाश पंत जी ने भी कहा। पॉलिटेक्निक के 16 फार्मेसिस्ट का हमें डेलीगेशन प्राप्त हुआ था। हम चाहेंगे कि भविष्य में उनके साथ ऐसी घटनाएं न घटें।

मान्यवर, माननीय नारायण पाल जी ने सितारगंज पॉलिटेक्निक के बारे में कहा कि वह पुनः स्थानान्तरित होगा या नहीं। मैं इसे दिखवा लूँगा। इसमें जो कार्यवाही हो सकेगी, वह की जायेगी। माननीय कण्डारी जी ने प्रधानाचार्य की नियुक्ति के बारे में कहा श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि यदि वास्तव में ऐसा है तो चिन्ता की बात है, इसकी जाँच कराई जायेगी। मान्यवर, जो व्यवस्था हमें मिली है, उसमें हम लगातार सुधार का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, जब हमारी सरकार बनी थी उस समय 11 पॉलिटेक्निक में प्रधानाचार्य नहीं थे। हम इस दिशा में भी सुधार कर रहे हैं। श्रीमन्, अभी हवाई पट्टियों की बात भी आई। जौलीग्रान्ट हवाई पट्टी के विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नैनी सैंड, गोचर, चमोली का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में जौलीग्रान्ट हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की आवश्यकता है। श्रीमन्, हम चाहते हैं जो बच्चे हमारे आई०टी०आई० या पॉलिटेक्निक से पढ़कर निकले वे योग्य हों। अभी माननीय महेन्द्र प्रसाद भट्ट जी ने बहुत से महत्वपूर्ण बिन्दु उठाये हैं। मैं बताना चाहता हूँ।

मान्यवर, जो कारपोरेशन की बात है यहाँ कारपोरेशन नहीं है। अभी एक महीने पहले पुणे से अध्ययन करने के लिए कम्पनी आयी है वह हिन्दुस्तान में अच्छी मान्यता रखती है वह अध्ययन कर रही है कारपोरेशन बनाने का जो स्वरूप है उसमें जो सुझाव होने चाहिए उसका विस्तार से अध्ययन हो रहा है हिन्दुस्तान के एक्सपर्ट अध्ययन दल द्वारा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रोडवेज, आर०टी०ओ० ऐसे बहुत से संगठन, उसमें नयी क्या व्यवस्था हो सकती है इस सम्बन्ध में सबके अलग-अलग विचार आए। उस सम्बन्ध में हम प्रयास कर रहे हैं, पुणे की महत्त्वपूर्ण कमेटी है उसकी रिपोर्ट अपने आप में मान्यता रखती है उसका जो परिणाम आयेगा जो भी कारपोरेशन बनेगा, हम करेंगे, निश्चित रूप से होगा। अभी हमने तीन करोड़ रुपया जो उत्तर प्रदेश से केवल पर्वतीय विकास में बसों की व्यवस्था के लिए आया था, गढ़वाल मण्डल विकास निगम एकाउन्ट में था, जिसकी जानकारी शायद हमारी पुरानी सरकार को नहीं थी, वह पैसा उत्तर प्रदेश ने जारी किया था तीन करोड़ रुपया, उत्तर प्रदेश से मँगा लिया गया है। उससे नयी बसें खरीदी जायेंगी यह प्रयास हमारी सरकार कर रही है। परमिट के सुधार के लिए जैसा कि मैंने पहले कहा था हमारी परमिट प्रणाली, रजिस्ट्रेशन टैक्स तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा है। हमने उत्तर प्रदेश से नकल कर ली है उत्तराखण्ड में यह अनुकूल नहीं पड़ता इस पर अध्ययन कर रहा हूँ। मैं भी महसूस कर रहा हूँ इस दिशा में निश्चित रूप से काम हमारी सरकार कर रही है। हमारे काजी निजामुद्दीन जी उन्होंने जो सुझाव दिए और उन्होंने जो बातें कहीं, उन्हें पुराना आभास है और पुरानी सरकार का वे अनुभव दोहरा रहे हैं और परिवहन नीति के बारे में, इस सम्बन्ध में जो भी मान्य होगा, हम करेंगे, नयी परिवहन नीति बनाई जायेगी। मैं अपने भाई से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे हमारा नियम होगा हम मजबूती के साथ, नयी दिशा में काम करेंगे। बसों को परचेज करेंगे, लोन लेंगे। आपको निराश नहीं होने देंगे। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। आपसे हमको प्रेरणा मिलती है। हमारे भाई अजय भट्ट और कौशिक जी दोनों नौजवान हैं इसलिए साहस कीजिए और एक नई परम्परा को जन्म दीजिए आपके सुझाव सुन्दर हैं जो सुझाव लेने लायक होंगे निश्चित रूप से ग्रहण करेंगे। आप दोनों नौजवान हैं एक साहस दिखाएं एवं एक नयी परम्परा का श्री गणेश करें, लोकतंत्र में। उत्तरांचल के विकास के लिए उत्तरांचल की प्रगति के लिए, इसलिए आप लोग अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदन संख्या–16, श्रम एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपया 278747 हजार (सत्ताईस करोड़, सत्तासी लाख, सैंतालिस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपया 436087 हजार (तैंतालीस करोड़, साठ लाख सत्तासी हजार) से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग

*चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 2003384 हजार (दो सौ करोड़ तैंतीस लाख चौरासी हजार) से अनधिक धनाराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, निर्वाचित पहली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बजट पर पहली बार बोलने का अवसर मिला इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। स्वास्थ्य विभाग उत्तरांचल के लिए एक चुनौती है। उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद भी आज तक दूर–दराज क्षेत्रों तक चिकित्सा पहुँचाना बहुत बड़ी चुनौती है। चिकित्सकों की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। 430 डाक्टरों के लिए सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है, इनमें 400 पुरुष तथा 30 महिला डाक्टर हैं, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख 24 जून तक है। हमने डाक्टर नियुक्त करने का निर्णय लिया और आवश्यकता पड़ने पर संविदा पर रखने का भी प्रयास किया है। 120 डाक्टर संविदा पर रखने की कार्यवाही भी चल रही है। हमने दवा नीति भी बनायी है, प्रत्येक अस्पताल में दवा अच्छी कम्पनी की मिले। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित योजना के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे गर्भवती महिलाओं के लिए दो बच्चों तक 500 रु0 करने की व्यवस्था की गयी है। पहले यह कार्य समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता था अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह कार्य सम्पादित किया जा रहा है। जन्म दर में 19.6 प्रतिशत तथा मृत्यु दर में 6.5 प्रतिशत की कमी लाना है। सम्पूर्ण शिशु प्रतिरक्षण 40.9 को बढ़ाना, शिशु मृत्यु दर 52 प्रति हजार जीवित शिशु में कमी, मातृ मृत्यु दर 4.4 प्रति हजार में कमी, सकल प्रजनन दर 2.71 से कमी, दम्पति सुरक्षा दर 43.1 प्रतिशत में वृद्धि, सुरक्षित प्रसव 51.2 में वृद्धि। विभिन्न बीमारियों जैसे क्षय रोग, हैजा, मलेरिया तथा एड्स आदि में कमी लाना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। प्राथमिक उपकेन्द्र 1525 मुख्य केन्द्र (परिवार कल्याण) 84, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय (पुरुष) 326, महिला चिकित्सालय (ग्रामीण) 39, विकास खण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 84 हैं, इसमें 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर सामान्य स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित, हेल्प पोस्ट 9, नगरी परिवार कल्याण केन्द्र 7 तथा पी0सी0, पी0पी0सी0 24 हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, एस0ई0टी0 सेन्टर के लिए 274 हैं, आँगनबाड़ी द्वारा ग्राम सभायें न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधायें 1869 (जिन ग्राम सभाओं में किसी प्रकार की चिकित्सा स्थायी इकाई स्थापित नहीं हैं) वहाँ पर काम चल रहा है। इसके साथ–साथ बड़े चिकित्सालयों में भी 32 जिला बेस चिकित्सालय, बेस चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 23, प्रसव केन्द्र 24 चल रहे हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा के 60 केन्द्र हैं, 386 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं। आयुर्वेद पद्धति चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जा रही है। आयुर्वेद विद्यालयों में 110 छात्रों को स्नातक में प्रवेश दिया जाता है। मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूँ कि विगत वर्ष 2001–2002 यह व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003 में यह व्यय 26.7 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। मान्यवर, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है सभी स्तर के स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के प्रयास कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आय–व्ययक का लक्ष्य हमारा प्रस्तावित है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि सामुदायिक केन्द्रों हेतु लगभग 125 पदों का सृजन करने जा रहे हैं। इसके साथ टी 13 केन्द्रों की स्थापना और उनको सुदृढ़ करना हमारा उद्देश्य है। 5 जनपदों में हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, बागेश्वर एवं रुद्रप्रयाग में क्षय केन्द्रों की स्थापना करने जा रहे हैं। मानसिक रोग चिकित्सालय देहरादून में करने जा रहे हैं। टैली मेडिसिन की स्थापना करने जा रहे हैं। जनपद हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर चम्पावत, बागेश्वर एवं रुद्रप्रयाग में जिला होम्योपैथिक के कार्यालय की स्थापना होगी। 3 पूर्व में सृजित जिला होम्योपैथिक कार्यालय में आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था, 5 नये होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना, निदेशालय स्तर पर उप निदेशक होम्योपैथिक के पद का सृजन, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय का सुदृढ़ीकरण, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में 5 पदों का सृजन, 95 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में 380 पदों का सृजन, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण, जनपद बागेश्वर, एवं रुद्रप्रयाग में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक कार्यालय की स्थापना। राजस्व लेखा शीर्षक की भाँति पूँजी लेखा में भी विगत वर्ष के आय–व्ययक के अनुमान के सापेक्ष में भारी वृद्धि 203.8 प्रतिशत जो कि विगत वर्ष से 32 करोड़ 8 लाख अधिक है। पूँजी लेखा में वृद्धि का प्रस्ताव करते समय सभी स्वास्थ्य प्रणाली के स्तरों को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रस्ताव किया गया नये जनपदों बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में चम्पावत के जिला चिकित्सालय के भवनों का निर्माण, नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण, उप केन्द्रों के भवनों का निर्माण, ट्रामा यूनिट का निर्माण एवं स्थापना, अंकोलोजी सेन्टर का निर्माण मानसिक रोग चिकित्सालय का निर्माण देहरादून में होगा, तहसील स्तरीय चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा, शव विच्छेदन गृह का निर्माण, ब्लड बैंक की स्थापना एवं निर्माण, फूड लैब का निर्माण, ड्रग लैब का निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हल्द्वानी में होगा।

मान्यवर, हल्द्वानी जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कार्यवाही की जा रही है। उसके लिए 300 बेड होने चाहिएं, यह कार्यवाही हो चुकी है। भारत सरकार से शीघ्र लाइसेंस प्राप्त हो जायेगा। उत्तरांचल में जन–जन को सस्ती एवं सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुर्वेद एवं यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु चिकित्साधिकारियों एवं फार्मेसिस्टों के आवश्यक पदों का सृजन किया जा रहा है।

गर्भवती माताओं को प्रसव से पूर्व, प्रसव के दौरान व उसके उपरान्त स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान की जा रही हैं तथा शिशुओं को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु प्रतिरक्षण बाल सेवा के अन्तर्गत प्रतिरक्षण, अल्प रक्तता तथा विटामिन ए की कमी को पूर्ण करने की सेवायें दी जा रही हैं। भारत सरकार के सहयोग से उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पहुँच पाना कठिन होता है उन क्षेत्रों के उप केन्द्रों पर अतिरिक्त 211 ए0एन0एम0 की संविदा के आधार पर विभिन्न जनपदों में तैनाती की गई है, जिससे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आउटरीच सैशन का संचालन 11 जनपदों में जहाँ उत्तरांचल क्षेत्रों में पहुँच विकट है तथा यातायात के साधन आसानी से सुलभ नहीं है इस कार्यक्रम के संचालन में समेकित बाल विकास परियोजना की आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों का सहयोग लिया जा रहा है। सुरक्षित प्रसव हेतु 672 अप्रशिक्षित दाइयों को प्रशिक्षित किया है। सम्पूर्ण उत्तरांचल के सभी विकास खण्ड स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रत्येक माह के अन्तराल में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की सभी सेवायें यथा मातृ शिशु कल्याण सेवा, सम्पूर्ण प्रतिरक्षण की सेवाएं, परिवार कल्याण की सेवायें जैसे महिला पुरुष नसबन्दी शल्य क्रिया, सुरक्षित गर्भ समापन, कॉपर टी, गर्भ निरोधक सामग्रियों का वितरण, डायरिया कन्ट्रोल, श्वसन तन्त्र संक्रमण का उपचार एवं आर0टी0आई0, एम0टी0आई0 के रोगियों के जाँच एवं उपचार तथा स्वास्थ्य शिक्षा एवं परामर्श आदि की सेवायें प्रदान की जा रही हैं। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत सरकार के अध्ययन से पोलियो उन्मूलन, सघन पल्स पोलियो अभियान भारत सरकार के दिशा–निर्देशन में उत्तरांचल राज्य में दो चरणों में संचालित किया गया था, जिसमें 0–5 वर्ष की आयु के लक्षित बच्चों को प्रथम चरण में 13.31 लाख, द्वितीय चरण में 13.50 लाख बच्चों को पोलियो की अतिरिक्त खुराक से लाभान्वित किया गया। मान्यवर, 80 प्रतिशत दृष्टिहीनता का कारण मोतियाबिन्द है। मोतियाबिन्द से पीड़ित रोगियों को शल्य क्रिया से लाभान्वित किया जाता है। विगत वर्ष 2001–02 में कुल 17298 मोतियाबिन्द से पीड़ित व्यक्तियों का लेंस प्रत्यारोपण कर शल्य क्रिया का लाभ पहुँचाया गया। जो कुल उपलब्धियों का 62 प्रतिशत है।

मान्यवर, जनसंख्या की वृद्धि देश के विकास में अवरोध है। हमारी सरकार जनसंख्या वृद्धि पर गम्भीरता से चिन्तन कर रही है। हम जनसंख्या को सीमित करने के लिए उत्तरांचल की जनता को सीमित परिवार की अवधारणा के महत्व से अवगत करा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में सकल प्रजनन दर, 2.71 है। दम्पति सुरक्षा दर जो वर्तमान में 43.1 है, को सन् 2006 तक बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने तथा उत्तरांचल की जनसंख्या के स्थायित्व के लिए हम सतत् प्रयत्नशील हैं।

मान्यवर, हमारी सरकार 2004 के अन्त तक कुष्ठ रोग की व्यापकता दर को 1 या 1 से कम प्रति दस हजार लाने के लिए कृत संकल्प है। विगत वर्ष 2001–2002 में 2502 नये कुष्ठ रोगियों की खोज की गयी तथा 1919 उपचारित किये गये। मान्यवर, हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत डाटस द्वारा क्षयरोगियों को उपचार प्रदान कर, क्षय रोग पर नियंत्रण किया जायेगा तथा इसी वर्ष प्रथम चरण में दो जनपदों, देहरादून और अल्मोड़ा में 2 अक्टूबर, 2002 से यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा तथा

शेष जनपदों में माह जनवरी, 2003 में प्रारम्भ किया जायेगा। मान्यवर, आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में एच0आई0वी0/एड्स के संक्रमण को कम करने के विभिन्न उपाय जैसे जन जागरण, एच0आई0वी0 मुक्त रक्त की व्यवस्था, संवेदनशील वर्गों के लिए विशेष कार्ययोजना, वालन्टरी काउन्सिलिंग टेस्टिंग केन्द्रों की स्थापना, गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के प्रयास हमारी सरकार कर रही है। वर्तमान समय में एच0आई0वी0 मुक्त रक्त उपलब्ध कराने के लिए 15 रक्त कोष उत्तरांचल में कार्यरत हैं। वर्ष 2002–03 में 4 रक्त कोषों की स्थापना किये जाने के लिए लक्ष्य प्रस्तावित है तथा दून चिकित्सालय में स्टेट ऑफ दि आर्ट मॉडल ब्लड बैंक की स्थापना हेतु भारत सरकार से सहमति प्राप्त हो चुकी है जिसकी स्थापना प्रस्तावित है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आयोडीन की कमी से विभिन्न प्रकार के शारीरिक विकार जैसे घेंघा, मन्द बुद्धि, बौनापन हो जाते हैं। 1930 और 1988 के बीच में उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों की व्यापकता दर 3.5 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नमकों के जो नमूने लिए गए जिससे यह स्पष्ट हुआ कि 93.62 प्रतिशत नमूनों में आयोडीन की वांछित मात्रा पायी गयी। चिकित्सा संस्थाओं द्वारा बाह्य रोगी तथा अन्त: रोगी के साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। मैं माननीय सदन को उनके मुख्य–मुख्य मदों से अवगत कराना चाहता हूँ, उपचारित बाह्य रोगी 19 लाख 15 हजार 793, भर्ती रोगी 104097, औसत भर्ती अवधि 4.30 दिन, चिकित्सालय में मृत्यु दर 2.48, माइनर ऑपरेशन 17219 और मेजर ऑपरेशन 8856। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना, देहरादून के सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ, उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम डेवलेपमेन्ट परियोजना चलाने के लिए उत्तरांचल गठन के उपरान्त प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन किया गया है। पूर्व में उत्तरांचल में इस परियोजना का संचालन अविभाजित उत्तर प्रदेश में किया जा रहा था। यह परियोजना वर्ष 2005 तक चलाए जाने हेतु परियोजना में 74.485 करोड़ रुपये का वित्तीय प्राविधान है। इस परियोजना में उत्तरांचल के चिन्हित 35 चिकित्सा इकाई, 6 जिला पुरुष चिकित्सालय, 7 जिला महिला चिकित्सालय, 1 बेस चिकित्सालय, 7 सा0 स्वा0 केन्द्र 14 ब्लाक स्तरीय सा0 स्वा0 केन्द्र के भवनों का सुदृढ़ीकरण, उपकरणों की मरम्मत तथा मानव संसाधन के विकास के कार्य के साथ–साथ उत्तरांचल में स्थापित चिकित्सा संस्थाओं 50 रोगी वाहन की आपूर्ति तथा बड़े चिकित्सालयों तथा मुख्य चिकित्सालयों के कार्यालयों को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत किये जाने का प्रावधान है। मुझे माननीय सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उत्तरांचल राज्य अपनी स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति के गठन कर निकट भविष्य में घोषणा करने जा रही है। वर्तमान समय में नीति के गठन के लिए 2 कार्यशाला जिसमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वास्थ्य विशेषज्ञों एवं चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तरांचल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया।

मान्यवर, मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उत्तरांचल राज्य अपने स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति के गठन पर निकट भविष्य में घोषणा करने जा रही है। वर्तमान समय में नीति के गठन के लिए 2 कार्यशाला जिसमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय

ख्याति प्राप्त स्वास्थ्य विशेषज्ञों एवं चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तरांचल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया। और उसके अन्दर स्वास्थ्य सचिव, की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति पर इसको संचालित किया जायेगा और हम जल्दी ही इसकी घोषणा करेंगे। पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें हमने बढ़ोत्तरी की है। पिछली बार उत्तरांचल के बजट का 4 प्रतिशत था और इस बार इसमें 4.44 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई है और हमने अवशेष 2.73 करोड़ रुपये को पुनर्जीवी कर उपकरणों को क्रय करने की व्यवस्था की है। दून चिकित्सालय, देहरादून, बेस चिकित्सालय, बी0डी0 पाण्डेय चिकित्सालय, बी0डी0 पाण्डेय महिला चिकित्सालय, जिला अस्पताल अल्मोड़ा एवं गोपेश्वर को भी सुदृढ़ीकरण करने का हमारा प्रस्ताव है। 11वें वित्त आयोग के अन्दर 3 बड़े अस्पतालों में ग्लॉयकोन्लॉजिस्ट सेन्टर हमने लगाने का प्रस्ताव किया है। 3 अस्पतालों में हम सी0टी0 स्कैन लगायेंगे ऐसा प्रस्ताव भी हमने वित्त आयोग के अन्तर्गत किया है। एक्स–रे मशीन, सी0टी0 स्कैन, सोडियम, पोटेशियम, लीथियम आटोमेटिक और पैरामुलर माइक्रोस्कोप प्लेट और अल्ट्रासाउण्ड मशीन विथ कलर प्रापर 1 के लिए धनराशि प्रस्तावित है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ कि 3 माह के अन्दर रोगियों का जो रुझान अस्पतालों की ओर बढ़ा है और पिछले दिनों का आँकड़ा उठाकर देख लें, मैं कहना चाहता हूँ कि 3 माह के अन्दर जो रुझान बढ़ा है। मैं एक नहीं कई अस्पतालों का जिक्र कर सकता हूँ। पिछले दिनों ब्लड बिक रहा था, पिछली सरकार में भी ब्लड बिक रहा था, दून अस्पताल में लोग पकड़े गये। मान्यवर, मरीजों का प्रतिशत बढ़ रहा है। जिला महिला चिकित्सालय, देहरादून बेस चिकित्सालय, श्रीनगर और जवाहर लाल नेहरू अस्पताल और साथ ही जिला अस्पताल गोपेश्वर में। मार्च, 2002 में 22.33 की प्रतिशत की वृद्धि हुई। और साथ ही अप्रैल, 2002 में 59.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मई में 45.91 प्रतिशत वृद्धि हुई। आप देख सकते हैं कि मरीजों का इलाज प्रारम्भ हुआ और कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर डॉक्टर नहीं हैं वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध करायेंगे और हमारी जो स्वास्थ्य नीति बन रही है कि प्रत्येक गाँव में अन्तिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को भी दवा उपलब्ध करायी जायेगी। अतः मैं चाहता हूँ कि आप लोग कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और इस व्यवस्था को चलने दें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद ऐसा लगा कि मात्र तीन महीने में ही हम सतयुग में आ गये। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत दरियादिली से अपनी बात रखी है। मान्यवर, जो भी कार्यक्रम पुरानी सरकार के थे, उन सब का जिक्र माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में किया है। क्योंकि यह स्वयं सिद्ध है कि 2–3 महीने में कोई भी क्या कर सकता है ? पुरानी सरकार

ने जो योजनाएं बनाई थीं, वे अब सामने आ रही हैं। इसलिए मैं आभारी हूँ माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने खुले मन से कहा कि हम ये कर रहे हैं। आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पुरानी सरकार ने मेडिकल कालेज खोलने के बारे में कुछ नहीं किया और ये माननीय मंत्री जी 3 महीने में सब कुछ कर गये। मान्यवर, हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हास्पिटल के लिए हमने प्रस्ताव बनाकर केन्द्र को भेजा था, वहाँ पर 300 बेड के लिए स्थान नहीं है, इसके लिए हमने प्रस्ताव बनाकर भेजा था। सारी चीजें पहली सरकार ने बनाकर दी थीं। आपने कहा कि सी0टी0 स्कैन लगा दिया, मान्यवर, इसका प्रपोजल पहली सरकार ने किया था। हम तो सभी बेस अस्पतालों में नये-नये उपकरण लगाना चाहते थे ताकि अगर उत्तरकाशी में भी दूरस्थ गाँव का आदमी बेस अस्पताल में आये तो उसे सभी सुविधाएं मिल जाएं। हल्द्वानी, अल्मोड़ा, देहरादून और श्रीनगर में सभी साजो-सामान उपलब्ध कराने के लिए हमने प्रयास किया था। आप उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं, यह अच्छी बात है। माननीय मंत्री जी ने डी0ओ0टी0 का जिक्र किया। मान्यवर, यह डी0ओ0टी0 केन्द्र सरकार की योजना है। हमने इसके लिए दौड़-भाग की थी, तब यह योजना हमारे प्रदेश में आई थी।

मान्यवर, डी0डी0टी0 में घर-घर जाकर टी0बी0 की दवाई पिलाना है, हमने यह योजना पहले ही भवाली से प्रारम्भ कर दी थी, भवाली सेनीटोरियम जिसमें कोई भर्ती हो जायेगा बाद में उसके घर पार्सल द्वारा दवाई भेजी जायेगी ताकि दुबारा उसको टी0बी0 का इन्फैक्शन हो ही नहीं सकता। यह हिन्दुस्तान में पहली बार यहाँ से प्रारम्भ किया गया है। एच0आई0वी0 नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चलाया गया, एड्स जन स्वास्थ्य पखवाड़े चलाये गये उसमें हम लोग तत्कालीन महानिदेशक और सचिव यही होंगे, सारे सी0एम0ओ0 को लेकर एड्स की बीमारी के बारे में बताते थे। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो बारूद के ढेर पर बैठे हैं भारत में इसकी उपस्थिति बड़ी मात्रा में मिल रही है कुछ "सरटेन" जगहें होती हैं जहाँ एच0आई0वी0 पाया जाता है, हमने जगह-जगह जाकर बताया कि फला टेस्ट करा लो कौन से काम नहीं होने चाहिए, लोग शर्म के मारे कुछ बताते नहीं है। हम एड्स के उपचार के सम्बन्ध में काफी आगे बढ़े हैं। दून चिकित्सालय ब्लड बैंक की स्थापना मान्यवर, पूर्व में ही हो चुकी है। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो उस समय उत्तरांचल को एक ब्लड बैंक मिला था। पाँच ब्लड बैंकों में से हमने उसको देहरादून में लगवाया क्योंकि यह रैफरल हास्पिटल है स्टेट का एलीजारीडर माननीय मंत्री जी क्या होता है आपको नहीं मालूम होगा यह तो स्वतः लगता है बिना एलीजारीडर के एच0आई0वी0 का परीक्षण नहीं होता। काफी चीजें ऐसी हैं जो अब इस समय परिणाम के रूप में सामने आ रही हैं। इलैक्ट्रो एलाइजर क्या होता है यह तो सब जगह होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी, यह कोई खास बात नहीं है। इस बजट में नया कुछ भी नहीं है। 430 नये डाक्टरों की नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग को अध्याचन कोई भी सरकार आती है, उनको भेजना ही था। हमारे यहाँ तो आज तक सर्जन ही नहीं रानीखेत में आज तक कोई सर्जन नहीं दे पाए मैं जानता हूँ कि सर्जन नहीं मिल रहे हैं अगर अध्यापक नहीं मिलेगा तो कोई भी जो पढ़ा लिखा हो, पढ़ा देगा लेकिन किससे कहे कि तू सर्जन बन जा और आंत में कैंची लगा दे। तो मान्यवर, इस बजट में ऐसी कोई चीजें नहीं है जो नयी हो।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, बागेश्वर तथा रुद्रप्रयाग में टी0बी0 क्लीनिक की स्थापना की। हल्द्वानी, रुड़की व श्रीनगर में ब्लड बैंक की स्थापना एवं कोटद्वार में ब्लड बैंक हेतु भवन निर्माण, ऋषिकेश, काशीपुर तथा रुड़की में शव विच्छेदन गृहों का निर्माण, दून चिकित्सालय, देहरादून एवं बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा में ट्रोमा यूनिट की स्थापना प्रस्तावित है। मान्यवर, पिछली सरकार के दिनों में हल्द्वानी में हमने ब्लड बैंक का उद्घाटन किया और लोगों ने विरोध किया कि मंत्री जी उद्घाटन नहीं कर रहे हैं तब मैंने शिलान्यास किया अब भवन बन रहा है। मंत्री जी ने यह कह दिया कि यह सब हमने किया है। मान्यवर, जिला ऊधमसिंह नगर में हास्पिटल के लिए पैसा पिछली सरकार ने दिया, जिला पौड़ी में महिला चिकित्सालय के लिए पैसा पिछली सरकार ने दिया, शव विच्छेदन गृह के निर्माण के लिए पैसा पुरानी सरकार ने दिया, रुड़की में ब्लड बैंक के लिए पैसा पुरानी सरकार ने दिया, मुख्य चिकित्सालय देहरादून में पैसा पुरानी सरकार का दिया है।

मान्यवर, जो रिकार्ड माननीय मंत्री जी ने सदन को बताया है उसमें साफ-साफ लिखा है कि सन् 2001–2002 में कुल 19 स्वास्थ्य केन्द्र के लिए धन आया है। मान्यवर, कुल 19 स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिसमें से एक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्ण निर्मित होकर विभाग को हस्तान्तरित हो चुका है तथा 7 स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य भवन निर्मित होकर विभाग को हस्तगत हो चुके हैं तथा शेष निर्माणाधीन हैं। मान्यवर, कुल निर्माणाधीन 30 प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों में से 13 निर्मित होकर विभाग को हस्तान्तरित हो चुके हैं तथा उनमें चिकित्सालय कार्यरत हैं, 11 प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य भवन निर्मित होकर विभाग को हस्तगत हो चुके हैं तथा शेष निर्माणाधीन है। और मान्यवर, 33 निर्माणाधीन रा0ए0चि0 में से 9 पूर्ण होकर विभाग को हस्तान्तरित हो चुके हैं तथा उनमें चिकित्सालय क्रियाशील हैं तथा 5 के मुख्य भवन पूर्ण होकर विभाग को हस्तान्तरित हो चुके हैं शेष निर्माणाधीन है। मान्यवर, मैं यह सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो इस साल करने को कह रहे हैं उसका भी विवरण है। मान्यवर, आप 2002–2003 में प्रस्तावित निर्माण कार्यों हेतु आय-व्ययक का जो अनुमान है उसमें आप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 2 बना रहे हैं।

मान्यवर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 2, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 10, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय 6 तथा परिवार कल्याण उप केन्द्र 45 बना रहे हैं, जबकि पिछली सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 3, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 10, राजकीय परिवार कल्याण केन्द्र 45 तथा परिवार कल्याण उप केन्द्र 42 बनाये थे, मान्यवर, इन आँकड़ों में बहुत कम अंतर है, जबकि बजट में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। मान्यवर, उत्तरांचल के दूरदराज के क्षेत्रों में आज भी डाक्टर अनुपलब्ध हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ पिछली बार भी इन क्षेत्रों में डाक्टरों का अभाव था। हमने पिछली बार 288 डाक्टरों को संविदा पर रखने का निर्णय लिया था उसके बावजूद 50 प्रतिशत से कम डाक्टरों ने इन क्षेत्रों में ज्वाइन किया। मान्यवर, हम लोगों को इन स्थानों पर जाने वाले डाक्टरों को सुविधाएं देनी होंगी, ताकि ये लोग हमारे पर्वतीय क्षेत्र के सुदूर गाँवों में जा सकें। पाँच रु0 दस रु0 का जो पर्चा पहले बनता था वही पर्चा आज भी बन रहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा मैं तीन महीने में स्वास्थ्य नीति की घोषणा कर दूँगा, इस नीति की घोषणा होनी चाहिए हम जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे करें, इसका भी प्राविधान होना चाहिए।

मान्यवर, अगर किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो उस परिवार का अच्छा विकास होगा समाज में उसकी भागीदारी बढ़ेगी वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, और उस शिक्षा से प्रदेश को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि मान्यवर, हो सकता है वे बच्चे आगे चलकर प्रदेश का गौरव बनें। मान्यवर, पिछली सरकार ने जो दवा नीति घोषित की थी उसका परिणाम आज बाजार में देखने को मिल रहा है। आज आप ल्यूपिन जैसी दवा अस्पताल से प्राप्त कर सकते हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूँ यह सरकार पिछली नीति को भी शामिल करे।

मान्यवर, हमने पिछली बार बड़े चिकित्सालयों में पी0सी0ओ0 खोलने की व्यवस्था की और संविदा पर पैरा मेडिकल की स्थापना करने की व्यवस्था की तथा जो 30–30 साल से एक ही जगह पर बैठे थे उसको हमने वहाँ से हटा दिया। हमने ऐसी नीति बनायी थी कि उसमें चाहे किसी की भी सिफारिश आ जाये तो भी हम उसे नहीं रोकते थे। हमने एक उच्च स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी बनायी थी, उत्तरांचल हेल्थ सिस्टम का गठन किया था। होम्योपैथिक विभाग को चिकित्सा विभाग में शामिल किया था। जब तक इसका दायित्व मुझे मिला था किसी की हिम्मत नहीं थी, सस्पेन्ड होने की नौबत आ जाती थी, यह सिस्टम डेवलप होना चाहिए तभी उत्तरांचल का विकास हो पायेगा। जो चीज ठीक हुई है वह चलनी चाहिए और जो गलत हुई है, उसे बन्द कर देना चाहिए। सोबन सिंह जीना ब्लड बैंक का शिलान्यास हमने किया था बजट में आया है कि हमने किया। ए0एन0एम0 की नियुक्तियाँ तभी हो गई थी। यात्रा मार्गों पर हेल्थ पोस्ट बने हैं या नहीं बने हैं, 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर पर हेल्थ पोस्टों का सुझाव है या नहीं, बजट में इसका जिक्र कहीं नहीं है, यह होना चाहिए। पटवाडागर में टिश्यूकल्चर से वैक्सीन बनाने का प्रस्ताव आना चाहिए। पी0एच0सी0 20 हजार की जनसंख्या पर होनी चाहिए।

मान्यवर, पी0एच0सी0 के डाक्टर्स को रोट्रेट करते रहना चाहिए। पिछली सरकार ने 2 मोबाइल वैन का प्रस्ताव किया था, उसके अन्दर सभी आधुनिक उपकरण होते हैं, उनकी व्यवस्था हुई या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। मान्यवर, अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ आपने मुझे बोलने के लिए काफी समय दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। माननीय मंत्री जी कह चुके हैं और कई बार कहा कि हरिद्वार के लिए ज्यादा मत माँगों, जिसने ज्यादा माँगा वह लौटकर नहीं आया। मान्यवर, जो लौटकर नहीं आया उसने अपनी अगली नस्लों को वहाँ भेज दिया। फिर भी हरिद्वार के लिए आपने कुछ चीजें अवश्य दी इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। हरिद्वार के लिए एक होम्योपैथिक चिकित्सालय दे दिया और एक ब्लड बैंक मिल गया। रुड़की में पोस्टमार्टम की व्यवस्था हो गई। मान्यवर, रुड़की में स्पेशलिस्ट डाक्टरों की बहुत कमी है वहाँ डाक्टरों के सिर्फ 5 पद हैं। मान्यवर, एक अजीब विडम्बना है, श्री चौधरी सही राम ग्राम मुंडलाना, ब्लाक नारसन, जनपद हरिद्वार के एक व्यक्ति हैं वे अपनी जमीन सरकार को हास्पिटल के लिए देने को तैयार हैं लेकिन सरकार उनसे यह कह रही है कि हमें जमीन दे दो फिर हम चाहे उसमें कुछ भी करें।

सरकार हास्पिटल के लिए जमीन नहीं ले पा रही है। मान्यवर, और एक गम्भीर बात है, गाँवों में आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा कभी हो जाता है। भाई–भाई में हो जाता है तो वह सीधे हास्पिटल जाता है और कुछ थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ 323 की धारा लगवा देना और यदि 1000, 500 रुपये खर्च कर दे तो धारा 307 सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ लगवा लेता है। आप सोचिए किसी नौजवान पर 307 का मुकदमा चले, हाई कोर्ट से उसकी जमानत हो नहीं सकती, तो गाँव में कोई भी यदि छोटा–मोटा झगड़ा भी होता, तो पुलिस उसके घर पर आ जाती है, उसे थाने में जाना पड़ता है। इसलिए मान्यवर, धारा 323, 307 और 324 के जो मुकदमे हैं उनकी रिपोर्ट बिना वजह न लिखी जाए इस पर ध्यान देना होगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। पहला तो यह कि हमारे यहाँ डाक्टरों की तैनाती जहाँ पर की जाती है, वह वहाँ पर नहीं रहते हैं और अपने लिए सुविधाजनक स्थान का चयन करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि डाक्टरों की नियुक्ति जहाँ पर की जाती है, वह अपने मुख्यालयों में ही रहें। दूसरा ए०एन०एम० की जो नियुक्ति होती है, वह भी सुविधाजनक स्थान पर होती है, उनको भी निर्देशित कर दिया जाए कि वे अपने मुख्यालय में रहें। तीसरा मान्यवर, हमारे प्रदेश की जनता बहुत गरीब है, अस्पतालों में जो दवा मुफ्त मिलती है, जब उसको लेने के लिए जनता जाती है, तो उनसे कहा जाता है कि हमारे यहाँ दवा नही है। आखिर यह दवा जाती कहाँ है ? क्या माननीय मंत्री जी यह व्यवस्था करेंगे कि वह दवा वास्तव में जिन गरीबों को मिलनी चाहिए, उनको मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, 18 मार्च, 2002 के महामहिम के अभिभाषण में सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम 3 माह के अन्दर स्वास्थ्य नीति बनायेंगे, लेकिन वह नीति नहीं बनी है। मान्यवर, उत्तरांचल में द्विस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए। मान्यवर, नारी अर्थ व्यवस्था की रीढ होती है और वह ऐसे गाँवों में रहती है, जहाँ 25–25 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, पहला, उनको सुविधा उपलब्ध करानी थी, दूसरा, सुविधा विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध करानी चाहिए, और तीसरा, ब्लाक स्तर पर सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। इन तीनों स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने से ही उत्तरांचल का स्वास्थ्य ढाँचा ठीक हो सकता है। मान्यवर, यहाँ पर 1525 उपकेन्द्र हैं, यदि इन उपकेन्द्रों की व्यवस्था ठीक से संचालित कर दी जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या का तात्कालिक समाधान किया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, क्या आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, पहले माननीय मंत्री जी बोल लें।

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, हमारे सम्मानित सदस्य श्री अजय भट्ट, श्री कण्डारी जी, श्री प्रकाश पंत जी, श्री निजामुद्दीन जी ने बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पर दिये हैं। माननीय सदस्य पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी ने उल्लेख किया है कि सारा कुछ पुरानी सरकार का किया हुआ है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने जो कुछ किया वह उत्तरांचल की जनता जानती है, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। कितनी दवाईयाँ मिल रही थीं, अस्पतालों के अन्दर कितने मरीज यहाँ पर जाते थे। एक रुद्रपुर जैसा छोटा सा अस्पताल जिसके अन्दर 150-200 मरीजों से ज्यादा मरीज कभी नहीं आते थे, पुराना पिछले डेढ़-दो वर्षों का रिकार्ड उठाकर देख लें, लेकिन आज वहाँ 600-700 मरीज स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।

(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)-

मान्यवर, आपने अच्छा किया तो मैं आपकी रुद्रपुर की मीटिंग में ही आपकी तारीफ कर दूँगा। चूँकि आज कल गर्मियों के दिन हैं। हाँ, साल भर बाद आप रिकार्ड देंगे तो देखेंगे।

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, मैं जिक्र कर रहा था जो बात प्रतिपक्ष के नेता ने कही, मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैंने भी तुलनात्मक बात कही है और यह दवा के कारण हुई है, और कोई कारण नहीं है। जो दवा अस्पतालों में जाती थी, वह मरीजों को न मिलकर बाजारों में बिक जाती थी, किन्तु आज अस्पतालों के अन्दर डाक्टर दे रहे हैं, फार्मेसिस्ट दे रहे हैं। माननीय सदस्य कभी भी मेरे साथ चलकर देख सकते हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, क्या पर्वतीय क्षेत्रों में भी यही स्थिति है ?

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मार्गों पर चिकित्सा सुविधा की बात कही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सचल दल गठित किये गये हैं, प्राथमिक उपचार केन्द्र लगाये गये हैं, यात्रा मार्ग पर भी अस्थायी रूप से व्यवस्था की गयी है और रोगी वाहनों की भी व्यवस्था की गयी है। यात्रा धाम के अन्दर सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। जितने भी यात्री आ रहे हैं, सरकार का दायित्व बनता है उनकी चिकित्सा सेवा का। और जो वाहनों की बात कही गयी है कि वाहन नहीं खरीदे गये हैं, उसके

बारे में कहना चाहता हूँ कि कार्यवाही चल रही है। माननीय कण्डारी जी ने भी जिक्र किया कि ए0एन0एम0 सेन्टरों पर नहीं जाती और ऐसे डाक्टर जिनकी तैनाती दूरस्थ स्थानों पर है, वे भी नहीं जाते, तो मैं आपको बता दूँ कि वे जायेंगे और उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। सम्बद्धीकरण पिछले समय से चल रहा था, किन्तु मैंने पिछले समय से सम्बद्धीकरण जो ए0एन0एम0 के डाक्टरों के चल रहे थे कहीं न कहीं अपनी पहुँच से, मैंने उन सम्बद्धीकरण को समाप्त कर दिया और उन्ही स्थानों पर जहाँ उनकी तैनाती थी अब उन्हें जाना पड़ रहा है। माननीय सदस्य ने अभी हरिद्वार के बारे में कहा। हरिद्वार के बारे में मैं स्वयं भी चिन्तित हूँ। मैं आपके सुझावों को मानूँगा, सरकार सुझाव लेती हैं, सुझाओं पर विचार करती है और विचार करना सरकार का काम है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार कृत–संकल्प है, कटिबद्ध है और आने वाले एक वर्ष के अन्दर जब विभाग का बजट यहाँ पर पेश होगा तो ये सारे सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं लायेंगे, बल्कि मेरी प्रशंसा करेंगे। मान्यवर, स्वास्थ्य नीति की हमने तैयारी कर ली है, इसके लिए एक सेमीनार किया था और सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। मान्यवर, मैं अपने पुराने साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसे कृपया वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2003384 हजार (दो सौ करोड़ तैंतीस लाख चौरासी हजार) से अनधिक स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य सूची की मद संख्या 11 के अनुदान सं0–8, 26 एवं 17 को बाद में लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

"डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आबकारी, पर्यटन और कृषि विभाग के मंत्री की केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें भाग ले रहे हैं। इसलिए सम्बन्धित मंत्री जी ने अनुरोध किया है कि कृषि को 12 तारीख के लिए और आबकारी तथा पर्यटन को 13 तारीख के लिए रख दें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, एक दिन में इतने बजट लग जाते हैं कि उस पर पूरी तरह से चर्चा नहीं हो पाती है। हम उत्तरांचल की जनता के हित की बात कर रहे हैं। आपने सारे विभागों का बजट चुटकी में पेश कर दिया। यह कोई अच्छी बात नहीं है। न तो सभी सदस्य इसमें अपनी बात रख पायेंगे, न ही सुझाव दे पायेंगे। अच्छा होता यदि कम बजट एक दिन में रखे जाते तो इसमें सुझाव भी अच्छे आते और वह उत्तरांचल की जनता के हित में भी होता।

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आप लोगों ने ही इसकी स्वीकृति दी थी।

अनुदान संख्या–6, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग

*आपदा प्रबन्धन मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–6, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1061695 हजार (एक सौ छः करोड़ सोलह लाख पच्चानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर; मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपया 120009 हजार से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आम जनता का काम मुख्य सचिव से, आयुक्त से, सचिव से नहीं पड़ता है आम जनता का काम पटवारी से तहसील के बाबू से, जिले के बाबू से, क्योंकि किसी को चरित्र प्रमाण–पत्र बनाना होता है, किसी को मूल निवास प्रमाण–पत्र बनाना होता है, किसी न किसी रूप में इन कर्मचारियों से आम जनता को काम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को काम पड़ता है। मान्यवर, यह हमारी सरकार की सोच है, पीड़ा है। मान्यवर, जब तक पटवारी के व्यवहार में तहसील के बाबू के व्यवहार में जिले के बाबू के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक वे आम जनता की पीड़ा, दलितों की पीड़ा, गरीबों की पीड़ा अपने व्यवहार के माध्यम से पारदर्शिता को परिलक्षित नहीं महसूस करते तब तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वास्तव में प्रदेश की जनता को सत्ता के परिवर्तन का, राज्य निर्माण का अहसास नहीं होगा। इसलिए मान्यवर, मैंने स्पष्ट शब्दों में अपने प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि आपके हितों का ध्यान हमारी सरकार रखेगी और जनता के हितों का ध्यान आप रखिये। मान्यवर, राजस्व विभाग में लम्बे समय तक प्रोन्नतियाँ नहीं हुई थीं। मैंने जिस दिन राजस्व विभाग की जिम्मेदारी ली। मैंने पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को संदेश दिया कि तीन महिने के अन्दर, मैं प्रोन्नतियाँ कर दूँगा। मान्यवर, मैं गर्व से कहना चाहता हूँ इस सदन में कि हमने एक तीर से दो शिकार तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मल्टी–परपज रास्ता निकाला है। मान्यवर, जिस कानूनगों के पदों पर पचास प्रतिशत सीधी भर्ती के पद और पचास प्रतिशत प्रोन्नति के पद हैं। आज मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जैसा कि सदन जानता है, प्रदेश की जनता जानती है, राजस्व पुलिस की जिम्मेदारी है।

मान्यवर, जब कानूनगों नहीं होगा तो पटवारी का पद होगा। चूँकि इनकी नियुक्ति कमीशन से होती तो भी वह 2 वर्ष लगाता, इसलिए मैंने ऐतिहासिक निर्णय लिया कि कानूनगों के पदों पर पटवारी और लेखपाल के माध्यम से शत प्रतिशत नियुक्ति की जाय। इस तरह से मैंने 74 पटवारी और लेखपालों को कानूनगों के पदों पर प्रोन्नतियाँ दी हैं। मान्यवर, जो पटवारी 25–30 साल से नियुक्त थे उनके काम करने की क्षमता का ह्रास हो रहा था पर अब उनमें भी काम करने का उल्लास है। मान्यवर, हमने निर्णय लिया है कि जून तक हम पटवारियों की नियुक्ति कर देंगे और जुलाई तक प्रशिक्षण के लिए भेज देंगे।

मान्यवर, इसी तरह हमारे पास 49 तहसीलें हैं, इसके अन्दर 55 तहसीलदार के पद सृजित थे। मान्यवर, अगर उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी को छोड़ दिया जाये तो मात्र 41 तहसीलदार कार्यरत थे, तो हमने निर्णय लिया कि नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनाने के लिए हमने डी०टी०पी० आयोजित कराया और बहुत जल्द हम 15 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पदों पर सुशोभित करने जा रहे हैं। मान्यवर, तहसीलदार से एस०डी०एम० कार्मिक विभाग को करना होता है लेकिन प्रस्ताव हमारे यहाँ से जाता है, तो हमने 12 तहसीलदारों के लिए प्रस्ताव भेजे हैं उनकी नियुक्ति के लिए। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, कभी–कभी यह भी हो सकता है कि बच्चा किसी कारण से न रोये, तब अगर माँ बच्चे को सुबह 8 बजे दूध पिलाने के बाद उस बच्चे के रोने का इंतजार करे तो मैं उसे जिम्मेदार माँ नहीं मानता हूँ। जब बच्चे को सुबह 8 बजे दूध पिलाया है तो माँ को एहसास होना चाहिए कि बच्चे को 2 बजे तक फिर दूध पिलाना है।

मान्यवर, बिना संघर्ष किये, बिना आन्दोलन किये हुए, बिना कर्मचारियों के माँग किये हुए जो प्रशासन, जो सरकार अपनी जिम्मेदारी का अहसास करे, मैं उसे जिम्मेदार सरकार कहता हूँ, और हमारी सरकार ने इसका एहसास किया है। मान्यवर, हमारी सबसे अलग एक सोच है और मैं चाहता हूँ तहसील स्तर तक हम कम्प्यूटरीकृत करना चाहते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं तो यह चाहता हूँ अगर अल्मोडा का कोई व्यक्ति देहरादून में अपनी खाता खतौनी वगैरा देखना चाहता है तो राजस्व अधिकारी उसकी खाता खतौनी

कम्प्यूटर से निकालकर उसके हाथ में दे दें। उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसा हमारी सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में बहुत सारी जमीन ऐसी है जो लोगों के कब्जे में है, यह मेरी पीड़ा है, हमारी सरकार की पीड़ा है, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मान्यवर, हमारी सरकार ने विचार किया। वर्ग 4 में विशेषकर ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल में यह स्थित है, जो 34484 लोगों के पास वर्ग 4 की भूमि है। मैंने उत्तरांचल के समस्त जिलाधिकारियों की बैठक की थी, उस बैठक में मैंने यह निर्णय लिया ऊधमसिंह नगर के डी0एम0 की अध्यक्षता में, जिसमें नैनीताल, पिथौरागढ़ के डी0एम0 हैं एक कमेटी गठित की है, एक माह के अन्दर यह कमेटी इस वर्ग 4 की भूमि को रेगुलेट करेगी।

मान्यवर, तीन नये जनपद उत्तरांचल में गठित हुए और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है और बड़ा गर्व है इस बात को कहते हुए कि इन तीनों जनपदों की घोषणा तो मुख्यमंत्री करते हैं, मगर इन जनपदों के लिए मेरी कलम से लिखा गया था (व्यवधान) इन तीन जनपदों के लिए मुख्यालय निर्माण के लिए भूमि का चयन अन्तिम चरण में विचाराधीन है। इन जनपदों के मुख्यालयों के निर्माण के लिए पाँच करोड़ रुपये का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में हमारे द्वारा किया गया है। इसी तरह राजस्व पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु हमने 39 वाहनों को क्रय करने का प्रस्ताव किया है। इसी तरह तहसीलों के निर्माण के लिए हमने दो करोड़ 25 लाख का प्रावधान किया है। राजस्व पुलिस की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमारे प्रतिपक्ष की चिन्ता थी कि इसका आधुनिकीकरण किया जाये।

मान्यवर, 1215 पटवारी चौकियाँ हमारे प्रदेश में हैं इसके विरुद्ध 707 पटवारी चौकियाँ निर्माणाधीन हैं या निर्मित हो चुकी हैं। इस वित्तीय वर्ष में पाँच करोड़ साठ लाख रुपये का प्रस्ताव अतिरिक्त पटवारी चौकियों के निर्माण में रखा है। जब मैं अगले वर्ष आपके सामने राजस्व विभाग का बजट प्रस्तुत करूँगा तो मुझे गर्व होगा, यह कहते हुए कि हमने समस्त पटवारी चौकियों का निर्माण कर लिया है या अगले वित्तीय वर्ष में करने जा रहे हैं। इसी तरह से राजस्व पुलिस को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए अपराधों के रोकथाम के लिए हमने 25 लाख 94 हजार 500 रुपये का इस बजट में प्रस्ताव किया है। मान्यवर, राजस्व विभाग की जिम्मेदारी वसूली करना है। मान्यवर, जो शुद्ध माँग थी 31 मार्च तक वह थी, 196.53 उसके विरुद्ध हमने 163.32 लाख रुपया वसूल किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने जिलाधिकारी, तहसीलदारों और एस0डी0एम0 को निर्देश दिये हैं और जब मैं जिलों में जाता हूँ तो उनसे बहुत कड़ाई से पूछता हूँ कि बड़े बकायेदारों से कितनी वसूली की है और छोटे बकायेदारों से कितनी वसूली की है। मैं यह नहीं कहता कि हम छोटे बकायेदारों को माफ करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी बड़ा बकायेदार छूटने न पाये और किसी भी छोटे बकायेदार का शोषण न हो। यह हमारी नीति है यह हमारा कार्यक्रम है। मान्यवर, आयुक्त कार्यालय में, तहसीलों में और जिला कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं श्रेणी-ग के पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्तियाँ कर दी जायेंगी।

मान्यवर, हमारा उत्तरांचल प्रदेश, दैविक आपदाओं का खजाना तो, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन यह दैविक विपत्तियों का घर है। यहाँ पर भूस्खलन होता रहता है और समय–समय पर भूकम्प आता रहता है। हम भूले नहीं है, 1991 का भूकम्प, 1999 का भूकम्प, मालपा काण्ड, ऊखीमठ में भूस्खलन। ऐसी दैविक आपदाएं इस प्रदेश पर हमेशा मंडराती रहती हैं। यह इस देश का और दुनियाँ का सबसे अधिक सेंसिटिव जोन है। यहाँ के अधिकांश जिले, जिनमें रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी आते हैं, ये सब जोन–5 में हैं और टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और ऊधमसिंह नगर जोन–4 में आते हैं। मान्यवर, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है, मैंने पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उत्तरांचल प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया गया है। यहाँ तक कि भारत सरकार में भी आपदा प्रबन्धन मंत्रालय नहीं है। वहाँ पर दैविक आपदाओं का काम कृषि विभाग देखता है और अब इसका स्थानान्तरण गृह विभाग को कर दिया गया है। इसलिए हमारी सरकार इस सम्बन्ध में बहुत संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुभवों का लाभ लेते हुए हम ईश्वरीय शक्तियों को चुनौती तो नहीं देना चाहते, लेकिन ईश्वरीय शक्तियों से मानव जीवन को जो खतरा होता है, उस खतरे को कम अवश्य करना चाहते हैं। मान्यवर, मुझे अभी आस्ट्रेलिया, थाईलैण्ड और न्यूजीलैण्ड जाने का अवसर मिला। मैंने महसूस किया कि न्यूजीलैण्ड की भौगोलिक स्थिति अपने प्रदेश के जैसी ही है, चाहे भूकम्प के क्षेत्र में हो, चाहे भूस्खलन के क्षेत्र में हो, वहाँ पर पी0पी0पी0 जैसे म्यूजियम बने हैं, भूकम्प रोधी भवन बने हैं और बियरिंग लगे हैं।

मान्यवर, आस्ट्रेलिया के अन्दर मुझे देखने का अवसर मिला कि वहाँ की फायर सर्विस, मैं अभी सुबह अपने प्रमुख सचिव जी से कह रहा था चूँकि वह आपका विषय है, जाँच चल रही है, लेकिन आस्ट्रेलिया ने फायर सिस्टम में जो तरक्की की है, दुनियाँ के अन्दर जो मिसाल पेश की है, वह काबिले तारीफ है, मान्यवर, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हम वहाँ से अध्ययन करके आए हैं अपने अनुभवों का, इस प्रदेश के हित में, प्रदेश की जनता, जन–जीवन को, जन्तुओं को इस प्रदेश की खुशहाली को, पर्यावरण को बचाने का भरसक प्रयास हमारी सरकार करेगी। मान्यवर, आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में भारत सरकार 75 प्रतिशत व्यय देती है, भारत सरकार सहायता करती है, 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार राज्यांश के रूप में प्रयोग करती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने इस प्रदेश में जो अति–संवेदनशील गाँव हैं जो जोन–5 में आते हैं, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के 20–20 ग्रामों को और कुल 80 ग्रामों की आपदा प्रबन्धन योजना तैयार कर ली गयी है और इन गाँवों को भूस्खलन, भूकम्प से बचाने के लिए हमारी सरकार दृढ़–संकल्पित है, हमारी दृढ़–इच्छा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जिलाधिकारियों को जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी घोषित किया है। मान्यवर, जोन– 5 में जो जिले हैं उन जिलों को 50–50 लाख रुपये जिसके विरुद्ध में 30–30 लाख हम अवमुक्त कर चुके हैं और जोन–4 में 30–30 लाख रुपये जिसके विरुद्ध 15 लाख हम अवमुक्त कर चुके हैं। मान्यवर, इसमें चूँकि जिलाधिकारियों के पास अनटाइड फण्ड होता है, वह भी नहीं है और जिले में तो तुरन्त घटना घटती है और तुरन्त आवश्यकता होती है। भारत सरकार के माध्यम से

हमने गाइड लाइन्स भेजी है जिससे जिलाधिकारी तुरन्त सहायता पहुँचाते हैं। मान्यवर, हमने यह निर्णय लिया है, हम यह विचार कर रहे हैं कि आपदा प्रबन्धन प्रदेश में हमने कन्ट्रोल रूम बनाया है, लेकिन हम जिला स्तर पर भी बहुत जल्दी आपदा प्रबन्धन यूनिट का गठन करना चाहते हैं, इस पर सरकार विचार कर रही है। मान्यवर, मुख्यमंत्री राहत कोष से, क्योंकि पूर्व में गठित था, लेकिन लगातार प्रयासों के बावजूद भी उत्तरांचल में मुख्यमंत्री राहत कोष गठित नहीं हो पाया था। हम 2 करोड़ का मुख्यमंत्री कोष बहुत जल्दी गठित करने जा रहे हैं और हमारी इच्छा शक्ति है। मान्यवर, कोई महिला घास काटते हुए गिर जाती है, बस दुर्घटनाएं होती हैं, हमने भारत सरकार से भी निवेदन किया है कि बस दुर्घटनाओं को, घास काटते हुए कोई महिला गिर जाती है, उसको भी दैवी–आपदा के तहत सहायता दी जानी चाहिए।

मान्यवर, लेकिन हम भारत सरकार की प्रतीक्षा किये बिना मुख्यमंत्री राहत कोष से इन आपदाओं को सम्मिलित करेंगे, लाभान्वित करेंगे। यह हमारी इच्छा शक्ति है। विभिन्न जनपदों में सिंचाई को छोड़कर, बारिश, अतिवृष्टि, भूस्खलन, मोटर मार्ग, पैदल मार्ग, विद्युत लाइन, पेयजल की लाइन जो क्षतिग्रस्त होती है और जाँच के बाद जब यह पाया जाता है कि ये योजनाएं दैवी–आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं तो उनकी मरम्मत के लिए, नवनिर्माण के लिए हम आपदा प्रबन्धन से जैसा प्रस्ताव सरकार के सामने आता है, हम उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस प्रदेश के हर उस व्यक्ति के लिए जो दैवी आपदा में घायल हुआ हो या मृत्यु हुई हो, उसकी सहायता के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहती है। क्योंकि यह किसी एक की पीड़ा नहीं है, यह केवल नेता सदन या नेता प्रतिपक्ष की पीड़ा नहीं है। यह पूरे प्रदेश की पीड़ा है। और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम आपदा प्रबन्धन को स्वायत्त संस्थान के रूप में विकसित करना चाहते हैं और आने वाले 3–4 वर्षों के अन्दर हमारा आपदा प्रबन्धन संस्थान भारत का ही नहीं, दुनिया का सर्वोच्च संस्थान होगा। हमने विश्व बैंक से बातचीत की है, वह 400–500 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हैं। एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से भी हमारी बात हुई है। यह संस्था दैवी आपदा के क्षेत्र में काम कर रही है और वह हमें तकनीकी सहयोग देने के लिए तैयार है। सरकार का इरादा है कि दैवी आपदा से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाये। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम पी0ए0सी0 की एक बटालियन को दैवी आपदा से निपटने के लिए टास्क फोर्स के रूप में गठित करने पर विचार कर रहे हैं।

मान्यवर, संवेदनशील मुद्दों पर, हमारे प्रस्ताव पर, जो प्रदेश की भलाई का प्रस्ताव है जिसमें सर्व धर्म सम–भाव है जो मान्यवर, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र के नजरिये से नहीं रखा गया है, साम्प्रदायिकता की आग से दूर, ईमानदारी के साथ इस प्रदेश की खुशहाली, इस प्रदेश की भलाई के लिए, गरीबों की पीड़ा को समाहित करते हुए रखा गया है। माननीय भगत सिंह कोश्यारी और देश के प्रधानमंत्री बिन ब्याहे हैं। सम्मानित नेता प्रतिपक्ष भी बिन ब्याहे हैं वे बच्चों की पीड़ा को तो नहीं समझते होंगे लेकिन मान्यवर, मुझे मालूम है श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के सानिध्य में मुझे रहने का अवसर मिला है उन्हें नजदीक से देखने का अवसर मिला है। श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को

पिछले 10–20 सालों से उनके घर उनकी सोच और विचारों से मुझे समझने सोचने का अनुभव मिला है इसलिए हम कह सकते हैं कि चाहे वे बिन ब्याहे हैं, लेकिन बच्चों के प्रति उनकी पीड़ा किसी विवाहित व्यक्ति से कम नहीं है। इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है मान्यवर, हमारा प्रतिपक्ष दैवीय आपदा जैसे विषय पर कटौती का प्रस्ताव कम से कम वापस निश्चित रूप से लेगा। मैं सोचता हूँ मान्यवर, यह जो समय है मान्यवर, कभी मैं इन सब लोगों के साथ बैठता था, यह मेरा सौभाग्य है कि जिस दल में जाता हूँ उस दल की सरकार बन जाती है हम क्या करें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं जिस दल में जाता हूँ वहाँ नयी सरकार बनती है, नयी व्यवस्था का जन्म होता है तो मैं सोचता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। मान्यवर, सरकारें तो आती जाती हैं, बनती बिगड़ती हैं। यहाँ पर सवाल इस प्रदेश की पीड़ा का है, प्रदेश के गरीबों की पीड़ा का है। हम लोग जरूर अभिव्यक्ति देते हैं अभिव्यक्ति ही नहीं उसे पारदर्शिता के रूप में कार्यान्वयन करते हैं, आवश्यकता इस बात की है, मुझे पूर्ण विश्वास है।

माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन की पीड़ा को रखने के बाद, इस सदन के सामने मैं एक अति महत्वपूर्ण विभाग के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सड़क अगर आज नहीं बनेगी तो मानव जीवन को खतरा नहीं होगा।

मान्यवर, अगर मानव की साँस रुक गई तो मानव के जीवन को खतरा हो सकता है। मान्यवर, अगर पेयजल से मानव वंचित हो गया तो चन्द मिनटों में प्राण निकल जायेगा। मान्यवर, अगर मानव के पेट में रोटी नहीं जायेगी तो मानव का जीवन दुर्लभ हो जायेगा। इसलिए प्रदेश के उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया और प्रदेश की उपभोक्ता अदालत का गठन किया। मान्यवर, सदस्यों का चयन 2–3 दिन में कर दिया जायेगा और प्रदेश की उपभोक्ता अदालत जो प्रदेश की उपभोक्ताओं का संरक्षण करती है जल्द ही काम शुरू कर देगी। मान्यवर, जनपदों में जिला उपभोक्ता अदालतों में सम्मानित सदस्यों के पद रिक्त हैं उन पदों पर भी 10 दिन के अन्दर हमारी सरकार चयन कर लेगी और पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं का संरक्षण सुचारू रूप से करने लगेगी। मान्यवर, इस पर मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। मान्यवर, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार के किसानों से जाकर पूछ सकते हैं और माननीय नेता बसपा ने स्वयं मुझसे कहा और भाजपा के विधायकों का अखबार में बयान आया कि पिछले 25–30 सालों में गेहूँ की इतनी अच्छी खरीद नहीं हुई है। मान्यवर, 1 लाख 68 मीट्रिक टन गेहूँ खरीद में लगा था इसके विरुद्ध हमने 1 लाख 83 मीट्रिक टन गेहूँ क्रय किया। मान्यवर, यह ज्यादा उचित नहीं है। मान्यवर, किसानों के गेहूँ का एक भी दाना हमने पिछले वर्षों की तरह सड़ने और गलने नहीं दिया।

मान्यवर, बेकार होने नहीं दिया। हमने किसान का एक–एक दाना लिया है। पिछले वर्षों में क्या होता था ? मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूँ और न ही आरोप लगा रहा हूँ। पिछले वर्ष ही नहीं विगत 20–25 वर्षों में किसानों द्वारा सड़क जाम होती थी, चक्का जाम किया जाता था किसान ट्राली में गेहूँ लेकर आता था तथा एक–एक हफ्ते वह ट्राली पर पड़ा रहता था किसान को गेहूँ का समुचित मूल्य नहीं मिलता था। शुरू में हमारे सामने भी दिक्कतें आयीं शीशियाँ नहीं मिल पायीं थीं मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिजर्व बैंक से बातचीत की हमको शीशियाँ

मिलीं। मैं कह सकता हूँ हमारी सरकार ने सफलतम गेहूँ का क्रय किया है। भले ही हमारे प्रतिपक्ष में बैठे माननीय सदस्य हमारी गेहूँ नीति की आलोचना समालोचना करें निश्चित रूप से ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार के विधायक हृदय से इस बात को स्वीकार करते हैं। मान्यवर, हमने धान का 39 हजार मीट्रिक टन धान क्रय किया किसान को हमने 530 रु0 प्रति कुन्तल के हिसाब से दाम दिया। वर्ष 2001–2002 में हमने दो लाख मीट्रिक टन चावल क्रय करने का लक्ष्य रखा था जिसके विरुद्ध हमने 2 लाख 12 हजार मीट्रिक टन चावल का क्रय किया। मान्यवर, बी0पी0एल0 के तहत हमने 4 लाख 21 हजार 700 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य भारत सरकार ने हमको दिया था, समस्त परिवारों को कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है, अनाज वितरित किया जा रहा है। गेहूँ का दाम बी0पी0एल0 के तहत 4 रु0 65 पैसा प्रति किलो और चावल 6 रु0 15 पैसा प्रति किलो अन्त्योदय योजना के तहत 76300 परिवारों का चयन हमको करने का लक्ष्य भारत सरकार की ओर से मिला था। मान्यवर, हमने समस्त अन्त्योदय परिवारों का चयन करके उनको राशन कार्ड दिया है और अन्नपूर्णा योजना के तहत हमने 2 और 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूँ और चावल के दाम उपभोक्ताओं से लिये जाते हैं। 35 किलोग्राम प्रतिपरिवार 01 अप्रैल, 2002 से प्रदेश के अन्त्योदय परिवारों को उपलब्ध करा रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना के तहत वृद्ध, निराश्रित, विकलांग जिनको कोई पेंशन या सहायता नहीं मिलती जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है ऐसे लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने योजना बनायी है। जिसमें लगभग 10644 वृद्ध व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है इसमें निःशुल्क 10 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल दिया जाता है। जहाँ तक चीनी का सवाल है प्रदेश की जो माँग है और भारत सरकार का जो लक्ष्य है 6333 मीट्रिक टन चीनी पूरे प्रदेश में वितरित की जा रही है। मैं कैरोसिन के बारे में कहना चाहता हूँ पिछले महीने भारत सरकार को लक्ष्य बढ़ाने के लिए कहा था, इसके लिए मैं शान्ता कुमार जी से भी मिला था कि 12 हजार के0एल0 कैरोसिन का कोटा बढ़ा कर 18 के0एल0 आवंटन कर दिया जाय। उसका जवाब आ गया। उन्होंने हमारे प्रदेश का लक्ष्य 12 हजार से घटाकर 10543 के0एल0 कर दिया है। मान्यवर, जिन परिवारों के पास गैस का कनेक्शन नहीं है उनको 5 लीटर प्रति परिवार केरोसिन उपलब्ध कराया जाता है, मिट्टी तेल अधिक होने पर 10 लीटर तक दिया जाता है। जिनके पास एक सिलेन्डर है उसे तीन लीटर दिया जाता है और जिसके पास डी0पी0सी0 है उनको केरोसिन आवंटन की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं पहले भी राजस्व विभाग के बजट पर बोल रहा था मैंने आपके माध्यम से सदन को अवगत कराया था। मैंने कर्मचारियों और अधिकारियों की पीड़ा को समझा। हमने कर्मचारियों और अधिकारियों से कहा कि आप जनता की पीड़ा को समझिये हम आप की पीड़ा समझेंगे। अगर एक व्यक्ति एक जगह लम्बे समय तक काम करता है उसके काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है।

मान्यवर, मैं एक बार, एक परिवार में गया तो उस परिवार के बच्चों से पूछा कि चाचा जी मेरे पिता जी सप्लाई इंस्पेक्टर पर भर्ती हुए थे 30 साल पहले, वह अब भी उसी पद पर कार्य कर रहे हैं। स्कूल में जब हम जाते हैं तो हमारे साथ में पढ़ने वाले बच्चों के पिता जो पहले अध्यापक थे वह अब प्रधानाध्यापक हो गये, जो डाक्टर थे वे सी0एम0ओ0 हो गये जो जे0ई0 के पद पर थे वह ए0ई0 के पद प्रोन्नत हो गये। तब

मुझे बड़ी शर्म आती है कि मेरे पिता अब भी सप्लाई इंस्पेक्टर ही हैं और उसी पद से रिटायर हो जायेंगे। हमने इस पीड़ा को समझा है और हमने इस पर कार्यवाही भी की हमने 62 लिपिकों को प्रोन्नति देकर उनको सप्लाई इंस्पेक्टर बना दिया। इसी तरह मार्केटिंग विभाग में 43 लिपिकों को प्रोन्नति देने का विचार हमारे सामने विचाराधीन है। तीन चार दिन में हम उन्हें मार्केटिंग इंस्पेक्टर बनाने जा रहे हैं। इसी तरह से हमने एक जिलापूर्ति अधिकारी को सहायक खाद्य आयुक्त के पद पर प्रोन्नत किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने जो प्रोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू की है वह जारी रहेगी। मान्यवर, प्रोन्नति के माध्यम से नये अवसर मिलते हैं काम करने की क्षमता बढ़ती है और नीचे के जो पद होंगे वे भी खाली होंगे, जिससे नये नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यह हमारी सरकार की योजना है। मान्यवर, जिस दिन से मुझे खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है उस वक्त हमारे पास मात्र 3 जिलापूर्ति अधिकारी उत्तर प्रदेश से मिले थे। एस0डी0एम0 के पास जिलापूर्ति अधिकारी का चार्ज था एस0डी0एम0 के पास बहुत जिम्मेदारी होती है जिसके कारण एस0डी0एम0 कार्य ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं कर पा रहा था। मैंने इस कठिनाई को महसूस किया और तीन दिन के अन्दर ही मैंने समस्त एस0डी0एम0 से चार्ज वापस ले लिया और जिले में कार्यरत सीनियर इंस्पेक्टर को चार्ज दिलवाया। मान्यवर, प्रदेश में खाद्यान्न की जिम्मेदारी फूड कारपो0 ऑफ इण्डिया और प्रदेश का खाद्य विभाग सम्भालता है। खाद्य विभाग के मान्यवर, पाँच गोदाम अपने प्रदेश में हैं प्रदेश में 272 चावल मिलें हैं। जिसमें धान की कुटाई होती है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ दिनों तक गढ़वाल मण्डल में खाद्यान्न की कमी आयी थी, उससे हमको बहुत दिक्कत हुई थी। जब गढ़वाल मण्डल में अनाज खत्म हो गया तब चूँकि कुमाऊँ मण्डल के पूल में बहुत अधिक अनाज था। इसलिए हम केन्द्रीय पूल से अनाज नहीं लेना चाहते थे। शासन स्तर पर यह निर्णय हुआ कि कुमाऊँ मण्डल पूल में इतना अधिक अनाज था कि उसके सड़ने का भय था इसलिए कुमाऊँ मण्डल से अनाज गढ़वाल मण्डल में डाइवर्ट कर लिया गया। इस प्रकार जो खाद्यान्न की समस्या आयी थी, वह अब दूर की जा चुकी है। मान्यवर, मैंने खाद्य मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया है उसके सम्बन्ध में मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि वे कम से कम खाद्य विभाग के बजट पर तो कोई कटौती प्रस्ताव न लाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपनी बात को समाप्त करता हूँ।

*श्री कैलाश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी काफी जोशीले शब्दों में काफी कुछ कहा और काफी जोर–शोर से काफी ऊँची–ऊँची आवाजों में काफी बातें बतायीं। और यह भी प्रयास किया कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लिया जाए। क्योंकि माननीय मंत्री जी हमारे पुराने साथी हैं और काफी नई–नई योजनाओं के बारे में इन्होंने बताया। क्योंकि वे अभी–अभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विदेश की यात्रा करके आये हैं और लग रहा है कि वास्तव में कुछ सीख कर आये हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने राजस्व विभाग के बारे में बताया कि पटवारियों का प्रमोशन कर दिया गया है, कानूनगो का प्रमोशन कर दिया गया है। नायब तहसीलदार आदि का प्रमोशन कर दिया गया है। मान्यवर, बजट में राजस्व पुलिस को सुसज्जित करने के लिए कहीं भी धन की व्यवस्था नहीं की गयी है, जब कि वर्तमान में उत्तरांचल की राजस्व पुलिस को सुसज्जित करना बहुत आवश्यक है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिन पर राजस्व पुलिस कार्य करती है और उसके पास कोई सुविधा नहीं है। नव-सृजित 3 जिलों में होमगार्ड कमान्डेन्ट के कार्यालय बनाने की धनराशि 20 लाख रुपये रखी गयी है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत कम है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि साढ़े पाँच लाख रुपये एक पटवारी चौकी बनाने में लगते हैं। इसे देखते हुए 3 जिलों में होमगार्ड कमान्डेन्ट के कार्यालय के लिए धनराशि बहुत ज्यादा हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। कोषागार तथा स्टाम्प हेतु 3 जनपदों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जब कि इस व्यवस्था में प्रत्येक जनपद में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस योजना के लिए मात्र 40 लाख का बजट रखा गया है, माननीय मंत्री जी, जो कि काफी कम है। भू-अभिलेखों के कम्प्यूटराइजेशन के लिए भी बजट का प्रावधान नहीं है। मात्र केन्द्र पर आश्रित होकर कहा गया है कि केन्द्र से मिलने पर हम करेंगे, जब कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे उत्तरांचल में राजस्व की वसूली करने के लिए जो महत्वपूर्ण अंग है-राजस्व अमीन, बहुत वर्षों से राजस्व अमीन अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, मान्यवर, उनके विनियमितीकरण के लिए भी प्रावधान होना चाहिए था। 1874 डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल 80 के बावजूद भी राजस्व पुलिस रेगुलर पुलिस के रूप में कार्य करती है और चूँकि विषम भौगोलिक परिस्थितयों में राजस्व पुलिस को यह काम करना पड़ता है, उसके लिए यह राशि बहुत ही कम है।

मान्यवर, ऐसे काम पटवारी को डण्डे के सहारे करने पड़ते हैं। राजस्व पुलिस के लिए अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिए। राजस्व पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 5 करोड़ 60 लाख की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, जो पटवारी चौकियाँ बनाई गई हैं, वे ऐसे स्थानों पर बनाई गई हैं, जहाँ पटवारी रहने का साहस भी नहीं करेंगे। ये पटवारी चौकियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन विभाग को हस्तान्तरित नहीं की गई हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बार ऐसा होता है कि राजस्व पुलिस जब अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए जाती है तो 302, 307 तक के मामलों को वहीं पर निपटा देते हैं, क्योंकि राजस्व पुलिस के पास कोई व्यवस्था नहीं होती है, कोई साधन नहीं होता है। इसलिए वे वहीं उसे निपटा देते हैं। इससे अपराधों में वृद्धि होती है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि राजस्व पुलिस के लिए जिप्सियाँ क्रय करने का प्राविधान है। इससे पूर्व की सरकार ने राजस्व पुलिस के लिए जिप्सियाँ क्रय की थी, जिलों के वरिष्ठ अधिकारी आज उनका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए इस योजना में जो आप पैसा लगा रहे हैं मुझे नहीं लगता कि इसका भी सही उपयोग हो पायेगा। मान्यवर, राजस्व पुलिस को वाहनों की सख्त आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाये तो उसे पोस्टमार्टम गृह तक पहुँचाने के लिए राजस्व पुलिस के पास कोई साधन नहीं है। राजस्व पुलिस के लिए पूर्व सरकार ने जो जिप्सियाँ क्रय की थी, वो राजस्व पुलिस को मिलनी चाहिए। मान्यवर, बजट में तहसील, उप तहसील बनाने के लिए कोई प्रावधान बजट में

नहीं किया गया है। मान्यवर, इस राज्य में छोटी-छोटी इकाइयों की भी आवश्यकता है और इस बजट में छोटी इकाइयों के गठन का प्रावधान नहीं है। पटवारियों को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए भी कोई प्राविधान नहीं है। जो कुछ सुझाव मैंने दिये और जो खामियाँ बताई मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इन खामियों और सुझाओं को मद्देनजर रखते हुए कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ। आपदा प्रबन्धन के बारे में माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ कहा है। आपदा प्रबन्धन कोष गठित करने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है।

मान्यवर, फरवरी माह में जब चुनाव चल रहे थे तो अल्मोड़ा में तीन मकान जलकर राख हो गए उनके तन पर जो कपड़े थे उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। मैं तीन चार बार माननीय मंत्री जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कह चुका हूँ लेकिन आज तक उन्हें कोई सहायता नहीं दी गयी है। यह सरकार का खुला उदाहरण है। पिछली सरकार ने जो योजनाएं लागू कर रखी थी उन्हीं को यह सरकार अच्छी तरह से लागू नहीं कर पा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूँ।

श्री प्रकाश पंत-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सूक्ष्मवाक्य में अपनी बात कहूँगा।

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

मान्यवर, यह तय हो जाय कितना कम बोला जाए जिससे की सारी बातें आ जाएं, तो अच्छा रहेगा। माननीय मंत्री जी ने अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया अब विपक्ष को अपनी बात प्रस्तुत करनी है।

श्री प्रकाश पंत-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने लगभग डेढ़ घन्टे तक अपनी बात बहुत बढ़ा-चढ़ाकर रखी इस सरकार ने क्या किया उसका उल्लेख मैं करना चाहता हूँ। सरकार ने विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में जो पेंशन और इनाम दिया जाता था पूर्ववर्ती सरकार में, उसे इस सरकार ने समाप्त कर दिया। प्रदेश सैनिक दिवस समारोह के अवसर पर जो सहायता दी जाती थी उसे इस सरकार ने शून्य कर दिया है। प्रादेशिक सैनिक कर्मचारियों को जो पारितोषिक दिया जाता था उसे शून्य कर दिया है, प्रादेशिक सेना डेकोरेशन तथा मैडल प्राप्त व्यक्तियों को जो पुरस्कार दिया जाता था उसे भी शून्य कर दिया गया। विशिष्ट सेवा मण्डल श्रृंखला के पदक विजेताओं को जो अनुदान दिया जाता था उसे इस सरकार ने समाप्त कर दिया है। मान्यवर, राज्य कर्मचारी कल्याण हेतु जो अनुदान दिया जाता है उसे इस सरकार ने शून्य कर दिया है। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य वीरों की भूमि है और इतिहास इसका साक्षी है। इस भूमि के वीरों को अशोक चक्र, परमवीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल मिले हैं और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त पुरस्कार दिया जाता था उसे इस सरकार ने काटकर शून्य कर दिया है। इस सरकार की एक ही उपलब्धि है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो अनुदान और सेवाएँ सैनिकों को दी थी उन्हें इन्होंने काट दिया है। संग्रह अमीनों के विनियमितीकरण की बात है, जैसा कि हमारे शर्मा जी ने कहा भी मैं समझ रहा था कि हमारे मंत्री बहुत तेजस्वी हैं वह इनके नियमितीकरण की बात करेंगे। लेकिन इस सरकार ने उनके हितों पर कुठाराघात किया है।

मान्यवर, खाद्यान्न से सम्बन्धित जितनी बातें माननीय मंत्री जी ने कही हैं वह सब भारत सरकार का किया हुआ है। मान्यवर, मुन्स्यारी क्षेत्र, धारचूला क्षेत्र में बरसात के बाद रोड ब्लाक हो जाते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को खाद्यान्न लाने ले जाने में दिक्कत होती है, उसके लिए इन्होंने क्या व्यवस्था की। मान्यवर, इसके सम्बन्ध में इन्होंने कोई विचार नहीं रखे। मान्यवर, इन्होंने खाद्यान्न ढुलान में कोई अलग से व्यवस्था नहीं की है। मान्यवर, माननीय चुफाल जी ने बोरे में कम अनाज तौले जाने की बात रखी तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि उसमें सीलन आ जाती है। मान्यवर, उसमें मिलावटी अनाज दिये जाने की बात भी की थी। इसके लिए भी इन्होंने कोई सही उत्तर नहीं दिया।

मान्यवर, इस राज्य में जो दैवीय आपदा है, जैसे ओलावृष्टि भूस्खलन आदि हैं। मान्यवर, अगर ओलावृष्टि होती है तो किसान को बहुत कम मुआवजा मिलेगा तो किसान क्या करेगा। मान्यवर, इस प्रकार से जितना भी यह बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुछ नया नहीं है, हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ नया लेकर आयेंगे। मान्यवर, इन्होंने वायदा किया था कि एक महीने में दैवीय आपदा में कुछ नया लेकर आयेंगे, लेकिन तीन महीने हो जाने के बाद भी कुछ नहीं किया। मान्यवर, यह एक गम्भीर विषय है। इसलिए मैं कैलाश शर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*श्री हरिदास–

मान्यवर, अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 25 किलो खाद्यान्न मिलता है, जो कि भारत सरकार देती है, आपने नहीं दिया है पर आपने लिखवा दिया कि 35 किलो खाद्यान्न मिलता है। मान्यवर, आपने जो सब्सिडी रखी है वह बहुत कम है, दुकानदार को जो सब्सिडी मिलनी चाहिए वह बहुत कम मिलती है, उनको 7–8 पैसे प्रति किलो मिलती है। मान्यवर, इसलिए लाभार्थियों तक लाभ नहीं जाता है।

मान्यवर, लाभार्थियों तक अनाज नहीं जाता है। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, ने जो पटवारी चौकी निर्माण के बारे में कहा, लेकिन आपने बजट भाषण में पटवारी क्षेत्र को खोलने की बात नहीं कही। नेपाल से लगी हुई जो प्रदेश की सीमा है वनराला से लेकर काला पानी तक उसमें मात्र 8 पटवारी क्षेत्र हैं। मान्यवर, इस क्षेत्र में माओवादियों की गतिविधियों को देखते हुए आज वहाँ पटवारी क्षेत्र की अति आवश्यकता है। लोग टायर ट्यूब में हवा भरकर बैठकर नदी पार करते हैं, इससे अराजक तत्वों को बल मिलता है। आज गाँव के गाँव भूस्खलन से प्रभावित हैं बरसात में लोग तम्बू, घास–फूस की झोपड़ियों में रहने को विवश हैं, इसलिए मान्यवर, उचित व्यवस्था की जाय यह मेरा सुझाव है।

श्री मालचन्द–

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र पुरवा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जो हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। इस क्षेत्र के गाँवों के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, इससे

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह क्षेत्र उपेक्षित हो रहा है। यह क्षेत्र भूस्खलन की चपेट में है। मान्यवर, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में गद्दी है, वहाँ पर तहसीलदार बैठता है, इसकी कोई बिल्डिंग नहीं है। इस बजट में तहसील राजगद्दी के नाम से है। (व्यवधान)

चौधरी यशवीर सिंह–

मान्यवर, भ्रष्टाचार की जो सबसे बड़ी जड़, चकबन्दी है। जब तक इसमें भ्रष्टाचार फैला रहेगा तब तक सुधार होना कठिन है, इस बारे में आपने कोई विवरण नहीं दिया है जो व्यापक भ्रष्टाचार फैला है, उसको कैसे नियंत्रित करें।

मान्यवर, भ्रष्टाचार में लिप्त कितने लोगों को आपने दण्डित किया, यह नहीं बताया है। जिले में जितने बी0टी0सी0 हैं उनका चार्ज डी0एम0, एस0डी0एम0 देख रहे हैं। डी0एम0 तो वी0आई0पी0 ड्यूटी में रहते हैं, इससे जनता परेशान है। दूसरी बात सरकारी दुकानों में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। एक गाँव होता है उसमें एक महीने में 30 बोरा चावल आता है और 100 कुन्तल गेहूँ आता है और 20 कुन्तल चीनी आती है और 20 ड्रम तेल आता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डीलर को व्यय करना पड़ता है। मान्यवर, जब तक इसमें कमीशन नहीं बढ़ायेंगे तब तक भ्रष्टाचार बन्द नहीं होगा। मैं इसका दिल से विरोध कर रहा हूँ।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी ने जो बजट भाषण दिया इसमें हरिद्वार जिले की जो प्रमुख समस्या है वह वास्तव में चकबन्दी है। एस0ओ0, सी0ओ0, एस0ओ0सी0, डी0एम0 हैं, एस0ओ0सी0 का मुकदमा है वहीं मुकदमा खिलाफ करेंगे फिर उसी के पक्ष में निर्णय देंगे। यह इतनी गम्भीर समस्या है कि आज हरिद्वार के किसान आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनको एस0डी0एम0 ने उठाकर भर्ती किया है। एक बात और कहना चाहता हूँ मान्यवर, जो संग्रह अमीन हैं वह हरिद्वार में 50–60 लगभग हैं वह अनेक वर्षों से केवल 8 माह रखे जाते हैं चार माह हटा दिये जाते हैं। 15, 20 सालों से उनके नियमितीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, हमारे यहाँ जो वर्ग 3 की जमीन है उस पर पिछले 25 सालों से किसानों का कब्जा है। उसके लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं रखा है।

मान्यवर, मंत्री जी ने प्रमोशन अवश्य दिये हैं। नायब तहसीलदार को तहसीलदार, तहसीलदार को एस0डी0एम0 मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए निम्न सुझाव देना चाहता हूँ:–

पटवारियों के पास स्टेशनरी का कोई प्रबन्ध नहीं होता यहाँ तक कि एफ0आई0आर0 लिखने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती। इसका प्राविधान किया जाना चाहिए। मुल्जिम को हवालात तक लाने के लिए या क्षेत्र में मरे हुए व्यक्तियों का पोस्टमार्टम कराने के लिए कोई भी वाहन किराया सरकार द्वारा नहीं दिया जाता जो कि दिया जाना चाहिए। चपरासियों के लिए ड्रेस अनुमन्य है उसे दिया जाना चाहिए।

आपने आपदा प्रबन्धन में जो जोन 5 में है 20–20 गाँवों का सर्वेक्षण करने की बात कही है तो क्या ये नये 20 गाँव लिये गये हैं। खैरियत रिपोर्ट प्रतिदिन आने की व्यवस्था है क्या वहाँ, शासन स्तर पर प्रतिदिन हर जिले की रिपोर्ट आ रही है इसको स्पष्ट करें। पूर्व में 20 लाख के टैन्ट हाउस खरीदे गये थे क्या वह हर जिले में पहुँच गये हैं। बस इतना ही मुझे कहना था। मान्यवर, मैं श्री कैलाश शर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान एक दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, घंसाली विधान सभा क्षेत्र जो टिहरी जनपद का हिस्सा है उस क्षेत्र में जो दूर–दराज का हिस्सा है वहाँ पर धर्मगंगा एक स्थान है जहाँ पर 2–3 साल पहले बाढ़ आने के कारण 3 पुल बह गये लेकिन आज तक उनका निर्माण नहीं हुआ उसके लिए धन का आवंटन होना चाहिए। ग्राम कोआँ में पिछले वर्ष बादल फट जाने के कारण पूरा गाँव क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें जो तमाम विकास की योजनाएं चल रही थी, जैसे पेयजल तथा सम्पर्क आदि सभी ध्वस्त हो गये जिसका निर्माण अभी तक नहीं किया गया है। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि भूकम्प से टिहरी जनपद में जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति के लिए धन का आवंटन किया जाए। मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि एक–दो और तीन के वर्गीकृत परिवारों को भूकम्प की राशि का आवंटन शीघ्र किया जायेगा, लेकिन आज तक वह नहीं हुआ है। दूसरा, यह कहना चाहता हूँ कि अभी 25 मई को आकाशीय बिजली गिरने के ग्राम गेवाली बीट में 250 भेड़ बकरियाँ मर गयी। इसके बाद पुनः 5 जून को उसी गेवाली बीट में आकाशीय बिजली से 260 भेड़–बकरियाँ, दूसरे तोंत में मर गयीं। इस प्रकार 25 मई को 30 से भी अधिक परिवारों की भेड़–बकरियाँ मर गयीं और 5 जून को आकाशीय बिजली गिरने से 17 से अधिक परिवारों की भेड़–बकरियाँ मर गयीं, उनको राहत राशि नहीं मिली। इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भूकम्प की राहत राशि, जो शासन में लम्बित पड़ी है, उसका आवंटन किया जाए। मान्यवर, बाढ़ से जो पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसकी फाइलें शासन में लम्बित पड़ी हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार तत्काल उनको स्वीकृत करने की चेष्टा करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्रीमती आशा नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि मैं 3 देशों की यात्रा करके आया हूँ और आपदा प्रबन्धन के बारे में मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा, और हमारा प्रयास होगा कि उनको यहाँ पर भी लागू किया जाए। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र केदारनाथ में आज भी लगभग 13 गाँव भूस्खलन की चपेट में हैं। आज भी वहाँ के लोगों को यह चिन्ता रहती है कि बरसात के मौसम में हम कैसे रहेंगे। उनके लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी, जबकि उनकी फाइल शासन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में लम्बित है। 1998 और 2000 में वहाँ पर जो त्रासदी हुई उसके बारे में कोई प्राविधान नहीं किया गया। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ और केदारनाथ में बरसात के मौसम में खाद्यान्न की व्यवस्था कैसे करेंगे, इसका भी कोई जिक्र इस बजट में नहीं किया गया है। बरसात के मौसम में वैकल्पिक व्यवस्था के लिए वहाँ गोदाम होने चाहिए। अभी जैसा माननीय बलबीर सिंह नेगी जी ने कहा कि श्रेणी एक–दो और तीन के लिए भूकम्प की जो अनुदान राशि देने की बात की गयी थी उसके लिए भी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। आज जनता टकटकी लगाए हुए है। जब हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो जनता हमसे पूछती है कि हम कब तक उनको भूकम्प की राशि देने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस बजट का विरोध करती हूँ। धन्यवाद।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–25 खाद्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, इसमें मैं बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूँ क्योंकि समय काफी कम है। तो मैं दो बातें कहना चाहता हूँ खाद्य विभाग के बारे में कि जो सरकारी गोदाम बनाने की धनराशि का प्रावधान किया है, यह बहुत कम है, और माननीय पंत जी ने बता दिया है कि ऊपर के जिलों में दोनों मण्डलों में बरसात में रोड बन्द हो रही हैं और आपदा प्रबन्धन तथा खाद्य दोनों आपके पास ही हैं और ये दोनों आपस में सहयोगी भी हैं। तीसरा आपने कहा कि डी0एस0ओ0 रख दिये हैं, मेरी जानकारी में सिर्फ 3 डी0एस0ओ0 ही पूरे उत्तरांचल में हैं। खाद्य निरीक्षकों के भी कई पद रिक्त पड़े हैं और जिसकी वजह से आपकी कोई भी खाद्य योजना ठीक नहीं हो रही है चाहे वह वृद्धों को देने के लिए हो या अन्य कोई दूसरी योजना हो। मान्यवर, 31 मार्च को राशन बँट जाना चाहिए था, लेकिन 20 अप्रैल तक नहीं बँटा था। उपभोक्ता संरक्षण कहीं पर कार्य नहीं कर रहे हैं, इसका भी प्रबन्ध कर लिया जाना चाहिए था। मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, चूँकि माननीय प्रतिपक्ष के द्वारा और सम्मानित सदस्यों के द्वारा बहुत सारी आशंकाएँ और सवाल अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गये हैं। माननीय कैलाश शर्मा जी ने राजस्व पुलिस के आधुनिकीकरण पर बल दिया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मैं बता चुका हूँ कि 131 वायरलेस सेटों को कानूनगो, जो अभिलेख अधिकारी हैं, इस वित्तीय वर्ष में हमारा प्रस्ताव है जिससे कि अपराधों को रोका जा सके। जो पूर्व में जीपें और जिप्सियाँ दी गयी हैं उसके अतिरिक्त 39 जीप वाहन क्रय करने का प्रस्ताव हमारा है, विचार सरकार स्तर पर चल रहा है। जहाँ तक अमीनों का माननीय पंत जी ने और शर्मा जी ने और हमारे चौधरी यशवीर जी ने जो संग्रह अमीन हैं, मैं एक शब्द और जोड़ रहा हूँ सीजनल संग्रह अमीन, उनके विनियमितीकरण की बात की। माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि माननीय नेता प्रतिपक्ष फरवरी से पूर्व हमारी सरकार आने से पूर्व यहाँ बैठे थे, जब शायद हमारी संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी यह सवाल उठाया होगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा सीजनल संग्रह अमीन के नाम से ही स्पष्ट है। इनकी माँग घटती–बढ़ती रहती है। प्रति अमीन 6 लाख रुपये प्रतिवर्ष वसूली का लक्ष्य है, इसके विरुद्ध इस समय लगभग 3.5 लाख के आस–पास वसूली हो पा रही है। इसलिए मान्यवर, इनका नियमितीकरण करने की फिलहाल सरकार का कोई इरादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम चिन्तित नहीं है, लेकिन सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ऐसा करना पड़ रहा है। मान्यवर, जहाँ तक तहसीलों और उप तहसीलों के निर्माण का सवाल है। पूर्व उत्तर प्रदेश में 15 लाख की आबादी पर एक जिले के निर्माण का प्राविधान है और जो जिले हमारे यहाँ है, वे ही इस मानक को पूरा नहीं कर रहे है और 11वें वित्त आयोग की सख्त हिदायत है कि किसी भी नई तहसील या नये जिले का निर्माण न किया जाये। अनेक तहसीलों और जिलों के निर्माण के प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं। जैसे ही प्रदेश की स्थिति में कुछ सुधार होगा उप तहसील और तहसील बनाने पर विचार किया जायेगा और निकट भविष्य में यदि प्रदेश सरकार जिलों के निर्माण की आवश्यकता महसूस करेगी तो उस पर विचार किया जायेगा। माननीय पंत जी ने अनाज की कम तौल की बात कही। मैं पहले भी इस सदन को अवगत करा चुका हूँ कि कम तौल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट में कहीं कोई बोरा फट जाये तो शायद कुछ राशन कम हो जाये। इसे स्वीकार करने में भी कोई हर्ज नहीं है, यह व्यवहारिक पक्ष है। जहाँ तक माननीय पंत जी की पीड़ा है।

मान्यवर, अगर 42 किलो निकलता है किसी बोरें में, तो मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी सस्ते गल्ले दुकानदार, जो आंतरिक गोदाम में अनाज लेने जाता है अगर 50 किलो अग्रिम राशि के रूप में जमा किया है तो शिकायत करें। किसी भी आंतरिक गोदाम में अगर कोई शिकायत आती है, जाँच के उपरान्त ऐसे में सप्लाई इंस्पेक्टर, जिला पूर्ति अधिकारी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अगर 42 किलो निकलता है तो उसे 8 किलो, जो अनाज कम है अतिरिक्त रूप में उसे दिया जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कटौती प्रस्ताव इसलिए लाया गया है कि कम समय में अपनी बात पूरी कर दे।

डॉ० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री भट्ट जी, श्री कौशिक जी, श्री यशवीर जी, श्री मालचन्द जी, श्री चुफाल जी, श्री हरिदास जी, श्री पंत जी, श्री कैलाश जी और हमारी बहन आशा नौटियाल जी सब लोगों ने अपने–अपने विचार रखे हैं। मैं अपने सम्मानित प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे राजस्व विभाग पर और आपदा प्रबन्धन पर, खाद्य विभाग से सम्बन्धित इन प्रस्तावों को प्रदेश के हित में, जैसा कि आप स्वयं जानते हैं कि छोटी विधान सभा है मिलजुल कर काम करेंगे। आप कृपया कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूँ कि जैसा कि इन्होंने कहा कि छोटा राज्य बना है, यहाँ सबको सुविधाएं मिलनी चाहिए। मिल बैठकर काम करना चाहिए। लोगों की आकांक्षा है छोटे जिले और छोटी तहसील भी है जिसको आपने एकदम सिरे से नकार दिया और आप ही के सामने नेता सदन ने सामान्य बजट चर्चा में इस बात का उल्लेख किया कि हिमाचल प्रदेश को योजना आयोग से साढ़े पैंतालीस हजार करोड़ अधिकतम आयोजनागत मद मिला है वहीं हमारे हिस्से में सोलह सौ करोड़, सत्रह सौ करोड़ आया है इसका शायद यह कारण है कि हम अपने केस को बढ़िया तरीके से रख नहीं पाए। उनको निर्देश होगा योजना आयोग के आदेशों के मुताबिक हमको काम करना पड़ेगा, हम इसको क्यों नहीं कर सकते, इससे काम नहीं चलने वाला। हमारा सुझाव है कि आप लोगों की जन–भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी ओर से केस को बिलट करना पड़ेगा। हम नॉन प्लान एक्सपेन्डीचर में योजना आयोग से पैसा ले सकते हैं।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, हमने अपने सदन में दशम वित्त आयोग से पर्वतीय क्षेत्र के लिए 108 करोड़ रुपये स्वीकृत कराये थे। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप सरकार की ओर से कोई अच्छा केस बनायेंगे तो वित्त आयोग आपको पैसा देगा। तो क्या आप कुछ ऐसा करेंगे। यह मैं जानना चाहता हूँ।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं स्वयं छोटी इकाई का पक्षधर हूँ। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश का बजट रखा और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से मिला था और माननीय नेता प्रतिपक्ष की पीड़ा को मैंने समझा और वह भी महसूस करते हैं और उन्होंने कहा कि आप कहाँ से करेंगे, आपके पास तो बजट ही नहीं है। मान्यवर, हम सब लोग जानते हैं कि अपनी वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, प्रदेश के विकास के लिए कैसे दीर्घकालिक योजनाओं को बनाया जा सके और प्रशासनिक इकाइयों को विकेन्द्रीकरण किया जा सके। मान्यवर, 15 लाख जनसंख्या पर जिला बनाने का मानक था, सिद्धान्तिक रूप से इसे हमने स्वीकार किया है कि इसको 5 लाख किया जाना चाहिए। मान्यवर, आवश्यकता हुई तो हम सब लोग मिलजुल कर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–6, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–6, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1061695 (एक सौ छः करोड़ सोलह लाख पिच्चानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 120009 (बारह करोड नौ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–27, वन विभाग

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1585188 हजार (एक सौ अट्ठावन करोड इक्यावन लाख अट्ठासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, अगर आप संरक्षण दें, हमारे भाषण की प्रति उपलब्ध हो गयी हो तो उनको पढ़ा हुआ माना जाय (सभी सदस्यों ने एक स्वर में पढ़ा हुआ माना जाय कहा)। मान्यवर, पिछले तीन महीनों का जो अनुभव मेरा हुआ है, उस ओर मैं माननीय सदस्यगणों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हम वन वृक्षारोपण बढ़–चढ़कर कर रहे हैं और कई परियोजनाएं इस दृष्टि से हम लोगों ने बनायी। मैं इस विभाग के सबसे कड़ुवे अनुभव को सदन के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे मुझे अत्यधिक दुःख भी हुआ। एक ही जनपद का निरीक्षण हमने किया है, वह है हरिद्वार। इस जनपद में जंगल विकसित करके ग्राम सभाओं को दिया गया, इन जंगलों में 10 लाख से ज्यादा पेड़ों की क्षति हुई, ये सब लोगों में जागरूकता की कमी के कारण हुआ। मान्यवर, जब हम सहभागिता की बात करते हैं चाहे वह किसी भी माध्यम से करें उसमें एकरूपता होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में टैरीटोरियल एरिया में जो फोर्स थी उसको समाप्त किया गया और उसका नतीजा यह हुआ वन्य सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, इस पर हमारी सरकार विशेष रूप से कार्य करना चाहती है।

मान्यवर, परियोजनाएं बनती हैं हम जब उनके समाप्ति के बाद उनका आकलन करते हैं तो उस समय हम यह महसूस करते हैं उस परियोजना का जो लक्ष्य था वह हमने महसूस किया। हमारा जो काम करने का तरीका है उस काम करने के तरीके में किसी परियोजना के लिए किसी एक व्यक्ति का दायित्व सुनिश्चित नहीं है, उसका कारण है, न तो परियोजना का ठीक विकास हो पाता है उस परियोजना में क्या कमी है। हमने वन विभागों के अन्तर्गत जितने भी विषय हैं उनमें से 21 विषयों का चयन किया है। एक अधिकारी को उस परियोजना से जोड़ सकें इन परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना इन कामों में कुछ सफलता मिल सके हम उसकी जिम्मेदारी फिक्स कर सकें। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य अपने वनों की उपज को बढ़ाना है, इस दिशा में हम विशेष कार्य नहीं कर पाये। हम जहाँ पर वृक्षारोपण करते हैं वहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम प्रति हैक्टेयर बीज को बढ़ाने वाले वृक्षारोपण कर सकें। वृक्षारोपण की दृष्टि से हमें एक चीज तय करनी पड़ेगी जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण करें वह वृक्षारोपण स्थानीय जरूरतों को पूरा करने वाले हों। पर्वतीय क्षेत्र में भी वृक्षारोपण ग्रामीणों की जरूरतों की पूर्ति हो सके। जन सहभागिता से प्लान्टेशन करने वाले हैं, हम इस ओर ध्यान दें। हमारी जरूरत है हम एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन करें, हमारी सरकार की नीति यह है कि इस विषय में हमारा जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा वह उद्योगपतियों की सहायता भी करेगा और उनको बता सकें कि उनके यंत्रों में कहाँ कमी है, जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो और उनको भी सही राय मिल सके।

एक मद से दूसरे मद में जाने की वजह से ऐसा लगता है कि बजट कम है। जब कि वास्तविकता यह है कि कुल मिलाकर गत वर्ष से 24 करोड़ रुपये से अधिक का प्राविधान है। यदि हम इसे आकड़ों की दृष्टि से देखें तो लगेगा कि वन विभाग के बजट में कमी कर दी गयी है। मान्यवर, इस वर्ष 3–4 नई परियोजना प्रारम्भ की है जो जड़ी–बूटी से सम्बन्धित हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी अपने कार्यों को सही ढंग से अंजाम देता है जैसे वह किसी हथियार बंद गिरोह से मुठभेड़ में घायल हो जाता है या ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी उन्हें पुरस्कार दिया जायेगा ऐसी योजना इस बजट के अन्तार्गत की गई है। वनों की सुरक्षा और जंगलों के कटान को रोकने के लिए योजना बनाई गई है। इकोटूरिज्म आने वाले समय में आय का सबसे बड़ा स्रोत होगा इसको भी हमने ध्यान में रखा है। कर्मचारी कल्याण के लिए उनके नियमितीकरण के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है गत तीन महीनों में हमने इस दिशा में काफी कार्य किया है मान्यवर, हम एक मेडिकल कालेज हल्द्वानी में स्थापित करने के अन्तिम चरण में हैं। मैं यह मानकर चल रहा हूँ इस वर्ष हमारे मेडिकल कालेज में अपने राज्य के छात्रों को प्रवेश दिलाने में सफल हो जायेंगे। कृषकों की सुरक्षा की व्यवस्था भी हमने की है, उनको मुआवजे की बात भी हमने की है पशुधन के मुआवजे की बात भी की है। फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो जमीन है उनमें भी कुछ प्रजाति के पेड़ किसानों द्वारा उगाये जाने लगे हैं उन्हें हम प्रोत्साहित कर रहे है। मान्यवर, मैं स्वयं उत्सुक हूँ अपने वरिष्ठ साथियों द्वारा दिये गये सुझावों को सुनने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जिससे हमें उनके सुझावों का लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे साथी इस बजट के प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–27, वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसको मैंने पढ़ा और सुना भी। मुझे ऐसा लगा कि यह बजट उद्देश्यहीन है, व्यवहारिक नहीं है। उत्तरांचल के हित में कतई नहीं है।

मान्यवर, मुझे बड़ी निराशा हुई, मैं तो यह उम्मीद कर रहा था कि यह बजट सबसे अच्छा होगा क्योंकि आबकारी विभाग के बाद वन विभाग ही ऐसा विभाग है जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है। अगर इस वन विभाग की इस तरह उपेक्षा की जायेगी तो हमें राजस्व की प्राप्ति कैसे होगी। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक सौ अट्ठावन करोड़ इक्यावन लाख अट्ठासी हजार का यह बजट है, अगर इस पैसे का सदुपयोग हो जाए तो पूरे उत्तरांचल में उथल–पुथल हो जाएगी। सबसे पहली प्राथमिकता तो यह है कि इस बजट का सदुपयोग हम किस तरह करें। बजट तो हम पास करा लेते हैं लेकिन पीछे मुड़ कर नहीं देखते कि उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग। उसका सदुपयोग होना चाहिए। मान्यवर, इस बजट में मितव्ययता का ध्यान नहीं रखा गया है। टेलीफोन के खर्चे में कमी कर सकते थे, फर्नीचर के खर्च में कमी कर सकते थे, स्थानान्तरण में जो भत्ता मिलता है, उसमें कमी कर सकते थे, विदेश यात्रा में होने वाले खर्चे में कटौती कर सकते थे लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हम उपयोगी मदों पर पैसा खर्च करते और अनुपयोगी मदों को बजट से हटा देते तो कितना अच्छा होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पिछली सरकार ने एक अभियान चलाया था, हरियाली अभियान इसका तात्पर्य था, उत्तरांचल को हरा–भरा बनाना लेकिन इस सरकार ने उसका नामो–निशान मिटा दिया है। हमारा यह प्रस्ताव था कि 5 जुलाई से 30 अगस्त तक हम जनता के सहयोग से वृक्षारोपण करें, मगर उसका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। मुझे यह देख कर बड़ी हैरानी हुई, आपने नारा तो दे दिया हम वृक्षारोपण करेंगे लेकिन कौन–कौन सी प्रजातियों का वृक्षारोपण हम करेंगे, इसका उल्लेख नहीं किया। अच्छा होता यदि यह भी उल्लेख कर देते कि इतने वृक्ष हम चारा प्रजाति के लगायेंगे, इतने वृक्ष औषधि के लगायेंगे और इतने वृक्ष जलौनी लकड़ी के लगायेंगे। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमने वृक्षारोपण तो कर दिया लेकिन उसकी सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। जब तक वृक्षारोपण की सुरक्षा व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। माननीय मंत्री जी ने हरिद्वार जनपद में 10 लाख रुपया की सम्पत्ति की बात कही, मैं कहना चाहता हूँ कि सम्पूर्ण उत्तरांचल में अरबों रुपयों की सम्पत्ति सड़ रही है, उस अरबों रुपये की सम्पत्ति पर किसी का अधिकार नहीं है।

मान्यवर, भूस्खलन से पेड़ कहीं गिर जाते हैं, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यह हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है, अगर आप ऐसी व्यवस्था करें कि कहीं पर भूस्खलन होता है, कहीं पर आँधी आदि से यदि ये पेड़ गिर जाते हैं तो

उनका सदुपयोग होना चाहिए। मैं एक क्षेत्र में गया और वहाँ मैं इसलिए गया था कि वहां पर अवैध पातन की शिकायत मुझे मिली थी और 6 किलोमीटर दूर जाकर मैंने देखा कि अरबों की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। तो मैं चाहूँगा कि जो पेड़ आँधी, तूफान से गिरे हुए हैं उनको सही किया जाना चाहिए। हमारे उत्तरांचल में जो खाना हम पकाते हैं वह लकड़ी में पकाते हैं, कितना अच्छा होता यदि माननीय मंत्री जी यह व्यवस्था इस बजट में देते कि भारत सरकार से वे रसोई गैस को उपलब्ध करायेंगे और भारत सरकार यदि रसोई गैस हमें उपलब्ध करा दे तो जलाने के लिए जो पेड़ देहातों में कटते हैं, वे सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार प्रतिवर्ष बांस के पेड़ काटे जाते हैं अगर बजट में व्यवस्था होती कि कृषकों को लोहे के हल देते तो ये पेड़ सुरक्षित होते। तो मैं चाहूँगा कि भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृषकों को लोहे के हल दे ताकि ये पेड़ सुरक्षित रहें। वन संरक्षण अधिनियम, यह सम्पूर्ण उत्तरांचल के लिए एक अभिशाप है, कितना अच्छा होता यदि माननीय मंत्री जी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 जो हमारे विकास कार्यों के लिए अवरोधक है, भारत सरकार से अनुरोध करें कि इसमें लचीलापन लाया जाए। आपने 480 विकास कार्यों के लिए वन नीति की बात की। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि 450 विकास कार्यों की योजना तो हमारी सरकार ने की थी। 30 ही तो आपने की। यह बजट रोजगारपरक नहीं है। मगर आपने कहीं पर भी रोजगार की व्यवस्था नहीं की। ठेकेदार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सघन वृक्षारोपण की व्यवस्था हो। हम तो यह कहना चाहते हैं कि जहाँ पर हरियाली अभियान में पौध रोपण होती है वहाँ पर 5 हजार पौध लगने चाहिए। अगर खैर के, आँवले के पौध लगा रहे हैं, आम के लगा रहे हैं तो 5 हजार लगायें। कितना अच्छा होता है कि उत्तरांचल की वन भूमि में हम फलदार पेड़ लगायेंगे। मैं कहता हूँ कि आम के पेड़ लगा सकते हैं, जामुन आदि के पेड़ लगा सकते हैं। इसके साथ–साथ उत्तरांचल की जनता पशुपालन करती है। कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय है और पशुपालन दूसरा व्यवसाय है। जब मैं वन मंत्री था तो मैंने कहा था कि गिन्नी ग्रास को उगाइये, और इसे 02 कुन्तल मंगाकर हमने गाँव–गाँव में उगाने के लिए कहा था, इससे डेयरी में काफी विकास होगा।

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जितने भी राष्ट्रीय पार्क और पशु विहार हैं, उनके आस–पास रहने वाले कृषकों का जीवन दूभर हो गया। ऐसे ग्रामवासियों को या तो दूसरे स्थानों पर पुनर्वासित कर दें या फिर उनको सुख–सुविधाएं दे दी जाएं। माननीय मंत्री जी ने वन अपराधों को खत्म करने के लिए जो 5 हजार का दण्ड था उसे 20 हजार कर दिया, और जो 2 माह का कारावास था उसे 2 वर्ष कर दिया। मान्यवर, इससे आप वन अपराधों को कम नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जन सहभागिता के आधार पर हम वन अपराधों को कम करने का प्रयास करें। अभी आपने कहा कि मितव्ययता की वजह से वन सेना का गठन नहीं कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि ग्राम स्तर से लेकर, न्याय पंचायत स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर एक वन सेना का गठन कर दिया जाये। मान्यवर, वन गूजरों का मामला एक मानवीय विषय है, इनको देख कर बड़ी दया आती है। इनकी स्थाई व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये जंगल–जंगल में जाते हैं, तो बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। पर्यावरण के लिए आपने 60 लाख रुपये रखे हैं, मगर पर्यावरण को आप कैसे ठीक करेंगे, इसकी कोई कार्ययोजना नहीं है। अगर आप

किसी लकड़ी की टाल पर जाएं तो वहाँ सस्ती लकड़ी मिलती है और वन निगम के डिपो में मंहगी लकड़ी मिलती है। तो मान्यवर, आपकी लकड़ी कैसे बिकेगी ? उत्तरांचल वन विकास निगम का गठन हुआ, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि ये उद्योग लगायेंगे। मान्यवर, ये उद्योग धन्धे कहाँ से लगायेंगे। आप वन विकास निगम की लकड़ी के डिपो को देखें, लकडी वहाँ सड़ रही है, इसको बेचने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूँगा कि वन निगम के डिपो में जो लकड़ी सड़ रही है, उसकी बिक्री हो, उसकी नीलामी हो।

मान्यवर, जो वास्तव में सड़ने वाली है। मै खैर की लकड़ी की बात कर रहा हूँ जब मैं वन मंत्री था। तब बहुत बड़ी मात्रा में खैर की लकड़ी जो वन निगम डिपो में है, उनकी क्यों नहीं नीलामी की गयी, वह ऐसी लकडी है कि यदि उसकी समय पर नीलामी नहीं की गयी तो उसका दाम आधा हो जाएगा। मैं एक और बिन्दु बताना चाहता हूँ जिससे आपकी आय बढ़ सकती है मत्स्य पालन, मान्यवर, ये जो हमारी नदियाँ हैं उसमें से मछलियाँ चोरी से लोग पकड़ लेते हैं। नदियों में मछलियों के ठेके दे दिए जाएं इससे रोजगार भी मिलेगा और आय भी बढ़ेगी। मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जो लीसा है वह लीसा डिपो में खराब हो रहा है उसकी तत्काल नीलामी कर दीजिए ताकि आपको राजस्व भी मिलेगा और सरकार को विकास कार्यों के लिए पैसा मिलेगा। मान्यवर, दूसरा जो जंगली पशु हैं ये गाँव की बस्तियों में आ जाते हैं किसी की बहन को किसी के बच्चे को उठा ले जाते हैं इसलिए आपने क्या उपाय किये हैं। ये जंगली पशु उस समय बस्तियों में आते हैं जब इन्हें भोजन नहीं मिलता है इसलिए ऐसे फलदार पौधों का रोपण कराना चाहिए जिससे कि ये वहीं रहें बस्तियों में न आएं। आज हम जलाने के लिए चीड़ के पेड़ों को काटते हैं बहुत कीमती लकड़ी है यह इसलिए ऐसे पौधों को लगाना चाहिए जो कम कीमती हों और जलाने के लिए काम आएं। माननीय मंत्री जी स्मार्ट हैं लेकिन इस बजट में उनकी स्मार्टनेस नहीं दिखी।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दो–तीन बिन्दुओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मान्यवर, बहुत सारा पैसा ऐसा भी है जिस पैसे का आपको पता नहीं कि कहाँ पड़ा है। इण्डस्ट्रियल वाटर टैक्स जो देते हैं वह उत्तर प्रदेश को जा रहा है इसको किस हेड में डाला जाए उत्तरांचल में अभी तक इस बारे में कोई कार्य नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी यह बहुत अहम मसला है हम दुःखी हैं, हम इनको उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं।

मान्यवर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विषय में कहना चाहूँगा। मान्यवर, यह बड़ा आवश्यक मुद्दा है और इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर, हमें सही जीवन जीना है तो हमें इस मुद्दे को उठाना होगा। मान्यवर, उद्योग में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो मानक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गये हैं क्या वह मानक प्रैक्टिकल है। मान्यवर, हमें वह मानक निर्धारित करने चाहिए जो आ सकते हैं और हमारा उद्योग उन मानकों को ला कर के अपने आप को कम से कम ईमानदार तो साबित करें, जब वह मानक ही नहीं आ सकते तो उन मानकों को निर्धारित करने का कोई लक्ष्य दिखाई नहीं देता।

मान्यवर, वर्ष 1991–92 में जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था तो हमारे जितने वन थे उनमें सरकार द्वारा पुराने वृक्षों को उखाड़कर नया वृक्षारोपण किया जाता था और किसानों को लीज के ऊपर जमीन दी जाती थी और इसकी आय लगभग 100 करोड़ थी जो लीज सरकार को जाती थी। मान्यवर, वहाँ से पूरे हिन्दुस्तान को अनाज का भण्डार मिलता था और किसानों के बच्चों को काम मिलता था।

मान्यवर, हमारे पास जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वह जंगलात। जंगल के अन्दर हर एक चीज की एक आयु है किसी पेड़ की आयु 100, 70, 10 वर्ष हो सकती है, जंगल में कई पेड़ ऐसे होंगे जो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं तथा जीर्णशीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। मान्यवर, इन पेड़ों की जानकारी होनी चाहिए, पेड़ विशेषज्ञ होने चाहिएं, जिससे इन पेड़ों की जगह दूसरे अन्य पेड़ों को लगाया जा सके। मान्यवर, ऐसे पेड़ों को हमें चिन्हित करना होगा, यदि हम ऐसा करने में सफल होंगे तो इससे हमें कई फायदे होंगे। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं माननीय कण्डारी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और कुछ बिन्दुओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। उत्तरांचल में विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में वन विभाग की सम्पत्ति लावारिस पड़ी हुई है, जो करोड़ों रुपये की है। वन विभाग के कई बंगले आज ऐसी अवस्था में पड़े हुए हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि वन विभाग के जो स्टाल के वृक्ष पहाड़ों में हैं जिनके माध्यम से लकड़ी शवदाह के लिए दी जाती है, उनकी व्यवस्था के साथ–साथ जो उनको लकड़ी दी जाती है या तो राशन कार्ड के माध्यम से दी जाती है कई अव्यवस्था उसमें पैदा होती। मान्यवर, इसके सरलीकरण की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि उद्योग विभाग के द्वारा 7–8 हार्स पावर की कटर मशीनें बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु दी जाती थीं जिन्हें वन विभाग ने सील कर दिया है। मान्यवर, अब इन्हें पुनः कटर मशीनों को बेरोजगारों हेतु खोलने की व्यवस्था की जायें।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, पेड़ कटान हेतु परमिट कौन देगा निजी पेड़ों में जैसे पापुलर पर तो पाबंदी न हो। मान्यवर, दूसरी बात है वन्य जन्तु खेती को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं जैसे वन रोज आदि इनको मारने के लिए लाइसेंस दिया जाये इसको आप अपने स्तर से दिखवा लें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं कण्डारी जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देती हूँ। मान्यवर, मुझे यह कहना है कि गर्मी के मौसम में आग लग जाती है, जब तक विभाग के अधिकारी/कर्मचारी वहाँ पर आते हैं आग वहाँ पर ज्यादा फैल जाती है। मुझे अनुरोध करना है इनकी देख–रेख के लिए ग्रामीणों को इसका दायित्व सौंपा जाये जिससे कि वह आग शुरूआत

में ही बुझा दी जाय, इससे हानि होती है उसे रोका जा सकता है। जो वन विभाग के दूरस्थ जंगलों में सड़कें हैं उस पर वन विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे हमारे दूर–दराज का जो वन क्षेत्र है उसमें उनकी देखभाल में कमी आ रही है, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा जो विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया वह विभाग को आगे ले जाने के लिए निराशाजनक है। मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ, आपने जो इस विभाग को बनाने में लगाया है।

विभागीय अवहेलना के कारण वहाँ के कर्मचारियों को वहाँ जाना पड़ा और आज स्थिति यह हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नहीं माना जा रहा है। 10 साल से अधिक जिन कर्मचारियों को वहाँ पर कार्य करते हो गये हैं उन्हें नियमित किया जाए। मान्यवर, जिन लोगों की बदौलत यह विभाग चला और इतना आगे बढ़ा है उन पर ध्यान देना चाहिए। माननीय मंत्री जी जब इसका जवाब दें तो इसके प्रति अवश्य ही संवेदनशील रहें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आपने बजट भाषण में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ तथा अपने को कटौती प्रस्ताव से सम्बद्ध करता हूँ। माननीय मंत्री जी ने वन गुजरों की बात की है उनके पुनर्स्थापन के लिए बात की है लेकिन बहुत समय पहले लगभग 30–40 वर्ष पहले राजा जी नेशनल पार्क के आस–पास जो टोंगिया काश्तकार बसाये गये थे उनके पुनर्स्थापन के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। वे अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उनके लिए भी चिन्ता की जाए। गाँव का गरीब आदमी जो जलाऊ लकड़ी जंगलों से प्राप्त करता था अब वह नहीं प्राप्त कर पा रहा है जिससे वह बहुत परेशान है उसके पास इतना धन नहीं है कि वह गैस खरीद सके इसलिए उन गरीबों की भी चिन्ता होनी चाहिए। वन निगम में छंटनीशुदा कर्मचारी हैं उनकी चिन्ता नहीं की गई है, उन लोगों के बारे में जिन्होंने वर्षों तक इस विभाग की सेवा की है उनके बारे में इस बजट में कुछ न कुछ होना चाहिए था। पर्यावरण के बारे में भी कुछ कहना है पर्यावरण आज एक बड़ा ही ज्वलंत विषय है समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी है। वास्तव में इसके प्रति गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरण के बारे में उसके सुधार के बारे में बजट में कोई बात नहीं कही गई। हमारी माँ गंगा जो हमारी जीवन धारा है वह काफी प्रदूषित हो गई है उसे प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कोई बात बजट में नहीं की गई। पॉलिथिन से मुक्ति की बात भी इस बजट में नहीं की गई है। पॉलिथिन से मुक्ति की बहुत आवश्यकता है क्योंकि इससे हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। नदियों में जो जीव–जन्तु हैं उनको भी इससे नुकसान हो रहा है। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जो नदियों में जीव–जन्तु हैं आज उनका शिकार बिजली के तार नदियों में डालकर डायनामाइट, ब्लीचिंग पाउडर से किया जा रहा है जिससे उसके अण्डे तक नदियों में ही नष्ट हो जाते हैं।

मान्यवर, हमारे जो शहरी क्षेत्र में नाले हैं, जैसे देहरादून जनपद में रिस्पना है, आगे चल कर यह सुसवा नदी बन जाती है, जो गंगा जी में मिल जाती है। देहरादून के सीवेज का पानी रिस्पना से होकर गंगा जी में मिल जाता है। इस प्रकार पर्यावरण को हानि हो रही है। इसकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गयी है। मान्यवर, अनेक स्वयं सेवी संस्थाएं वृक्षारोपण करती हैं, उनको निःशुल्क वृक्ष उपलब्ध कराये जायेंगे, इसकी स्पष्ट व्यवस्था इस बजट में होनी चाहिए थी। अनेक जगहों पर यह देखने को मिलता है कि वन क्षेत्र में जो सड़कें हैं, वह टूट जाती हैं। जब उनका पुनर्निर्माण करने की बात आती है तो वन विभाग वाले कहते हैं कि इसकी अनुमति नहीं है, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए जिससे जनता को परेशानी न हो। अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना तो आपने कर दी लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रदूषण नियंत्रण किस प्रकार होगा, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए बजट का विरोध करता हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूँगा। मान्यवर, पिछली बार जो आय–व्ययक वन विभाग का रखा गया था, उसमें शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए मद था, लेकिन इस बार उसको शून्य कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है पिछली बार वन अग्नि शमन नियंत्रण परियोजना के तहत जो धनराशि रखी गयी थी, उसको घटाकर 1000 रुपया कर दिया गया है। आज वनाग्नि से हमारे वन समाप्त होते जा रहे हैं। मान्यवर, इको टास्क फोर्स द्वारा धारचूला में जो योजना चलायी जा रही थी, पिछली बार इसके लिए जितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी थी, इस बार उसको घटाकर एक हजार रुपया कर दिया गया है, जो नहीं के बराबर है। वन क्षेत्र से गुजरने के लिए जो मार्ग हैं, उनके अनुरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए थी। डाक बंगले, जो अंग्रेजों के जमाने के हैं, उनके अनुरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस बजट का विरोध करता हूँ।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वन विभाग के बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मान्यवर, हमारे यहाँ मझौला–मोरनाला मार्ग है, यह वन अधिनियम से प्रभावित है और रामनगर–पौड़ी का मामला बहुत दिनों से लम्बित है, यह भी वन अधिनियम से प्रभावित है।

मान्यवर, ऐसी ही स्थिति फार्म चगलाई मार्ग का भी है जो ऊधमसिंह नगर में है, यह भी वन अधिनियम से प्रभावित है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय पाल जी को विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो सड़कों का जिक्र किया है, इसके लिए हम स्वयं भी चिन्तित हैं। पंत जी आपने इको टास्क फोर्स का प्रस्ताव किया, यह प्रस्ताव केन्द्र को जा चुका है। रावत जी गंगा एक्शन प्लान राजीव गाँधी जी के समय में प्रारम्भ हुआ था, हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस पर तरक्की कर सकें। छँटनीशुदा कर्मचारियों के बारे में मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि इन्हें क्यों हटा दिया गया, मैं इस पर भी तत्परता से विचार कर रहा हूँ। और विजय बड़थ्वाल जी ने जो आग नियंत्रण पर कहा इसमें ग्रामीण सहभागिता के साथ–साथ एक सैटेलाइट सरविलेन्स यूनिट की भी बात चल रही है और शायद जुलाई में हम आपको इससे अवगत करा सकें। काजी निजामुद्दीन जी उद्यान में आपकी बात बिल्कुल सही है और उनके अधीन अनुमति प्राप्त की जा सकती है। आदरणीय चीमा जी ने अच्छे सुझाव दिए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन होने के बाद यह वाटर सेश का जमा उत्तरांचल में ही होगा। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में मैंने जब शुरू में बोला था, तो मैंने कहा था कि इसे हम एडवाइजरी रोल दें। माननीय कण्डारी जी से हमें एक शिकायत अवश्य है। मान्यवर, आपने मत्स्य पालन के ठेकों का जिक्र किया और आप महाशीत ब्रिडिंग सेन्टर की बात भूल गए। मान्यवर, अगर केवल धन कमाने का मकसद होता तो बहुत से जानवरों की खालों से धन कमाया जा सकता था और विश्व में इस समय जीव रक्षा हेतु जागृति अभियान चल रहा है मछली भी उसी में आती है। यह जरूर है कि अवैध शिकार जो है वह बहुत बड़ी समस्या है। हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं और यह मछली जिन्दा होते हुए कहीं बड़ा हमारी आय का स्रोत बन सकती है। किन्तु उस मछली को मारने से 2 रुपये से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं।

मान्यवर, एक प्रकरण जो आपने उठाया है, उसमें विशेष रूप से आपका और आपके दल का सहयोग चाहूँगा। राजीव गाँधी जी के समय में इस पर कार्य प्रारम्भ हुआ था रसोई गैस पर सब्सिडी देकर पर्वतीय क्षेत्रों में दिया था और उसकी वेटिंग लिस्ट को भी समाप्त कर दिया गया था। पिछले 5–7 सालों में रसोई गैस की कीमत तिगुनी तक बढ़ गई है। इसमें हमें और आपको मिलकर काम करना होगा कि केन्द्र सरकार इस सब्सिडी को दोबारा हमें दे, जिससे लकड़ी के कटान में कमी हो सके। वन गूजरों की चिंता से मैं सहमत हूँ। मैं यह मानता हूँ कि किसी व्यक्ति को जंगल का निवासी बनाकर हम उसका कोई बहुत भला नहीं कर सकते हैं। खैर की लकड़ी की नीलामी हो चुकी है। लीसा के विषय में भी हम इसी तरह से कार्य कर रहे हैं। ड्यूल टैक्सेशन की वजह से यह समस्या खड़ी हुई थी। मान्यवर, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं। यही स्थिति अरबों की सम्पत्ति की भी है जो सड़ रही है। आपके सुझाव बहुत ही अच्छे और मार्गदर्शक थे। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कृपया अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27, वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1585188 हजार (एक सौ अट्ठावन करोड़ इक्यावन लाख अट्ठासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण व्यवधान)

अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम प्रसाद टम्टा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 1485888 हजार (एक सौ अड़तालीस करोड़ अट्ठावन लाख अट्ठासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग देश की आजादी के समय राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने यह वायदा किया था और उनकी निगाह थी कि देश के सबसे कमजोर व्यक्ति के हितों की रक्षा की जाए। डा0 भीमराव अम्बेदकर भी ने जो उस समय कानून मंत्री थे उस समय उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को अधिकार दिलाया और हरिजन समाज कल्याण की स्थापना हुई। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए नये कार्यक्रम बनाये गये हैं इसलिए समाज कल्याण विभाग के लिए जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसे पारित किया जाए।

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य दिखायी गयी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग के मंत्री इतने कमजोर हैं कि वो बोल ही नही पा रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 में परीक्षा से पूर्व कोचिंग सेन्टर की जो व्यवस्था की गयी है वह बहुत कम है इसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनको लाभ मिल सके। इसी प्रकार इंजीनियरिंग में भी जो कोचिंग सेन्टर खोले गये हैं वह बहुत कम हैं एक रुड़की में है। हरिद्वार और रुड़की के अभ्यार्थियों को तो इससे लाभ हो सकता है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोगों को इससे लाभ नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि पर्वतीय क्षेत्र में तथा गाँवों में इस प्रकार के सेन्टर खोले जाएं ताकि उनको लाभ हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

मान्यवर, कुछ आश्रम पद्धति विद्यालय खोले गये हैं जो कि प्राइमरी स्तर पर हैं। मान्यवर, उसमें 4 प्राइमरी स्तर पर हैं और एक जूनियर हाई स्कूल स्तर का है। मान्यवर, श्रम पद्धति विद्यालय, ग्रेजुऐशन, पोस्ट ग्रेजुऐशन खोले जाते तो अच्छा होता क्योंकि यह साक्षरता देना ही है। मान्यवर, 13 जिलों में बहुत कम है इसको बढ़ाया जाना चाहिए। मान्यवर, समाज कल्याण जिसकी हम कल्पना करते हैं उसमें अधिक मदों को रखना चाहिए, इसको और सशक्त बनाना चाहिए। मान्यवर, मैं आशा करती हूँ कि इसमें बजट बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1485888 हजार (एक सौ अड़तालीस करोड़ अट्ठावन लाख अट्ठासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यहाँ पर पानी गिर रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस सम्बन्ध में पहले भी निर्देशित किया है।

अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग

अनुदान संख्या–28, पशुपालन विभाग

*सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 116513 हजार (ग्यारह करोड़ पैंसठ लाख तेरह हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28, पशुपालन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 307803 हजार (तीस करोड़ अठहत्तर लाख तीन हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, सहकारिता एक ऐसा आंदोलन है जिसके माध्यम से पूरे उत्तराखण्ड को हम एक ऐसे ट्रेक पे ले जाना चाहते हैं, जिससे हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य चिंतित हैं सरकार रोजगार के मामलों में कुछ नहीं कर रही है। बेरोजगार युवक सड़कों पर घूम रहे हैं। मैं अपने विभाग की ओर से प्रतिपक्ष को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उनकी तरफ से दो लाख बेरोजगारों को स्वरोजगार देने का वायदा है, ये मैं अपने विभाग के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। मान्यवर, सहकारिता एक आंदोलन है जिस आंदोलन के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम सीधे गाँव स्तर तक जा सकते हैं। मान्यवर, हमारे प्रतिपक्ष की जो पलायन से सम्बन्धित आपत्ति है उसको रोकने का सहकारिता एक उपयुक्त माध्यम है। मैंने महसूस किया यदि इस आंदोलन को पहले तेज किया जाता तो जो लोग बम्बई, दिल्ली, मद्रास यहाँ तक कि विदेशों में पलायन कर चुके हैं, उनको इसके माध्यम से रोका जा सकता था। कृषकों को फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता समितियों का पूरा सहयोग रहा। मान्यवर, सहकारिता के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2001–2002 में रु0 128.37 करोड़ तथा 6.15 करोड़ रु0 दिया तथा रु0 12.06 करोड़ दीर्घ कालीन कृषि उत्पादन में वित्तीय वर्ष 2001–2002 में 7412 मीट्रिक टन यूरिया, 10110 मी0टन डी0ए0पी0।

मान्यवर, 113 मीट्रिक रसायनिक उर्वरक वितरित किया गया। सहकारी विभाग द्वारा जड़ी बूटियों का कृषिकरण कराया जा रहा है। जड़ी बूटियों की हमारे यहाँ अपार सम्भावनायें हैं, जो हमारे सुदूर गाँव के काश्तकार हैं चाहे मैदानी क्षेत्र के काश्तकार हों, इसके लिए हमारी सरकार एक योजना बनाने जा रही है, जो ड्रग फैक्ट्री रानीखेत में संचालित है। परिसम्पत्तियों का बँटवारा अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, इसमें आप हमारा सहयोग करें। हम को–ऑपरेटिव एक्ट बनाने जा रहे हैं इसके माध्यम से सहकारिता को सरकारिता में नहीं रखेंगे। वह वहाँ पर फैला हुआ है। वह एक ऐसा एक्ट बनेगा जो हिन्दुस्तान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। दूसरा बिन्दु आता है पशुपालन, यह विभाग ऐसा विभाग है जितनी कि हमारे यहाँ प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। इस संदर्भ में एक विशेष प्रोजेक्ट बना दिया है, इसके माध्यम से अच्छे से अच्छे माध्यम के पशु हैं। हमारे उत्तराखण्ड में पशुपालन विभाग में केवल पशु ही पशु आते हैं। इसमें और जो पशु हैं, जैसे मैंने डॉग इन्डस्ट्री की बात कही।

डॉग इस्टीट्यूट की बात मैं कह रहा हूँ। डॉग इस्टीट्यूट आय का एक अच्छा स्रोत है। मान्यवर, यह जो पशुपालन विभाग है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। क्योंकि जब शरीर मजबूत होगा तभी आपका दिमाग भी मजबूत होगा। मान्यवर, हम लोग थोड़ा मनोरंजन कर रहे हैं क्योंकि लोग सुनते–सुनते बोर हो चुके हैं फिर मेरा विभाग ही ऐसा है इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। पशुपालन के माध्यम से इस राज्य की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ हो सकती है। हम अच्छी नस्ल के पशुओं की प्रजातियों को ला करके दुग्ध उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। हम अच्छी नस्लों में घोड़े तैयार

करें जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हों। दूसरी बात मैं बेरोजगारों के बारे में कहना चाहता हूँ, मैंने बेरोजगारों की लड़ाई हमेशा लड़ी आज भी लड़ रहा हूँ। पशुपालन विभाग में जितने पद रिक्त पड़े हैं उनको भरने के लिए हमने वैकैन्सी निकाली है 60 पशु चिकित्साधिकारियों के पदों को भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के पास प्रस्ताव भेजा है शेष पद संविदा के आधार पर भरे जायेंगे उसके लिए भी प्रयास शुरू कर दिये गये हैं। हम उनकी नियुक्ति करने जा रहे हैं। दुग्ध के क्षेत्र में हमारी जो समितियाँ हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है मेरे पास दुग्ध उत्पादन समितियों के सारे रिकार्ड हैं तीन महीने में जो प्रगति हुई है वह आप रिकार्ड के माध्यम से जान सकते हैं।

मान्यवर, चूँकि समय की पाबन्दी है इसलिए मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि हम आपके बड़े आभारी रहेंगे, यदि आप इस पर कटौती प्रस्ताव न लाएं। धन्यवाद।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, 18 मार्च को महामहिम के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने वादा किया था कि दो माह के अन्दर सहकारिता के सिद्धान्त के आधार पर कृषि, डेयरी, कुक्कुट तथा पशुपालन, मौनपालन जैसी आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जायेगा। लेकिन मान्यवर, नयी मदों में एक भी मद इस अनुदान से सम्बन्धित नहीं है। जो पुरानी मदें थी, उन्हें ही रख दिया है। माननीय मंत्री जी ने पहले कहा कि 2 लाख रोजगार देंगे, शायद वह चुनावी घोषणा थी, अब दो लाख स्वरोजगार देने की बात कर रहे हैं लेकिन इस बजट के अन्दर ऐसी कोई योजना नहीं है कि ऐसा कैसे करेंगे। भारतवर्ष के हिसाब से सहकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, इस महत्वपूर्ण विभाग पर निश्चित रूप से सरकार को गम्भीर होना चाहिए था। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वह अपने बजट को वापस ले जाए और फिर से इसको सदन के सम्मुख रखें। इसी के साथ अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या– 28, पशुपालन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्तरांचल राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन हो सकता है।

मान्यवर, वास्तव में यह हमारा आधार रहा भी है, लेकिन मंत्री जी के भाषण में कोई ठोस बात, कोई ठोस योजना का प्रावधान नहीं किया गया है जिससे कि यह लगे कि वास्तव में जो हमारा परम्परागत आधार रहा है, हमने जिसे खो दिया है, उसे हम पुनः

स्थापित कर सकते हैं। इसमें जिस तरह से बजट रखा गया है, पशुओं की सुरक्षा के लिए उनकी औषाधियों के लिए मंत्री जी के भाषण में है कि कुल 48 लाख पशु उत्तरांचल में हैं और 8 लाख कुक्कुट हैं और कुल मिलाकर 1.05 करोड़ रुपये पशु-पक्षियों और उनकी औषाधियों और रोकथाम के लिए रखा गया है, अगर इसको देखा जाए तो 3 रुपये से भी कम प्रति पशु के लिए बजट का प्रावधान है। उत्तरांचल में बहुत छोटे-छोटे गाँव हैं और यहाँ पर चिकित्सालय भी नहीं हैं, आदमियों के लिए नहीं है तो पशु की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं समझता हूँ कि जो यह 3 रुपये से कम का बजट रखा गया है इसको भी अगर मंत्री जी वापस ले लें, खत्म कर दें तो आदमी यह सोचेगा कि चलो हम स्वयं ही इसकी चिन्ता कर लेंगे जैसे कि पहले करते थे। माननीय अध्यक्ष जी महिला डेयरी की बात की गयी है और दूध का लक्ष्य बढ़ाने की बात की गयी है, लेकिन सामान्यतः यह देखा गया है कि आँकड़ों का खेल ज्यादा होता है। पशु हमारे कृषक पाल रहे हैं और इन्हीं से इकट्ठा करके यह मान लिया जाता है कि दूध हमने बढ़ा लिया है, जब कि वास्तव में बढ़ता नहीं है और एक चैनल में आ जाता है, हमारी जो सहकारी समितियाँ हैं, उनके माध्यम से दूध आने लगता है तो हम मान लेते हैं कि दूध बढ़ गया है, परन्तु इसके लिए ठोस व्यवस्था नहीं है। अच्छी नस्ल के पशु लाने के लिए एक टाइम बाउन्डेड कार्यक्रम करना चाहिए। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ महिला डेयरी के बारे में। एक महिला अपना दूध सहकारी समिति में देती थी और जब वह महिला पैसा लेने गयी तो वह उस पैसे को चूम रही थी बार-बार और रो भी रही थी, खुशी के आँसू थे। जब उससे पूछा गया कि पैसा तुम्हारे हाथ में है तो तुम रो क्यों रही हो, इस पर उसने कहा कि आज हमने यह पैसा अपनी मेहनत से कमाया है। यह महिला डेयरी योजना वास्तव में उत्तरांचल के लिए भविष्यक आधार बन सकती है, बशर्ते कि इसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम बने और जो इसमें भ्रष्टाचार होता है उस पर नियंत्रण की व्यवस्था हो। अगर यह सब हमने किया तो यह योजना कारगर हो सकती है। और माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध कर रहा हूँ।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट-

मान्यवर, मुझे केवल 2-3 बातें ही कहनी थी और चूँकि यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। एक तो मैं चाहूँगा कि आवारा पशुओं की देख-रेख की व्यवस्था सरकार स्तर पर ठीक होनी चाहिए। दूसरी बात, गौ-सेवा संवर्धन के क्षेत्र में हमें स्वयं सेवी संस्थाओं को लाना चाहिए। ऋषिकेश में एक गौ-सेवा समिति बनी है। मान्यवर, उत्तरांचल में गौ-हत्या पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। मान्यवर, वैसे तो जो व्यक्ति पशु पालता है, वह उसके इलाज आदि का प्रबन्ध भी करता है लेकिन जिन पशुओं की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन पशुओं के लिए अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए दवा आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि ऋषिकेश में जो गौ-सेवा समिति है, उसे शासकीय सहायता मिलनी चाहिए।

श्री हरभजन सिंह चीमा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपके विभाग में पशु और पक्षी आते हैं। केवल हमारे प्रदेश से ही नहीं, बल्कि पूरे देश से एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण

को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसे गिद्ध कहा जाता है, वह पूरे देश से बाहर चले गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि पंजाब में प्रत्येक गाँव में कुछ बीघा जमीन इसलिए छोड़ दी जाती है कि मरे हुए पशुओं को वहाँ डाला जा सके और गिद्ध उनको साफ कर जाते थे। उत्तरांचल में जगह न होने की वजह से लोग मरे हुए पशुओं को सड़क पर ही छोड़ जाते हैं, गिद्ध अब हैं नहीं, इसलिए बरसात के दिनों में हर एक किलोमीटर पर नाक में रूमाल रखना पड़ता है। यह बड़ा अहम विषय है। आप जानवरों के जीते जी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उनके मरने के बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। इस ओर भी माननीय मंत्री जी ध्यान दें।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी ने जो को–ऑपरेटिव की बात कही है, ऐसी कोई बात तो मेरी जानकारी में नहीं आई है। माननीय महेन्द्र भट्ट जी ने गौ–हत्या की बात कही है। मान्यवर, जो गौ–सेवा समिति ऋषिकेश में है, चैरिटेबिल के रूप में उसको जमीन दी गई है। मान्यवर, यह लीज की जमीन है। वह जमीन हम ऐसे नहीं दे सकते हैं। पशुलोक में हमारा अस्पताल है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। जो समिति है वहाँ लोग पशु ला सकते हैं।

मान्यवर, पशु ला सकते हैं परन्तु जमीन का मामला आ रहा है वैसे ही टिहरी डैम के विस्थापितों के लिए एक–एक इंच जमीन हम ढूंढ रहे हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय, सदस्य का कहना था कि गौ–सेवा के संवर्धन के लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं उसके बारे में बता दीजिए आप तो पशु लोक की बातें करने लगे।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। गौ–सेवा तथा गौ–वध के बारे में माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है इस सम्बन्ध में हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। सरकार के पास आंकड़े हैं। श्री रावत जी ने महिला डेरी और उसके नियंत्रण के बारे में कहा है उनके सुझाव को भी हम समाहित करेंगे। श्री चीमा जी ने गिद्ध पक्षी के बारे में अपनी बात कही है इसको भी हम विचार में रखेंगे। मरे हुए पशुओं को फेंकने के लिए श्री चीमा जी ने जो सुझाव दिया है वह प्रशंसनीय है। अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा, कि संक्षिप्त में मैंने अपने विचार रखे और साथ ही गुजारिश करूँगा कि जो उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसे वह वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 116513 हजार (ग्यारह करोड़ पैंसठ लाख तेरह हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28, पशुपालन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28, पशुपालन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 307803 हजार (तीस करोड़ अट्ठत्तर लाख तीन हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग

*उद्यान खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु० 860352 हजार (छियासी करोड़ तीन लाख बावन हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण विभाग का बजट प्रस्तुत हो रहा है, यह विभाग हमारे इस नये प्रदेश की उन्नति तथा बेरोजगारी दूर करने का एक महत्वपूर्ण विभाग है। वैसे विभाग द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का सारा विवरण सम्बन्धित माननीय सदस्यों को वितरित किया जा चुका है। अगर कोई माननीय सदस्यों का उस पर कोई सुझाव हो तो उसके अनुसार उनको इस बजट में लाने की कोशिश की जायेगी।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें लिट्रेचर बंटवाया है पर लिट्रेचर नहीं आया है।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के द्वारा एक योजना है जिसके तहत बेरोजगार नवयुवक–नवयुवतियों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। हमारा लक्ष्य है कि 6 हजार बेरोजगारों को इस योजना के तहत रोजगार मुहैया कराया जाये। मान्यवर, जो उद्यमी अपना कच्चा माल लाते हैं और पक्का माल बनाकर ले जाते हैं उनको 75 प्रतिशत का अनुदान सरकार के माध्यम से दिया जाता है और इस मद में 5 लाख रुपया प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, दीनदयाद हथकरधा प्रोत्साहन योजना के अधीन बुनकर समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अन्तर्गत अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक बुनकरों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। भारत सरकार की तरफ से 25 प्रतिशत का अनुदान मिलता है, राज्य सरकार से इस मद में 30 लाख रुपये का प्राविधान इस बजट में किया गया है, जिससे 6 सौ बुनकरों को लाभान्वित किया जायेगा।

मान्यवर, ग्रामीण उद्योग इकाई जो बैंक ऋण लेती है उनको 4 प्रतिशत से अधिक अगर ब्याज देना पड़ता है तो उसको ब्याज योजना के तहत देने का प्रस्ताव है। जिससे 14.69 लाख रुपया इस वित्तीय वर्ष में प्राविधान किया गया है। मान्यवर, भेड़ पालकों के माध्यम से जो उद्यमी काम करते हैं, उनको व्यवस्थित करने की दृष्टि से एक वूल बैंक की व्यवस्था करनी है।

मान्यवर, ऊन बैंक के लिए इस वित्तीय वर्ष में पाँच लाख रुपये प्रस्तावित किये गये हैं, जो उद्योग हमारे यहाँ अपना उत्पादन करते हैं। मान्यवर, जो हमारे परम्परागत मेले हैं, उनमे प्रदर्शनी लगायी जाती है इस वित्तीय वर्ष में कुल 78 लाख रु0 हैं, जिससे 13 प्रदर्शनी आयोजित की जायेंगी। इस वित्तीय वर्ष में 14.19 लाख रु0 रखा गया है, जिससे 2600 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। हमारे जो बुनकर हैं उनकी एक सामूहिक बीमा योजना कार्यक्रम चलाया जाता है यह कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से चलता है, इसमें 50 प्रतिशत अनुदान बीमा योजना में प्रीमियम दिया जाता है उसमें रु0 भारत सरकार के मद से दिया जाता है तथा 20 रु0 बुनकर से लिया जाता है इस मद में 30 हजार रु0 हैं, जिससे 500 बुनकर इस योजना से लाभान्वित होंगे। हैल्थ पैकेज योजना के तहत है और इस वित्तीय वर्ष में 4 लाख रु0 प्रस्तावित किया है। मान्यवर, इस योजना के तहत हमारे जो बहुत गरीब, असहाय बुनकर होते हैं, उनकी बीमारी का इलाज, जिसमें चश्मा खरीदने का तथा मातृत्व योजना लाभ देने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रदेश में एक औद्योगिक विकास की स्थापना प्रस्तावित है, इस योजना के तहत इस योजना में 21 करोड़ रु0 इस वर्ष के लिए प्रस्तावित किया है। गुणवत्ता सुधार के लिए इस वित्तीय वर्ष में 15 लाख का बजट प्रस्तावित किया है। नियम और सब्सिडी के तहत एक लाख रु0 इस वित्तीय वर्ष मे प्रस्तावित है जिससे 10 इकाइयाँ लाभान्वित होंगी, जो इकाइयाँ निर्यात करना चाहती हैं प्रत्येक को एक हजार रु0 प्रदूषण नियंत्रण के साधनों का उपयोग करने के लिए बजट में व्यवस्था की गयी है। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान प्रस्तावित है। (व्यवधान) मान्यवर, मार्केट इलैक्ट्रॉनिक का प्रस्ताव किया है।

मान्यवर, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने अच्छी बात कही। इसमें निश्चित रूप से हमारा कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग से सम्बन्धित इकाइयाँ हैं उसमें बहुत कम पैसे में अधिक रोजगार देने का प्रस्ताव है। हमारा एक राजकीय मुद्रणालय, है, रुड़की में। उसके लिए एक करोड़ 16 लाख की व्यवस्था की है और 50 लाख की व्यवस्था एक की गई है। मैं माननीय सभी सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बेरोजगार को दूर करने की दृष्टि से यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकृत करने का कष्ट करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, उद्योग एक ऐसा विभाग है जो हमारे प्रदेश के अन्दर रीढ़ की हड्डी कही जाय तो शायद मैं इसमें कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ। अगर हमने इस प्रदेश को विकास के पथ पर बढ़ाना होगा तो हमें उद्योग विकास की तरफ विशेष ध्यान देना होगा, जहाँ उद्योग को हमने रीढ़ की हड्डी कहा है वहीं रोजगार देने का मुख्य श्रोत उद्योग ही है। हमारे उद्योग मंत्री जी ने अभी जो अपना भाषण रखा उसमें लाखों की बात कर रहे थे इतने बड़े महकमे में तो करोड़ों की बात होनी चाहिए। इसके प्रति हमें बड़ी निराशा हुई। मैं आपकी आज्ञा से यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश को उद्योग विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग अलग किस्म के लगाये जा सकते हैं जो कुटीर उद्योग भी हो सकते और मैदानी क्षेत्रों में मध्यमवर्ग उद्योग लगाये जा सकते हैं। हमारे प्रदेश में सम्पूर्ण इकाइयाँ कृषि बेस पर आधारित हैं मुख्यतः गन्ना बीज विधायन, वनस्पति के मध्यम और वृहत उद्योग इस प्रदेश में स्थापित हैं।

मान्यवर, दोहरे कर की बात अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार की है। हम यहाँ से कोई भी चीज बेचते हैं तो उसके ऊपर भी दोहरा कर लगता है। यह बड़ी समस्या है आने वाली उद्योग नीति इसकी प्रतीक्षा कर रही है कि क्या जो वर्तमान में उद्योग स्थापित हैं उनको राहत मिलेगी। इस लिए मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आज उत्तरांचल में न तो उद्योगों का विस्तार हो रहा है और न ही नये उद्योग उत्तरांचल में स्थापित हो रहे हैं। मैं यह बात प्रमाण के तौर पर सरकारी आँकड़ों को देखकर कह रहा हूँ। औद्योगिक विकास बिल्कुल शून्य है। मान्यवर, उत्तरांचल में स्थापित 90 प्रतिशत उद्योग भविष्य में कच्चे माल की अनिश्चितता के कारण भँवर में फँसे हुए हैं। जब इस प्रदेश का गठन हुआ था उस समय माननीय मंत्री जी ने कमाण्ड एरिया की बात कही थी वह बात बिल्कुल सही थी। आज स्थिति यह है कि उद्योग हमारे पास हैं और कच्चे माल उत्तर प्रदेश के पास। जब हम उत्तर प्रदेश से कच्चा माल लेते हैं तब हमें टैक्स देना पड़ता है और जब पक्का माल ले जाते हैं तब भी टैक्स देना पड़ता है। मान्यवर, उत्तरांचल में गन्ने की 10 मिलें हैं। अगर उत्तरांचल में गन्ने के क्षेत्र को देखा जावे तो यह क्षेत्र दो मिलों के लिए भी पूरा नहीं है। सारा गन्ना कमाण्ड एरिया में आ रहा है तभी यह मिलें चल रही हैं जिस दिन उत्तर प्रदेश चाहे इन उद्योगों का गला घोंट सकता है, उद्योग बंद हो सकते हैं। हमारी सरकार ने आज ऐसा कोई अनुबन्ध उ0प्र0 सरकार से नहीं किया कि वह कच्चा माल हमें देता रहेगा जिससे यह उद्योग चलते रहें। चावल यहाँ पर बहुत बड़ा उद्योग है करीब 255 चावल मिलें यहाँ पर हैं। इसमें बहुत सारे उद्योगों ने रामपुर में जगहें ले ली हैं, वह उद्योग नीति का इंतजार कर रहे हैं।

मान्यवर, इन उद्योगों की चिमनी से निकलते हुए धुँए को मत देखिए, यह धुँआ किसी चीज का इन्तजार कर रहा है। अगर इन उद्योगों को राहत नहीं मिलेगी, तो यह उद्योग बन्द हो जायेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ। ऋषिकेश में आई0डी0पी0एल0 कारखाना आज बन्द पड़ा हुआ है।

"डॉ" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपको एक जानकारी दे दूँ, यह लघु उद्योग का बजट है। जब भारी उद्योग का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत करेंगे तो आप इस पर बोल लीजिएगा।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह सम्पूर्ण उद्योग का बजट है। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में आज करोड़ों रुपये की कताई मिलें कई वर्षों से बन्द पड़ी हैं और हजारों की संख्या में वहाँ के कारीगर वर्षों से भूखे मर रहे हैं। आज हमारा प्रदेश उनको चलाने की स्थिति में नहीं है। रानीखेत में सरस्वती वूलन मिल बन्द पड़ी है, बागेश्वर में मैग्नेसाइट का उद्योग बन्द पड़ा है, चण्डाक में मैग्नेसाइट का उद्योग बन्द पड़ा है, नैनीताल में एच0एम0टी0 उद्योग बन्द हो गया है, रुद्रपुर में हीरो हौण्डा कम्पनी यहाँ से जाने की तैयारी में है, सरकार उसको रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इसमें सफल हो सकेगी। इतने भारी उद्योग यहाँ पर लगे थे, जिनके आधार पर हम उद्योगों को रीढ़ की हड्डी बता रहे थे। इस बजट में कोई ऐसा प्राविधान नहीं रखा गया है कि इन उद्योगों को कैसे चालू किया जायेगा। या जो उद्योग बन्दी की कगार पर हैं, उनको कैसे बचाया जा सकेगा और न ही इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कोई नीति बनाई गयी है कि हम उनको बचाएंगे या पुनर्जीवित करेंगे। मान्यवर, उद्योगों को स्थापित करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का सही होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज हमारे प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। सड़कों की हालत दयनीय है, पहाड़ होने की वजह से रेल चल नहीं सकती, वायुयान की कोई सुविधा नहीं है इस कारण हम यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। दिल्ली तक माल पहुँचाने के लिए हमको दो राज्यों के बार्डर को पार करना पड़ता है। मान्यवर, हम पर्वतीय क्षेत्रों में केवल लघु उद्योग ही लगा सकते हैं, मेरी जानकारी में है कि प्रदेश में 43399 औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण किया गया है।

मान्यवर, इनमें से 17 हजार 674 औद्योगिक इकाइयाँ लगी हैं। मान्यवर, इन 17 हजार इकाइयों में 7 हजार 500 इकाइयाँ बन्द हैं और ये आँकड़े आज सरकार के हैं। और हम कैसे माने कि यहाँ पर सरकार का यह जो कहना है कि हम आने वाले उद्योगों को लालच देकर, सुविधाएँ देकर यहाँ का औद्योगीकरण कर लेंगे, बाहर का उद्योग ले आयेंगे। अगर इस वर्तमान उद्योग के चेहरे पर हँसी नहीं आयी तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर उत्तरांचल में कोई उद्योग आने वाला नहीं है, इसके लिए सरकार को ध्यान देना होगा, स्थापित उद्योगों को पुनर्जीवित करना होगा और उसे बन्दी के कगार से बचाना होगा। मान्यवर, यहाँ पर कुक्कुट उद्योग, मत्स्य उद्योग, दुग्ध उद्योग, मशरूम उद्योग, वनों पर आधारित लकड़ी के खिलौनों का उद्योग, खनन उद्योग, फ्रूड प्रोसेसिंग उद्योग जैसे लघु एवं मध्यम उद्योग यहाँ पर लगाये जाने की अपार सम्भावनाएँ हैं, लेकिन हमारी सरकार कहती है कि इस प्रदेश को बिजली प्रदेश बना देंगे। एक बिजली से ही काम चलने वाला नहीं है, बैलेन्स उद्योग लाना होगा और आज जो 2 लाख आदमी की योजना बता रहे हैं कि व्यवसाय देंगे। मान्यवर, 2 कताई मिलें हैं जो बन्द हैं और 2 कताई मिलों के 4 हजार आदमी के पास आज काम नहीं है वह सरकार का मुँह देख रहे हैं और मरे या जियें का उनके पास सवाल है। ये 2 लाख की बात करते

हैं, हम कहते है 2 नहीं 4 लाख को दीजिए, लेकिन जब तक हमारी सरकार इन स्थापित उद्योगों को नहीं देखेगी, बन्द पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित नहीं करेगी, तब तक इसका औद्योगिक विकास होने वाला नहीं है, इसके लिए मान्यवर, चूँकि इस बजट में कोई योजना नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ, धन्यवाद।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, अभी उद्योगों पर चर्चा हुई और क्योंकि यह मूलतः पर्वतीय प्रदेश है आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कुछ वर्ष पूर्व पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगीकरण का एक मॉडल विकसित हो, इसके लिए भीमताल क्षेत्र में एक औद्योगिक घाटी वहाँ के कृषकों की जमीन अधिग्रहीत की गयी और काफी समय तक उद्योग ठीक से चले, लेकिन आज वह शांत पडी है, वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ ठप्प पड़ी हैं। मैं उम्मीद करता था कि हमारी प्रथम निर्वाचित सरकार का उद्योग से सम्बन्धित जो बजट है और वह जमीन वहाँ के काश्तकारों से अधिगृहीत की गयी थी और वहाँ उद्योगों की पुनर्स्थापना की अपेक्षा थी मान्यवर, मंत्री जी इस बजट में कुछ कहेंगे, मैं यह उम्मीद करता हूँ।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य चीमा जी ने और जन्तवाल जी ने उद्योगों की पीड़ा को बताया। मेरा मानना है कि जो पीड़ा उन्होंने प्रदर्शित की, वह सही है। हमारे इस प्रदेश में जो पहला बजट प्रस्तुत हुआ था, मैं चीमा जी को बताना चाहता हूँ पिछले वर्ष 2001–2002 का जो बजट उद्योग विभाग के लिए स्वीकृत हुआ था उसमें मात्र 10.74 करोड़ रुपया प्रस्तावित था। इस वर्ष औद्योगिक विकास को आगे बढाने की दृष्टि से कोशिश की गई है कि आर्थिक कमियों के रहते हुए भी इसके महत्व को समझते हुए 88.84 करोड़ का बजट इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित किया गया है। औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नैनीताल में कुछ घोषणाएं की थी, जिसको अपने भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को अवगत कराया। जो घोषणाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने की हैं, और जब हमारे प्रदेश में औद्योगिक नीति बनेगी, तो मुझे लगता है कि कुछ शंकाएं जो माननीय चीमा जी ने उठाई हैं, उनका समाधान होगा। बन्द हुई कताई मिलों के सम्बन्ध में, बन्द हुए उद्योगों के सम्बन्ध में कि कैसे उनको पुनर्जीवित किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में भारत सरकार से विचार–विमर्श हो रहा है और भी वित्त के जो संस्थान है उनसे भी विचार–विमर्श चल रहा है कि कैसे उन्हें पुनर्जीवित किया जाये। मैं अनुरोध करता हूँ कि जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, कृपया उसे वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की

पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 860352 हजार (छियासी करोड़ तीन लाख बावन हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में पॉलिथीन के प्रयोग पर नियम बनाकर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में श्री मातबर सिंह कण्डारी द्वारा दी गई नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ "इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश में पॉलिथीन के प्रयोग में नियम बनाकर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाए।"

संसदीय कार्य मंत्री ["डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, मेरा आपसे और माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस पर चर्चा जारी रखी जाए।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं जिनमें से श्री चन्द्रशेखर जी की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है और श्री बलवीर सिंह जी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया जाता है शेष सभी सूचनाएँ अस्वीकृत की जाती हैं।

उत्तरांचल के सभी क्षतिग्रस्त नहरों, नलकूपों तथा सिंचाई लिफ्ट योजनाओं की मरम्मत कर धान की रोपाई हेतु सिंचाई सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में श्री मातबर सिंह कण्डारी द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह सजवाण)–

[माननीय विधायक जी का यह कथन सही है कि कृषकगण इस समय धान की रोपाई की तैयारी कर रहे हैं, तथा रोपाई के लिए सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी सर्व विदित है कि उत्तरांचल में हर साल बाढ़, अतिवृष्टि, बादल फटने, भू-स्खलन आदि से विभिन्न नहरों, नलकूपों, लिफ्ट योजनाओं व अन्य सिंचाई कार्यों का क्षतिग्रस्त होना एक दैवीय घटना है। उत्तरांचल शासन द्वारा इसी दृष्टि से क्षतिग्रस्त नहरों, नलकूपों लिफ्ट नहरों व अन्य समस्त सिंचाई कार्यों की देखरेख एवं क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उत्तरांचल में सिंचाई हेतु निर्मित अधिकांश सिंचाई नहरें, ट्यूबवैल एवं लिफ्ट सिंचाई योजनायें कार्य कर रही हैं एवं उनसे सिंचाई हो रही है। प्रदेश में सिंचाई विभाग

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

की 2,125 नहरें, 676 नलकूप व 85 लिफ्ट योजनायें हैं जिनमें से 392 नहरें, 61 नलकूप व 11 लिफ्ट योजनायें बन्द हैं। इस प्रकार 18.44 प्रतिशत नहरें 9.02 प्रतिशत नलकूप एवं 12.94 प्रतिशत लिफ्ट योजनायें विभिन्न कारणों से अकार्यशील हैं।

इस वित्तीय वर्ष के बजट प्रस्तावों में विभिन्न सिंचाई नहरों, नलकूपों एवं लिफ्ट योजनाओं के अनुरक्षण हेतु रु0 23.63 करोड़ एवं नहरों, नलकूपों एवं लिफ्ट नहरों के निर्माण एवं पुनरोद्धार हेतु रु0 28.16 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जो इस वर्ष के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की गयी धनराशि से रु0 4.51 करोड़ अधिक है। नहरों, नलकूपों लिफ्ट नहरों एवं अन्य सिंचाई कार्यों के अनुरक्षण/विशेष मरम्मत हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक रु0 6.01 करोड़ तथा नहरों, नलकूपों व लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के निर्माण/पुनरोद्धार कार्यों हेतु अब तक रु0 4.63 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2002–03 का बजट पारित होने के पश्चात् अवशेष धनराशि भी अवमुक्त की जा सकेगी। सिंचाई विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी पूर्ण क्षमता से इन अवशेष अकार्यशील/क्षतिग्रस्त नहरों, नलकूपों एवं लिफ्ट सिंचाई नहरों पर सिंचाई सुविधा बहाल करने हेतु प्रयास कर रहे हैं।]

अस्थाई राजधानी निर्माण में धांधली और अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री दिनेश अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर

लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

लोक निर्माण मंत्री ["डा0" (श्रीमती)इन्दिरा हृदयेश]–

[राजधानी गठन के दौरान विभिन्न कार्यदायी विभागों द्वारा किये गये निर्माण कार्यों, सामग्री क्रय एवं आपूर्ति तथा विभिन्न प्रकार के खरीद फरोख्त की जांच हेतु सदन की एक सर्वदलीय समिति के गठन का निर्णय लिया जा चुका है। सदन द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट दो माह में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश हैं। अतः सम्बन्धित रिपोर्ट के तथ्य प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे तक के लिये।

(इसके बाद सदन 11 बजकर 11 मिनट पर बुधवार 12 जून, 2002/अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल

दिनांक 11 जून, 2002

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 विधान सभा/199–26–8–2003–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।